SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार
2025 का प्रतिवेदन संख्या 5
(अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

राजस्थान सरकार - 2025 का प्रतिवेदन संख्या 5

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 5

(अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय–I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रालेख	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.4	3
लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.6	7
प्रतिवेदन की सामग्री	1.7	8
अध्याय–II: खान एवं भूविज्ञान विभाग		
परिचय	2.1	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	9
"राजस्थान में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के क्रियान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	11-49
अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में अनियमितताएं	2.4	50-55
खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन	2.5	55
बकाया राशि की अवसूली	2.6	60-62
रवन्ना का दुरुपयोग कर खनिजों का अनाधिकृत निर्गमन	2.7	62
निष्पादन प्रतिभूति का बकाया अनुबंध राशि के विरुद्ध समायोजन न किए जाने के कारण अनुबंध राशि की अवसूली	2.8	65
मासिक विवरणी भरने में देरी के लिए विलंब शुल्क का अधिरोपण न किया जाना	2.9	67

विषय	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
ऑनलाइन मांग पंजिका में पूर्व दिनांकित प्रविष्टि के माध्यम से पट्टाधारक को अनुचित लाभ दिया जाना	2.10	68
पट्टे के हस्तांतरण के संबंध में पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की अवसूली	2.11	69
अध्याय–III: परिवहन विभाग		
कर प्रशासन	3.1	73
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	73
मोटर वाहनों पर कर की अवसूली	3.3	74
पोर्टेबल वेइंग मशीनों की खरीद पर ₹ 21.26 करोड़ का निष्फल व्यय	3.4	76
अध्याय–IV: वन विभाग		
परिचय	4.1	79
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	79
'राजस्थान में बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन' पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा	4.3	80-117
अध्याय–V: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
प्रस्तावना	5.1	119
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	119
सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया भुगतान	5.3	120
आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाना	5.4	121
अध्याय–VI: देवस्थान विभाग		
परिचय	6.1	123
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	123
सतही किराया एवं शास्ति ब्याज की अवसूली	6.3	123-125

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	**विषय**	**पृष्ठ**
1	विभागों का संक्षिप्त प्रालेख	127
2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के अवधिवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र	130
3	चयनित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों में 31.03.2023 को स्वीकृत और क्रियान्वित कार्यों का विवरण	132
4	खनिजों के अतिरिक्त उपयोग और गलत आंकलन का विवरण	134
5	अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना चिनाई पत्थर खनिज के लिए जारी किए गए अल्पावधि अनुज्ञापत्र का विवरण	135
6	3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 के दौरान जारी ई-रवन्ना/ट्रांजिट पास से संबंधित वसूली योग्य राशि का विवरण	136
7	प्रीमियम राशि जमा न करने वाले खनन पट्टों का विस्तृत विवरण	137
8	उन खनन पट्टों का विस्तृत विवरण जिनमें पट्टा क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया जबकि पट्टेधारक ने ई-रवन्ना का दुरुपयोग करके पट्टा क्षेत्र के अलावा अन्यत्र खनिज निर्गमित किये	138
9	2020-23 के दौरान अनुपयोगी कैमरों का विवरण	141
10	राज्य सरकार द्वारा बाघ अभयारण्यों को सीएसएस के अंतर्गत निधियाँ जारी करने में देरी	149
11	स्वीकृत एवं कार्यरत प्रति वन रक्षक वन क्षेत्र का विवरण	151
12	सतही किराया एवं उस पर ब्याज की अवसूली का विवरण	152
संक्षिप्त शब्दावली		153

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और लेखापरीक्षा और लेखा नियमावली, 2020 के तहत किए गए राज्य सरकार के विभागों की अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2022-23 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2022-23 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक, 2017 के अनुरूप की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के 30 विभागों की अनुपालना लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखा परीक्षित संस्थाओं की व्यय और राजस्व जांच से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय शामिल हैं और इसमें ₹ 178.93 करोड़ के 15 अनुच्छेद एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे उल्लिखित हैः

I सामान्य

यह अध्याय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया और सरकार/विभागों द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेपों के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करता है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करता है ताकि लेनदेनों की जांच की जा सके और नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन किया जा सके। इन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताएं शामिल होती हैं जो मौके पर ही निपटाई नहीं गईं। मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का विश्लेषण बताता है कि इन विभागों के लिए सितंबर 2023 के अंत तक 5,418 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 65,853.84 करोड़ के 23,975 अनुच्छेद बकाया थे।

II खान एवं भूविज्ञान विभाग

यह अध्याय खान एवं भूविज्ञान विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा करता है।

"राजस्थान में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के क्रियान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

पीएमकेकेकेवाई को खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए शुरू किया गया था, जिसमें डीएमएफटी द्वारा एकत्रित निधि का उपयोग किया जाता है। राजस्थान सरकार ने पीएमकेकेकेवाई के कार्यान्वयन के लिए सभी जिलों में डीएमएफटी का गठन किया (9 जून 2016)। राजस्थान डीएमएफटी नियमों के अनुसार, डीएमएफटी का प्रबंधन गवर्निंग काउंसिल के पास है, जिसमें सभी ट्रस्टी शामिल हैं और इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट करता है। कानूनी ढांचे, योजना निर्माण, लेखा और लेखापरीक्षा, डीएमएफटी अंशदान की मांग और संग्रह, खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव, जवाबदेही और पारदर्शिता तंत्र के व्यापक विश्लेषण से पता चला कि भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, राजस्थान सरकार ने डीएमएफ

ट्रस्टों को निर्देश जारी किए कि डीएमएफ ट्रस्ट निधि से स्वीकृति और भुगतान के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। इसके अनुसार, वित्त विभाग द्वारा कार्यों को मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने खनन-प्रभावित क्षेत्रों के व्यवस्थित और समयबद्ध विकास के लिए, बेसलाइन सर्वेक्षण और क्षेत्रीय रणनीतियों के आधार पर, पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ तैयार करने का निर्देश दिया (जून 2022)। हालाँकि, राज्य सरकार ने इन प्रावधानों को शामिल करने के लिए राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 में संशोधन नहीं किया।

डीएमएफटी नियम, 2016 के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल को वित्तीय वर्ष शुरू होने से एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजनाएँ और बजट तैयार करके उन्हें अनुमोदित करना आवश्यक था। हालाँकि, ऐसी कोई योजना या बजट तैयार अथवा स्वीकृत नहीं की गयी, और वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच बिना किसी अनुमोदित कार्य योजना के ₹5,626.63 करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृत कर दी गईं।

सत्रह जिलों में वर्ष 2022-23 तक के वार्षिक लेखों का लेखापरीक्षण पूर्ण हो गया। हालाँकि, फरवरी 2025 तक 16 जिलों में वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक के 23 वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे। खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों को डीएमएफटी अंशदानों के लिए माँग और संग्रह पंजिका संधारण करनी थी; हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऐसी पंजिकाएं भौतिक रूप से संधारित नहीं की गयी थी। विभागीय ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस भी डीएमएफटी अंशदान एवं अंशदान के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर्शाने के लिए विकसित नहीं की गई थी।

यह पाया गया कि अधिशुल्क और डीएमएफटी की कार्य-वार कटौती की गई राशि न तो निर्माण विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई और न ही खान विभाग द्वारा इसकी मांग की गई। कार्य-वार विवरण के अभाव में, न तो खान विभाग और न ही लेखापरीक्षा, कटौती और जमा की गई राशि की सत्यता की पुष्टि कर सकी।

डीएमएफटी निधि में अंशदान के संग्रह, मिलान और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता जिम्मेदार थे। हालाँकि, डीएमएफटी निधि का मिलान यथोचित रूप से नहीं किया गया था। चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने एकत्रित डीएमएफटी अंशदान के आंकड़ों की जाँच की और निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय के आंकड़ों के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन किया, तो पाया कि भरतपुर को छोड़कर चयनित जिलों के आंकड़े मेल नहीं खाते थे।

अवैध खनन/परिवहन/भंडारण पर अधिशुल्क के रूप में ₹84.71 करोड़ की वसूली पर डीएमएफटी का ₹84.71 लाख का अंशदान, आवश्यकतानुसार संबंधित डीएमएफटी निधियों में जमा नहीं किया गया, जो कि वांछनीय था। डीएमजीओएमएस के आंकड़ों के अनुसार, 11.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 6,300 खनन पट्टे रद्द, समर्पण या समाप्ति के कारण अकार्यशील थे। हालाँकि, खनन किए गए गड्ढों को भरने के संबंध में कोई जानकारी डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित डीएमएफ ट्रस्टों ने खनन क्षेत्रों के भूमि

के पुनःस्थापन हेतु कोई परियोजना शुरू नहीं की थी। वित्तीय आश्वासन जमा करने और बकायादारों से खनिज लागत की वसूली के प्रावधानों के बावजूद, विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त खनन भूमि के पुनःस्थापन हेतु कोई पहल नहीं की गई।

राजस्थान डीएमएफटी नियमों का नियम 15(6) में प्रावधान है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक डीएमएफटी अद्यतन सूचना के साथ एक वेबसाइट का संधारण करेगा। इसमें डीएमएफटी की संरचना, खनन प्रभावित क्षेत्रों और जनसंख्या, त्रैमासिक अंशदान, बैठक एजेंडे, बैठक विवरण, कार्यवाही प्रतिवेदन, वार्षिक योजनाएं, बजट, कार्य आदेश और चल रही परियोजनाओं की प्रगति का विवरण शामिल रहेगा। हालांकि, यह जानकारी चयनित जिलों में उपलब्ध डीएमएफ-वेबसाइट पर न तो प्रकाशित की गई थी और न ही नियमित रूप से अद्यतन की गई थी। ट्रस्टों के लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक लेखों में भी बकाया डीएमएफटी अंशदान का विवरण उपलब्ध नहीं था और किसी भी ट्रस्ट ने डीएमएफ-वेबसाइट पर एकत्र किए गए अंशदान का त्रैमासिक विवरण प्रकाशित नहीं किया था। डीएमएफ ट्रस्टों ने कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित कार्यों का तिमाही प्रगति का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया। चूंकि वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गए थे, इसलिए इन्हें नियमानुसार राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

संस्थागत व्यवस्था, खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की पहचान, डीएमएफटी निधि का संग्रह और उपयोग, परियोजना प्रबंधन और निगरानी के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चला कि चयनित जिलों मे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की योजना कमजोर थी क्योंकि प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप गैर-खनन प्रभावित क्षेत्रों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन हुआ। डीएमएफटी अंशदान को नियमों के अनुसार ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खातों में जमा नहीं किया जा रहा था। डीएमएफटी अंशदान की निगरानी के लिए तंत्र की कमी के कारण ₹ 20.80 करोड़ का डीएमएफटी अंशदान प्राप्त नहीं हुआ। भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत, निधि को राज्य स्तर की एजेंसियों में हस्तांतरित किया गया। कार्यान्वयन एजेंसियों ने आरटीपीपी अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यों को निष्पादित किया।

राजस्थान डीएमएफटी नियमों में यह प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियाँ राज्य और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं की पूरक होनी चाहिए। हालाँकि, इन गतिविधियों को राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन माना गया। चयनित जिलों में, कुल ₹ 57.05 करोड़ के दस कार्यों/परियोजनाओं को महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण विभाग (2018-19 से 2023-24) के बजट में शामिल किया गया था। अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को इन विभागों द्वारा पहले से अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं के लिए राशि जारी करने हेतु डीएमएफ ट्रस्टों की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया। संबंधित गवर्निंग काउंसिल ने भी तीन कार्यों/परियोजनाओं को छोड़कर इसे मंजूरी दे दी। इस प्रकार डीएमएफटी निधियों का उपयोग बजटीय कार्यों/परियोजनाओं के लिए किया गया जो वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत के विपरीत था।

राजस्थान डीएमएफटी नियमों के अनुसार प्रबंध समितियों की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों में ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं। जून 2016 और मार्च 2023 के बीच आवश्यक 205 बैठकों में से केवल 66 बैठकें ही हुईं। भरतपुर (2016-17, 2022-23), भीलवाड़ा (2016-17, 2021-22), बाड़मेर (2019-20, 2022-23) और सीकर (2022-23) में कोई बैठक नहीं हुई।

राजस्थान डीएमएफटी नियमों के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है। हालाँकि, कुछ जिलों में, नियमों के अनुसार ये बैठकें आयोजित नहीं की गईं। आवश्यक 135 बैठकों में से केवल 35 बैठकें ही आयोजित की गईं। बाड़मेर जिले में, अप्रैल 2021 के बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। इसके बावजूद, विभिन्न कार्यों के लिए कुल ₹13.22 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियाँ गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति के बिना जारी कर दी गईं।

आगे, डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गयी। डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा आयकर विवरणी दाखिल नहीं की जा रही थी, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 10 (46) के तहत आयकर से छूट उपलब्ध नहीं थी। डीएमएफ ट्रस्टों में ट्रस्टी समय पर नियुक्त नहीं किए गए थे। गवर्निंग काउंसिल और प्रबंधन समितियों की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित नहीं की गईं। कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई अग्रिम राशि की निगरानी नहीं की गई। डीएमएफटी अंशदान के विलंबित जमा पर ब्याज संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा नहीं लगाया गया। खनन पट्टे/अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन को निरस्त किए गए खनन पट्टे एवं अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया, हालांकि, इसे डीएमएफटी निधि में जमा नहीं किया गया क्योंकि केवल जब्ती आदेश जारी किए गए थे लेकिन उनका नकदीकरण नहीं किया गया।

विभाग द्वारा अपनाये गए अच्छे प्रयास

डीएमएफटी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले के खनन क्षेत्र में श्रमिकों की स्वास्थ्य जाँच के लिए एक मोबाइल चिकित्सा वैन का संचालन करता है, जिसका उद्देश्य संभावित सिलिकोसिस रोगियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना है। नवंबर 2021 से मार्च 2023 के बीच, 294 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 19,671 व्यक्तियों को शामिल किया गया और सिलिकोसिस के 1,952 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई, जिनमें से 144 रोगियों को सिलिकोसिस प्रमाण पत्र दिए गए। इस पहल ने शीघ्र निदान और खनन श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि सरकार/विभाग निम्नलिखित पर विचार करे:

- *डीएमजीओएमएस के अंतर्गत एक मॉड्यूल विकसित करना, जो देय डीएमएफटी अंशदान की देय राशि की निगरानी कर सके, समय पर जमा सुनिश्चित करे और विलंबित भुगतान पर ब्याज लगा सके।*
- *खनिजों की अनधिकृत/अवैध उत्खनन या परिवहन के मामलों से प्राप्त राशि को डीएमएफटी को हस्तांतरित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए।*
- *खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने और पीएमकेकेकेवाई के तहत इन प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान हेतु एक अध्ययन कराना।*
- *त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों और वार्षिक प्रतिवेदनों की तैयारी और प्रस्तुति हेतु मानकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करना और उनका पालन कराना। इन प्रतिवेदनों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना ताकि पारदर्शिता और निगरानी में सुधार हो।*
- *डीएमएफ ट्रस्टों को यह निर्देश दिए जाएं कि वे विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान करें ताकि निधि का लाभ वास्तव में प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को दिया जा सके।*
- *राज्य बजट की योजनाओं हेतु विचलित की गई निधियों को वापस किया जाए।*
- *अनियमित स्वीकृतियों को रोकने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों को एक चेक लिस्ट जारी की जाए।*
- *प्रबंधन समिति के लिए अधिक कड़े उत्तरदायित्व तंत्र स्थापित किए जाएँ, ताकि वार्षिक लेखों एवं कर विवरणियों के अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु समुचित एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।*
- *ग्राम सभाओं और गवर्निंग काउंसिल की सिफारिशों के अनुसार ट्रस्टियों की समय पर नियुक्ति की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए।*
- *गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंध समितियों की नियमित बैठकों की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए, ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यप्रणाली तथा लक्षित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त लाभ की समीक्षा की जा सके।*

वर्ष के दौरान खान एवं भूविज्ञान विभाग की 32 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

- न तो अल्पावधि अनुज्ञापत्र सावधानीपूर्वक जारी किए गए, और ना ही उनका आंकलन ठीक से किया गया। सार्वजनिक निर्माण ठेकेदारों ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना खनिजों

का उत्खनन और उपयोग किया, और विभाग लागत वसूली नहीं कर सका। इन अनियमितताओं के कारण ₹ 10.23 करोड़ की अवसूली रही।

- खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ने अनाधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की लागत वसूल करने में विफलता दिखाई। विलंबित वसूली कार्यवाही ने पट्टेधारकों को बकाया राशि के बावजूद 0.76 लाख मीट्रिक टन बजरी निकालने और निर्गमन की अनुमति दी। इसके अलावा, अवैध रूप से उत्खनित खनिजों का कम आंकलन होने से और राजस्व हानि हुई। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹ 20.93 करोड़ की अवसूली हुई, जिससे पट्टेदारों को अनुचित लाभ मिला।

- विभाग *ई-रवन्ना* और *ई-ट्रांजिट* पास जारी करने के संबंध में प्रोसेसिंग शुल्क और प्रीमियम की बकाया किश्तों को वसूल करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.65 करोड़ की अवसूली हुई।

- दस पट्टाधारकों द्वारा उनके नाम स्वीकृत खनन पट्टों से जारी रवन्ना के माध्यम से अनधिकृत रूप से उत्खनित कुल 5.92 लाख मीट्रिक टन खनिजों का निर्गमन किया गया, हालांकि, संबंधित खनि अभियंता द्वारा न तो इस अवैध खनन का पता लगाया गया और न ही ₹20.23 करोड़ की खनिज के मूल्य की वसूली की गई।

- सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा ने निष्पादन प्रतिभूति राशि बकाया अनुबंध राशि के विरूद्ध समायोजित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार से ₹ 0.46 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

- चौदह सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं ने 48 खनन पट्टाधारकों द्वारा मासिक प्रतिवेदन विलंब से भरने पर ₹ 9.35 करोड़ की विलंब शुल्क राशि की वसूली एवं अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। साथ ही, अन्य 58 खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध विवरणी जमा न करने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

- सहायक खनि अभियंता ने अवैध खनन की मांग निर्धारित अवधि में ऑनलाइन मांग पंजिका में दर्ज नहीं की। इस चूक के कारण पट्टाधारक ने ₹ 6.33 लाख रुपये के ई-रवन्ना जारी किये जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹ 0.21 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की जा सकी।

- आरएमएमसी नियम, 2017 तथा राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पट्टा हस्तांतरण से संबंधित पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 7.62 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ।

III परिवहन विभाग

वर्ष के दौरान परिवहन विभाग की 21 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

- वाहन स्वामियों द्वारा 1,677 वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹12.10 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की।

- परिवहन विभाग द्वारा 179 पोर्टेबल वेइंग मशीनों पर ₹21.26 करोड़ का निष्फल व्यय किया, क्योंकि कमजोर निगरानी और समन्वय के कारण इन मशीनों को वाहन सॉफ़्टवेयर से एकीकृत (इंटीग्रेट) नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ये मशीनें अनुपयोगी हो गईं।

IV वन विभाग

राजस्थान के बाघ अभयारण्यों में संरक्षण और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए 'राजस्थान में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन' पर एक लेखापरीक्षा की गई। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्य को वन्यजीव संरक्षण के लिए क्षेत्रों के निर्धारण करने का अधिकार प्रदान करता है। राजस्थान में 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, जिसमें तीन बाघ अभ्यारण्य शामिल हैंः रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। दो अतिरिक्त संरक्षण, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर-करौली, क्रमशः मई 2022 और अक्टूबर 2023 में अधिसूचित किए गए। वन और पर्यावरण विभाग, प्रधान सचिव के नेतृत्व में, इन क्षेत्रों का प्रबंधन करता है, जिसमें कई स्तरों पर अधिकारी संचालन की निगरानी करते हैं। लेखापरीक्षा में 2016 से 2021 की अवधि शामिल थी, जिसमें 2022-23 तक के निष्कर्ष अद्यतन किए गए। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में भी गांवों के स्थानांतरण में देरी और संरक्षण के प्रयासों में कमियों को उजागर किया गया था।

अवधि 2016 से 2023 तक विभाग द्वारा वन्यजीव सुरक्षा और बाघ संरक्षण के प्रयासों में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई। विभाग वन्यजीव शिकार को रोक नहीं सका, जिसके परिणामस्वरूप चार बाघों की शिकार के कारण मृत्यु हो गई। इसके अलावा, महत्वपूर्ण बाघ कॉरिडोर, विशेष रूप से आरटीआर 1 और 2 के बीच, विकसित करने में विफलता के परिणामस्वरूप बाघों की अत्यधिक भीड़ और क्षेत्रीय संघर्ष हुए, जिसके कारण दस बाघों की मृत्यु हो गई।

अवधि 2016-2023 के दौरान विभाग द्वारा ख़राब वित्तीय प्रबंधन, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय और अप्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन किया गया। ₹ 539.59 करोड़ के आवंटन के बावजूद, ₹ 344.06 करोड़ का उपयोग किया गया। प्रभावी गश्त योजनाओं का अभाव, पर्याप्त कार्मिकों की कमी और अपर्याप्त सुविधाओं के कारण वन्यजीवों की सुरक्षा से समझौता किया गया। विभाग की कार्मिकों की कमी को दूर करने और पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने में विफलता के कारण वन रक्षकों पर बड़े क्षेत्रों की निगरानी का बोझ पड़ा।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करने से स्थिति और खराब हो गई, विशेष रूप से एसटीआर के आसपास, जहां अभयारण्य के निकट खनन जारी रहा।

बाघ अभयारण्यों को सुरक्षित रखने एवं उनका प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण विफलताएँ रहीं, जिससे संरक्षण प्रयासों को ख़तरा उत्पन्न हुआ। विभाग ने बाघ अभयारण्यों के लिए भूमि का पर्याप्त रूप से सीमांकन और सुरक्षा नहीं की, जिसके कारण अतिक्रमण, फसल क्षति और मवेशी चरने की घटनाएँ हुईं। विभाग अभयारण्यों के पास अवैध खनन को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा, जिससे वन्यजीवों एवं आस-पास के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था। विभाग के पास आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीति का भी अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त प्रयास किए गए।

बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों से गांवों को विस्थापित करने और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने में कमियां थीं। आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 108 नियोजित गांवों के विस्थापन में से, मार्च 2023 तक केवल 15 को पूरी तरह से और 17 को आंशिक रूप से विस्थापित किया गया था। विस्थापन की इस धीमी गति के परिणामस्वरूप आवंटित धन का कम उपयोग हुआ। अधूरे विस्थापन के कारण अभयारण्य के भीतर अनियंत्रित मवेशी चराई और वन्यजीवों द्वारा फसल की क्षति जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि सरकार/विभाग इन पर विचार कर सकते हैं:

- ***अवैध शिकार पर रोक लगाकर बाघों की मृत्यु दर को कम करने के लिए एसटीएफ की स्थापना जैसी ठोस कार्रवाई करना।***
- ***क्षेत्रीय संघर्षों से बचने के लिए, आवश्यक गतिविधियों को अंजाम देकर कॉरीडोर के विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही करना।***
- ***बाघ अभयारण्यों में पर्याप्त पशु चिकित्सा कार्मिकों एवं गश्ती कार्मिकों के पदस्थापन के लिए कार्रवाई करना।***
- ***बाघ अभयारण्यों की सीमाओं का स्तंभों, दीवारों या बाड़ का उपयोग करके निर्दिष्ट समय सीमा में सीमांकन करना तथा सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।***
- ***पर्याप्त वित्त पोषण के साथ आक्रामक प्रजातियों के आंकलन और उन्मूलन के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करना।***
- ***पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर इसे अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि ग्रामीणों के बीच पुनर्वास के लिए इसकी स्वीकार्यता बढ़ाई जा सके और***

- *निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक अभियान के रूप में विस्थापन कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना करना।*

V जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

वर्ष के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 47 इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

- विभाग ने सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त कार्य मात्रा, जिसकी राशि ₹ 3.38 करोड़ थी, का निष्पादन किया।

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सार्वजानिक निर्माण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाई। इसके परिणामस्वरूप पाइपलाइन को पुनः बिछाने में राजकीय कोष पर ₹1.24 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

VI देवस्थान विभाग

वर्ष के दौरान देवस्थान विभाग की छः इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं।

- देवस्थान विभाग ने सतही अधिकार धारकों द्वारा सतही किराया भुगतान दायित्वों के अनुपालन की निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय तक भुगतान नहीं किया गया। इसी कारण राशि ₹ 0.76 करोड़ के सतही किराया एवं उपार्जित शास्ति ब्याज की वसूली का अभाव रहा।

अध्याय–I

सामान्य

अध्याय–I

सामान्य

1.1 परिचय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का यह भाग राजस्थान सरकार के 30 विभागों[1] की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकट हुये प्रकरणों से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों, प्राप्तियों के साथ-साथ संपत्तियों तथा दायित्वों से संबंधित संव्यवहारों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने से कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है।

इस प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधायिका के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रतिवेदित की जाने वाली सामग्री का स्तर, संव्यवहारों की प्रकृति और मात्रा एवं परिमाण के आनुषंगिक होनी चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाने तथा नीतियों एवं निर्देशों को बनाने में भी जो कि संगठनों को उन्नत वित्तीय प्रबंधन की ओर ले जायेंगे, इस प्रकार, बेहतर शासन में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना तथा विस्तार- क्षेत्र के वर्णन के अतिरिक्त गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन की सूचना प्रदान करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रालेख

विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों के द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/निदेशक/शासन उप सचिवों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है ।

प्रतिवेदन के इस भाग में शामिल 30 विभागों के संक्षिप्त प्रालेख ***परिशिष्ट–1*** में बताये गये हैं। वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान राजस्थान सरकार के राजकोषीय संचालन का सारांश **तालिका 1.1** में दिया गया है:

[1] विभागः कृषि; कृषि विपणन; पशुपालन; कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय; नागरिक उड्डयन; सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग; सहकारी; देवस्थान; ऊर्जा; पर्यावरण; कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण; मत्स्य पालन; खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति; वन; गोपालन; भूजल; उद्यानिकी; इंदिरा गांधी नहर; उद्योग; सूचना प्रौद्योगिकी और संचार; खान एवं भूविज्ञान; पेट्रोलियम निदेशालय; जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी; सार्वजनिक निर्माण; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य उद्यम; राजस्थान स्टेट मोटर गैराज; पर्यटन; परिवहन और जल संसाधन।

तालिका 1.1: राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2021-22	**2022-23**		**2021-22**	**2022-23**
खंड-अ: राजस्व लेखा					
स्व कर राजस्व	74,807.98	87,346.38	सामान्य सेवायें	65,406.37	71,874.89
कर-इतर राजस्व	18,754.97	20,564.43	सामाजिक सेवायें	85,053.68	90,168.36
संघीय करों/ शुल्कों का भाग	54,030.61	57,230.79	आर्थिक सेवायें	59,329.92	64,436.00
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	36,326.49	29,846.33	सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.04	0.04
योग खंड-अ राजस्व प्राप्तियां	**1,83,920.05**	**1,94,987.93**	**योग खंड-अ राजस्व व्यय**	**2,09,790.01**	**2,26,479.29**
खंड-ब: पूंजीगत लेखा व अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	31.42	16.20	पूंजी परिव्यय	24,151.59	19,798.28
			सामान्य सेवायें	483.53	542.45
			सामाजिक सेवायें	10,951.01	8,850.67
			आर्थिक सेवायें	12,717.05	10,405.16
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	2,373.59	419.61	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	621.24	174.78
लोक ऋण प्राप्तियां	62,820.90	55,647.01	लोक ऋण का पुनर्भुगतान[2]	17,585.77	20,819.20
आकस्मिकता निधि	500.00	-	आकस्मिकता निधि	500.00	-
लोक लेखा प्राप्तियां	2,51,294.80	2,43,204.58	लोक लेखा संवितरण	2,40,110.57	2,34,001.34
आरंभिक रोकड शेष	6,487.51	14,669.09	अंतिम रोकड शेष	14,669.09	7,671.53
योग खंड-ब प्राप्तियां	**3,23,508.22**	**3,13,956.49**	**योग खंड-ब संवितरण**	**2,97,638.26**	**2,82,465.13**
महायोग (अ+ब)	**5,07,428.27**	**5,08,944.42**	**महायोग** (अ+ब)	**5,07,428.27**	**5,08,944.42**

स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे।

1.3 लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिये गये हैं।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकायों सहित विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त तथा कार्यपद्धतियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी

[2] चल रहे लेनदेन और साधन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर 2021-22: ₹ 38,542.41 करोड़ और 2022-23: ₹ 1,04,918.40 करोड़

लेखापरीक्षा तथा लेखाओं पर विनियमन, 2020 तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रारंभ सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम के आंकलन से होता है। जोखिम का आंकलन, व्यय की मात्रा, गतिविधियों की महत्ता, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थिति एवं हितधारकों के सरोकारों पर आधारित है। इस प्रक्रिया में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान 30 विभागों की 244 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुये इकाइयों के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया गया। जब कभी भी उत्तर प्राप्त हुए, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया गया या अग्रेतर अनुपालना की सलाह दी गयी। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट होने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

1.5 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहारों की नमूना जांच एवं महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर, राज्य सरकार के विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं।

मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि इन विभागों के लिये जारी 5,418 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 65,853.84 करोड़ राशि के 23,975 अनुच्छेद सितम्बर 2023 के अन्त में बकाया थे।

1.5.1 30 सितम्बर 2023 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा इनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का विभाग-वार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	कृषि	252	1,266	3,541.64
2	कृषि विपणन	11	35	356.32
3	पशुपालन	72	247	3,504.33
4	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	89	288	462.44
5	नागरिक उड्डयन	8	26	60.50
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	60	112	148.02
7	सहकारी	93	298	2,427.09
8	देवस्थान	48	152	217.91
9	ऊर्जा	5	11	7,220.38
10	पर्यावरण	10	63	1,721.76
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	16	55	3.36
12	मत्स्य पालन	3	19	52.44
13	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	112	629	5,815.70
14	वन	379	1,758	2,400.81
15	गोपालन	23	139	386.47
16	भूजल	39	87	464.01
17	उद्यानिकी	51	227	573.31
18	इंदिरा गांधी नहर	73	178	448.99
19	उद्योग	47	149	143.02
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	10	52	1,565.18
21	खान एवं भूविज्ञान	362	1,671	4,277.88
22	पेट्रोलियम	3	7	321.52
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1,177	4,897	16,510.69
24	सार्वजनिक निर्माण	1,426	7,063	8,831.97
25	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज	6	23	16.67
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	22	65	48.32
27	राज्य उद्यम	3	6	40.84
28	पर्यटन	16	59	181.58
29	परिवहन	325	1,649	151.79
30	जल संसाधन	677	2,744	3,958.90
योग		**5,418**	**23,975**	**65,853.84**

स्रोतः जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा उन पर प्राप्त उत्तरों के आधार पर सूचना संकलित की गयी।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लंबित अनुच्छेदों की दृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग में सर्वाधिक बकाया है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का अवधिवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-2*** में वर्णित है, जिससे प्रकट होता है कि 3,922 निरीक्षण प्रतिवेदन (कुल बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का 72.39 प्रतिशत) 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

चार्ट 1.1 : बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनो की संख्या



स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

बकाया इस तथ्य का सूचक है कि लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ध्यान में लायी गयी त्रुटियों तथा अनियमितताओं को सुधारने के लिये कार्यालय प्रमुखों तथा विभागों को समय पर प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

1.5.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी करने एवं शीघ्र प्रगति के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[3] का गठन किया। वर्ष 2022-23 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा उनमें निस्तारित अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: लेखापरीक्षा समिति एवं लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	आयोजित लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	कृषि	1	1	21	40.42
2	कृषि विपणन	1	0	0	0
3	पशुपालन	3	1	9	0.64
4	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	1	0	0	0
5	नागरिक उड्डयन	1	0	0	0
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	0	0	0	0

[3] राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के शासन सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियां बनायी गयी और सरकार द्वारा निश्चित किया गया था कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, विभागों के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा उप-समितियां भी बनायी गयी।

क्र.सं.	विभाग का नाम	आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	आयोजित लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
7	सहकारी	3	0	0	0
8	देवस्थान	2	0	0	0
9	ऊर्जा	3	0	0	0
10	पर्यावरण	0	0	0	0
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	1	0	0	0
12	मत्स्य पालन	3	0	0	0
13	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें	1	0	0	0
14	वन	3	8	93	41.55
15	गोपालन	3	1	1	0
16	भूजल	1	0	0	0
17	उद्यानिकी	1	0	0	0
18	इंदिरा गांधी नहर	3	0	0	0
19	उद्योग	1	0	0	0
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	1	0	0	0
21	खान एवं भूविज्ञान	4	4	107	78.59
22	पेट्रोलियम	4	0	0	0
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	3	0	0	0
24	सार्वजनिक निर्माण	3	0	0	0
25	राजस्थान स्टेट मोटर गैराज	0	0	0	0
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	0	0	0	0
27	राज्य उद्यम	1	0	0	0
28	पर्यटन	2	0	0	0
29	परिवहन	3	0	0	0
30	जल संसाधन	2	0	0	0
योग		**55**	**15**	**231**	**161.20**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

तालिका 1.3 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान खान एवं भूविज्ञान तथा पेट्रोलियम विभाग के अलावा किसी भी विभाग ने लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम आवश्यक चार बैठकें आयोजित नहीं की। इसके अलावा सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग, पर्यावरण, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संबंध में वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी। केवल पाँच विभागों में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें हुई जहां राशि ₹ 161.20 करोड़ के 231 अनुच्छेद निस्तारित किये गये। विभाग बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण के लिए लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समिति की अधिक बैठकें आयोजित कर सकते हैं।

1.5.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का उत्तर

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद छः संबंधित विभागों[4] के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर उनसे यह अनुरोध करते हुये भेजे गये कि वे छः सप्ताह में उनके उत्तर भिजवा दें।

कुल 25 प्रारूप अनुच्छेदों को 15 पैराग्राफ में जिनमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थी, को समेकित करके जून 2023 तथा सितंबर 2024 के मध्य संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवो/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रेषित किया गया। सभी प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त हो गये एवं उन्हें उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चित किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जा चुके हैं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां जो कि लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हों, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका में रखे जाने के तीन माह के अन्दर जनलेखा समिति को प्रस्तुत की जायेगी। 31 दिसंबर 2024 तक अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियां बकाया नहीं थी।

जनलेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

31 दिसंबर 2024 तक जनलेखा समिति द्वारा 30 विभागों से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों पर चर्चा की स्थिति **तालिका 1.4** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाऐं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	राजस्व क्षेत्र	-	7	-	4
	आर्थिक क्षेत्र	1	11	1	11
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	1	7	1	7
2017-18	राजस्व क्षेत्र	-	7	-	3
	आर्थिक क्षेत्र	2	7	2	7
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	1	5	1	5

[4] सहकारी, देवस्थान, वन , खान एवं भू-विज्ञान , जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा परिवहन।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2018-19	राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र	1	12	-	-
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	-	5	-	5
2019-20	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 7)	-	7	-	3
	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2)	-	3	-	3
	"राजस्थान में सतही सिंचाई" के परिणामो पर एकल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1	-	1	-
	"राजस्थान में अवैध खनन" पर एकल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	1	-	-	-
2020-21	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 1)	-	3	-	-
	अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 2)	-	8	-	-

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित ।

वर्ष 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

1.7 प्रतिवेदन की सामग्री

यह प्रतिवेदन 15 पैराग्राफों को शामिल करती है, जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'राजस्थान में प्रधानमंत्री स्वनिज क्षेत्र कल्याण योजना सहित डीएमएफटी के कार्यान्वयन' और विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा 'राजस्थान में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन' शामिल हैं। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 178.93 करोड़ है। इन पर चर्चा अध्याय-II से अध्याय-VI में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 98.58 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया है (दिसंबर 2024 तक)। स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा आक्षेपों में से विभागों ने दिसंबर 2024 तक ₹ 2.05 करोड़ वसूल किये जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुपालना में की गई वसूली (₹ 47.54 करोड़) के अतिरिक्त थे। इसके अलावा, संबंधित विभागों ने वर्ष 2022-23 के दौरान गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 20.24 करोड़ की वसूली की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 69.83 करोड़ थी।

अध्याय–II

खान एवं भूविज्ञान विभाग

अध्याय–II

खान एवं भूविज्ञान विभाग

2.1 परिचय

सरकार स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग स्तर पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान (डीएमजी), उदयपुर, संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), छः अतिरिक्त निदेशक, खान (एडीएम), छः अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान (एडीजी) और एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान को सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त निदेशक, खान नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते है, प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण खनि अभियंता (एसएमई) करता है।

अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण और खनिजों के अवैध उत्खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता उत्तरदायी हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में एक पृथक सतर्कता शाखा है, अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) इसके प्रमुख हैं। अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) के अधीन खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) के 31 कार्यालय हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भूविज्ञान विभाग में 135 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[1] थीं। इनमें से 32 इकाइयों[2] का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया, जिनमें 48,753 प्रकरणों[3] में से लेखापरीक्षा ने 16,786 प्रकरणों[4] (34.43 प्रतिशत) का चयन एवं जांच की। इनमें से 4,274 प्रकरणों में ₹683.12

[1] अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पैट्रोलियम, निदेशक खान एवं भूविज्ञान कार्यालय तथा निदेशक पैट्रोलियम कार्यालय के अलावा 132 अन्य इकाईयां शामिल हैं।

[2] अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पैट्रोलियम, जयपुर, निदेशक खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर, निदेशक पैट्रोलियम, जयपुर, अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) जोधपुर, अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर, अधीक्षक भूवैज्ञानिक (फॉस्फेट) उदयपुर- I, अधीक्षक भूवैज्ञानिकः बांसवाड़ा, भीलवाड़ा एवं नागौर; अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) उदयपुर, खनि अभियंता (सतर्कता) जोधपुर, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) झुंझुनू; अधीक्षण खनि अभियंता जोधपुर; खनि अभियंताः अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, मकराना, प्रतापगढ़, राजसमंद II, सिरोही, सोजत सिटी एवं उदयपुर; सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) बालेसर, सहायक खनि अभियंताः निम्बाहेड़ा, रूपवास और सवाई माधोपुर।

[3] कुल 48,753 प्रकरणः 383 खनन पट्टों की स्वीकृति; 6,947 कार्यरत खानें; 177 खनन पट्टे निरस्त/समर्पित, 112 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 10,390 खदान अनुज्ञप्ति; खनिज के अवैध खनन/ परिवहन के 13,419 प्रकरण; राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के 866 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 3,441 प्रकरण; रिफंड के तीन प्रकरण; बकाया के 1,913 प्रकरण एवं 11,102 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

[4] कुल 16,786 प्रकरणों का चयन कर जांच की गयीः 383 खनन पट्टे की स्वीकृति; 919 कार्यरत खदानें; 177 खनन पट्टे निरस्त/समर्पित, 106 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 398 खदान अनुज्ञप्ति; खनिज के अवैध खनन/परिवहन के 3,845 प्रकरण; राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के 717 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 2,257 प्रकरण; रिफंड के तीन प्रकरण; बकाया के 1,913 प्रकरण और 6,068 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

करोड़ की कमियां पायी गयी। लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में भी समान त्रुटियां ध्यान में लाई गई थी परन्तु ये अनियमितताऐं बनी रही तथा अगली लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों और अन्य सम्बन्धित मुद्दों के सारभूत अनुपात ने इंगित किया कि सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि ऐसी त्रुटियों के गठित होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके। पाई गई अनियमितताएं मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में **तालिका 2.1** में दर्शायी गई हैं:

तालिका 2.1: वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी		प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	न्यूनतम किराये और रॉयल्टी की अवसूली/कम वसूली		542	255.63
2.	सुरक्षा जमा का जब्ती न होना		142	68.03
3.	जुर्माना/ब्याज न लगाया जाना		1,405	84.89
4.	अनाधिकृत उत्खनन किये गये खनिजों की लागत की वसूली न होना/कम वसूली होना		150	96.26
5.	डीएमएफटी/आरएसएमईटी/एनजीटी फंड की अवसूली/कम वसूली		248	65.43
6.	अन्य अनियमितताएं	राजस्व	1,759	111.87
		व्यय	28	1.01
योग			**4,274**	**683.12**

स्रोतः विभाग को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने 4,521 प्रकरणों में ₹ 697.58 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 683.12 करोड़ के 4,274 प्रकरण वर्ष 2022-23 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग ने 236 प्रकरणों में ₹ 21.93 करोड़ रुपये वसूले, जिनमें से 233 प्रकरणों में ₹ 21.87 करोड़ रुपये पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

सरकार ने जवाब दिया (नवंबर 2023) कि वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में बताए गए 4,274 प्रकरणों के ₹ 683.12 करोड़ में से ₹ 13.20 करोड़ का निपटान किया जा चुका है।

₹ 137.18 करोड़ की राशि के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण आगे दर्शाये गए हैं:

2.3 "राजस्थान में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के क्रियान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) की शुरुआत की ताकि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों[5] (डीएमएफटी) द्वारा एकत्रित राशि का उपयोग करके खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। पीएमकेकेकेवाई के उद्देश्य थे (क) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, जो राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक हों; (ख) खनन अवधि के दौरान तथा उसके पश्चात्, खनन जिलों में पर्यावरण, जन-स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम/कम करना; और (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक सतत् आजीविका सुनिश्चित करना।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीएमएफ ट्रस्टों की गतिविधियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना था, उच्च प्राथमिकता वाली गतिविधियाँ और अन्य प्राथमिकता वाली गतिविधियाँ। उच्च प्राथमिकता वाली गतिविधियों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों का कल्याण, कौशल विकास एवं स्वच्छता शामिल है। इन मदों के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत उपयोग किया जाना था और अन्य प्राथमिकता वाली गतिविधियाँ जैसे भौतिक अवसंरचना (सड़क, पुल, रेलवे एवं जलमार्ग परियोजनाएँ), सिंचाई, ऊर्जा एवं जलग्रहण क्षेत्र विकास और खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु कोई अन्य उपाय में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों का अधिकतम 40 प्रतिशत तक उपयोग किया जाना था।

राजस्थान डीएमएफटी, 2016 के नियम 13(1)(iii) के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टाधारक को आवंटित/अनुमोदित क्षेत्र से उसके द्वारा हटाए/उपभोग किए गए खनिजों के संबंध में, डीएमएफटी निधि में अंशदान का भुगतान निम्नानुसार करेगा;

(क) प्रधान खनिजों के मामले में, समय-समय पर संशोधित खान और खनिज (डीएमएफटी में योगदान) नियम, 2015 में निर्धारित अनुसार; तथा

(ख) अप्रधान खनिजों के मामले में, समय-समय पर संशोधित राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 की प्रथम अनुसूची के अनुसार देय अधिशुल्क का दस प्रतिशत की दर से।

[5] जैसा कि इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 2.3.2 में वर्णित है।

2.3.2 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की संगठनात्मक संरचना

राजस्थान सरकार द्वारा 9 जून 2016 की अधिसूचना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में डीएमएफटी का गठन किया गया। राजस्थान डीएमएफटी नियम 2016 के अनुसार, डीएमएफटी का प्रबंधन गवर्निंग काउंसिल[6] में निहित है, जिसमें ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी[7] सदस्य होते हैं। प्रबंध समिति[8] ट्रस्ट की गतिविधियों के दैनिक प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। जिला मजिस्ट्रेट गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। खनि अभियंता डीएमएफटी के सदस्य सचिव हैं। शासन स्तर पर, खान एवं भूविज्ञान विभाग डीएमएफटी का प्रशासनिक विभाग है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, फरवरी 2019 में राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। दो करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं एसएलईसी की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही अनुमोदित की जा सकती हैं।

2.3.3 निधियों की प्राप्ति और उपयोग

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान (डीएमजी), डीएमएफटी की प्राप्तियों की मांग एवं संग्रहण हेतु शीर्ष निकाय है। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान के नियंत्रण में 49 खण्ड कार्यरत थे, जिनमें से प्रत्येक का प्रभार खनि अभियंता अथवा सहायक खनि अभियंता को सौंपा गया था। ।

राजस्थान राज्य 81 प्रकार के खनिज संपदा से समृद्ध हैं, जिनमें से 57 खनिजों का वाणिज्यिक दोहन किया जा रहा है। इन खनिजों में प्रधान खनिज जैसे सीसा, जस्ता, चाँदी, तांबा, वोलास्टोनाइट, बॉक्साइट, एस्बेस्टस, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट आदि तथा अप्रधान खनिजों में संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, निर्माण पत्थर, डोलोमाइट, क्वाट्र्ज, फेल्सपार, ग्रैवल, मिट्टी, बजरी आदि शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान खनिजों से प्राप्त कुल अधिशुल्क ₹23,939.76 करोड़ में से प्रधान खनिजों का योगदान ₹16,275.21 करोड़ और अप्रधान खनिजों का योगदान ₹7,664.55 करोड़ रहा।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13 के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारी डीएमएफटी में देय राशि ट्रस्ट के निजी निक्षेप खाते में जमा कराएगा, जिसकी सूचना उस अधिकारी को देगा जिसे अधिशुल्क का भुगतान करना है। खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता डीएमएफटी में अंशदान के संग्रहण, मिलान एवं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उत्तरदायी हैं।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ट्रस्टियों के पास नियमों में निर्दिष्ट शक्तियों एवं प्रावधानों के अधीन डीएमएफटी निधि का स्वामित्व होता है । प्रबंध समिति को क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने तथा डीएमएफटी निधियों को जारी और वितरण करने की शक्ति प्राप्त

6 गवर्निंग काउंसिलः एक निकाय जिसमें ट्रस्ट का प्रबंधन निहित होता है और जिसमें नामित ट्रस्टियों सहित सभी ट्रस्टी सदस्य होते हैं।

7 ट्रस्टीः राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 5(1) में वर्णित डीएमएफटी के सदस्य, जैसा कि इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 2.3.14 में चर्चा की गई है।

8 प्रबंध समितिः एक समिति जो ट्रस्ट के दैनिक कार्यों का प्रबंधन करती है।

है। हालांकि, प्रबंध समिति की अनुशंसाओं को गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, गवर्निंग काउंसिल को जिले में खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों को आर्थिक लाभ वितरण करने की भी शक्ति प्राप्त है।

2.3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या;

- राजस्थान डीएमएफटी नियमों और पीएमकेकेकेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी नियोजन एवं संस्थागत व्यवस्थाएं उपलब्ध थीं;
- डीएमएफटी के अंतर्गत प्राप्तियों के आंकलन, मांग और संग्रहण की प्रणाली विश्वसनीय और सक्षम थी;
- पीएमकेकेकेवाई के क्रियान्वयन हेतु डीएमएफटी की निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक एवं नियमों के अनुरूप किया गया;
- अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन पर्याप्त, समयोचित और दक्ष थे।

2.3.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंड पर आधारित हैं;

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के दिशा-निर्देश;
- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (समय-समय पर संशोधित);
- राजस्थान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016;
- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017;
- खान और खनिज (डीएमएफ में अंशदान) नियम, 2015;
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, राजस्थान कोषागार नियम 1999;
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, और
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य कोई प्रासंगिक आदेश, परिपत्र, निर्देश आदि।

2.3.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्यप्रणाली और नमूना प्रक्रिया

राजस्थान सरकार ने सितंबर 2015 में सभी 33 ज़िलों में डीएमएफटी की स्थापना की अधिसूचना जारी की। अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए यह निष्पादन लेखापरीक्षा, जुलाई 2023 से फरवरी 2024 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा के लिए 33 जिलों में से पाँच

डीएमएफटी/ज़िलों[9] (तीन उच्च जोखिम श्रेणी, एक मध्यम जोखिम और एक निम्न जोखिम श्रेणी से) का चयन रैंडम सैंपलिंग द्वारा किया गया। चयनित ज़िलों के आठ[10] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की भी जांच की गयी। प्रत्येक चयनित डीएमएफटी/ज़िला में 25 से 45 स्वीकृत एवं पूर्ण परियोजनाओं का परीक्षण और संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु चयन किया गया। डीएमएफ ट्रस्टों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत निष्पादित कुल 223 कार्यों के अभिलेखों की जाँच की गई। नियमित लेखापरीक्षाओं के दौरान डीएमएफ ट्रस्टों में ध्यान में आई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भी इस निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया है। संग्रहण के सम्बन्ध में, 2016 में डीएमएफटी निधि की स्थापना से अब तक निधि में अंशदान की जाँच की गई।

एक परिचयात्मक परिचर्चा (07 अगस्त 2023) अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग के राजस्थान सरकार के साथ आयोजित की गयी, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को जुलाई 2024 में प्रतिवेदित किये गये और 05 सितंबर 2024 को समापन परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। प्राप्त उत्तरों को अनुच्छेदों में उचित रूप से शामिल किया गया है।

2.3.7 आभार

लेखापरीक्षा, चयनित डीएमएफ ट्रस्टों के साथ-साथ निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा पीएमकेकेकेवाई के सम्बन्ध में किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में है। भाग 'अ' में राज्य में पीएमकेकेकेवाई के क्रियान्वयन से संबंधित आक्षेप सम्मिलित हैं, जबकि भाग 'ब' में चयनित डीएमएफ ट्रस्टों में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित आक्षेप सम्मिलित हैं।

भाग – अ

राज्य में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का कार्यान्वयन

जून 2016 में राजस्थान के सभी 33 जिलों में डीएमएफ ट्रस्टों की स्थापना की गई। इस भाग में राजस्थान राज्य में कानूनी ढांचे, योजना, लेखापरीक्षा एवं लेखांकन, डीएमएफटी अंशदान की

[9] उच्च जोखिमः भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और बाड़मेर; मध्यम जोखिमः भरतपुर और निम्न जोखिमः सीकर।

[10] भीलवाड़ा (खनि अभियंता भीलवाड़ा एवं खनि अभियंता बिजोलिया); भरतपुर (खनि अभियंता भरतपुर एवं सहायक खनि अभियंता रूपबास); बांसवाड़ा (खनि अभियंता बांसवाड़ा), बाड़मेर (खनि अभियंता बाड़मेर) एवं सीकर (खनि अभियंता सीकर एवं सहायक खनि अभियंता नीम का थाना)।

मांग एवं संग्रहण, खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता तंत्र आदि का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मार्च 2023 तक राजस्थान में डीएमएफटी के अंतर्गत कुल ₹7,926.86 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ, जिसमें से ₹6,583.13 करोड़ प्रधान खनिजों से एवं ₹1,343.73 करोड़ अप्रधान खनिजों से सम्बंधित है। 31 मार्च 2023 तक ₹5,626.63 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के साथ कुल 18,973 कार्यों को स्वीकृत किया गया, जिनमें से 12,335 कार्य पूर्ण किए जा चुके थे, 3,617 कार्य प्रगति पर थे जिन पर ₹3,505.99 करोड़ का व्यय हुआ, तथा शेष 3,021 कार्य निरस्त या परित्यक्त किये गये।

2.3.8 कानूनी ढाँचा

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9बी में यह उपबंधित है कि खनन संबंधित गतिविधियों से प्रभावित किसी भी जिले में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में ट्रस्ट स्थापित करेगी, जिसे जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) कहा जाएगा। डीएमएफटी का उद्देश्य खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हित और कल्याण के लिए कार्य करना होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। डीएमएफटी की संरचना और कार्य राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। बशर्ते कि केंद्र सरकार डीएमएफटी की संरचना और निधियों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

उपरोक्त के अनुपालन में, राजस्थान सरकार ने 31 मई 2016 को राज्य में राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 अधिसूचित किए। समय-समय पर इन नियमों को संशोधित किया जाता रहा है ।

राज्य सरकार ने इन नियमों में संशोधन कर (1 जुलाई 2020) राज्य खनिज निधि[11] की स्थापना की, जिसमें डीएमएफटी से राशि प्राप्त की जानी थी। भारत सरकार ने 12 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी किया कि राज्य खनिज निधि का निर्माण तथा डीएमएफटी निधियों का उसमें हस्तांतरण खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9बी के प्रावधानों का उल्लंघन है और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि डीएमएफ निधियों के उपयोग के संबंध में धारा 9 बी के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी परिस्थिति में डीएमएफ की निधियों को राज्य कोष/राज्य स्तरीय निधि/अन्य किसी निधि अथवा योजना में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा; और डीएमएफ निधि से किसी भी व्यय की स्वीकृति या अनुमोदन राज्य स्तर पर राज्य सरकार या किसी भी राज्य स्तरीय संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा।

यह भी देखा गया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने आदेश दिनांक 23 मई 2022 के द्वारा निर्देश जारी किए कि डीएमएफटी की निधियों से व्यय की स्वीकृति एवं भुगतान के लिए वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। यह भी कहा गया कि स्वीकृति/भुगतान बजट प्रस्तावों

[11] नियम 15 (7) दिनांक 01 जुलाई 2020 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया।

से संबंधित कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। उक्त आदेश भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में जारी निर्देशों के विपरीत था।

2.3.9 योजना निर्माण

प्रभावित क्षेत्र और लोगों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजना निर्माण आवश्यक है।

2.3.9.1 परिप्रेक्ष्य योजना

भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 24 जून 2022 द्वारा निर्देशित किया कि सभी प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का पूर्ण आच्छादन समयबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से करने हेतु दीर्घकालिक योजना निर्माण आवश्यक है। यह आवश्यक है कि परिप्रेक्ष्य योजनाएं इस प्रकार तैयार और क्रियान्वित की जाएं जिससे क्षेत्र और लोगों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार निम्नलिखित बिंदुओं को डीएमएफटी निधियों के उपयोग हेतु कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित नियमों में तत्काल प्रभाव से सम्मिलित करे:

- डीएमएफटी द्वारा परिप्रेक्ष्य योजना के निर्माण हेतु एक आधारभूत सर्वेक्षण कराया जाएगा।
- आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से पहचानी गई कमियों और निष्कर्षों के आधार पर, डीएमएफटी पांच वर्षों की अवधि हेतु रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
- पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों पर पृथक अनुभाग होंगे।
- पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को डीएमएफटी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ट्रस्ट की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने उपरोक्त बिंदुओं को सम्मिलित करने हेतु राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 में कोई संशोधन नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 में पीएमकेकेकेवाई के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है जिसमें पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना निर्माण का प्रावधान शामिल है। तदनुसार, राजस्थान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, मार्च 2025 तक इन नियमों में संशोधन नहीं किया गया था।

2.3.9.2 वार्षिक कार्य योजना

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 8 (ii) के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल डीएमएफटी के लिए वार्षिक कार्ययोजना एवं वार्षिक बजट तैयार कर अनुमोदित करेगी। यह वार्षिक

कार्ययोजना प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक माह पूर्व तैयार कर अनुमोदित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डीएमएफटी की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार नहीं किए गए और परिणामस्वरूप गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित भी नहीं किए गए। अतः पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भौतिक आधारभूत संरचना आदि से संबंधित परियोजनाएँ, जिनकी कुल लागत ₹5,626.63 करोड़ थी, 2018-19 से 2022-23 के दौरान राज्य में संबंधित ट्रस्ट निधियों से अनुमोदित कार्य योजना के अभाव में स्वीकृत की गईं ।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों/परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव संबंधित विभागों/एजेंसियों से समय पर प्राप्त नहीं हुए। इसलिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार नहीं की जा सकी। भविष्य में, नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

2.3.10 लेखा और लेखापरीक्षा

प्रबंध समिति द्वारा ट्रस्ट निधि से संबंधित अभिलेखों, दस्तावेजों एवं लेखा पुस्तकों का समुचित संधारण करेगा या उनके संधारण की व्यवस्था करेगा ताकि ट्रस्ट के कार्यकलापों की वास्तविक एवं यथार्थ स्थिति प्रदर्शित हो सके। ट्रस्ट के लेखों का लेखापरीक्षण प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कम से कम एक बार किया जाना आवश्यक है। वार्षिक खातों से संबंधित डेटाबेस निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग के पास उपलब्ध होना आवश्यक है।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के परीक्षण से यह पाया गया कि 17 जिलों में वर्ष 2022-23 तक के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षण पूर्ण कर लिया गया था। हालांकि, 16 जिलों[12] के वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक के 23 वार्षिक खाते फरवरी 2025 तक तैयार नहीं किए गए थे।

2.3.11 डीएमएफटी अंशदान की माँग एवं संग्रहण

पीएमकेकेकेवाई का सुगम क्रियान्वयन हेतु डीएमएफटी अंशदान की सतर्क एवं सुव्यवस्थित वसूली सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था। राजस्थान राज्य में, 31 मार्च 2023 तक कुल ₹7,926.86 करोड़ की डीएमएफटी अंशदान राशि प्राप्त हुई, जिसमें खनन पट्टाधारकों (जैसे खनन पट्टों, अल्पावधि अनुज्ञापत्र, ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रों) से प्राप्तियाँ, किसी भी प्रकार की अनुदान/अंशदान राशि एवं जमा पर अर्जित ब्याज शामिल हैं।

[12] चूरू (वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक), धौलपुर (वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक), बीकानेर और डूंगरपुर (वर्ष 2021- 22 से 2022-23 तक), तथा बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, पाली, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, कोटा और नागौर (वर्ष 2022-23)।

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों और आठ खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों[13] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा डीएमएफटी अंशदान की माँग और संग्रहण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए की गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि डीएमजीओएमएस[14] की ऑनलाइन माँग पंजिका में आंकलित डीएमएफटी अंशदान का कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा से संबंधित टिप्पणियों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

2.3.11.1 डीएमएफटी अंशदान के लिए माँग एवं संग्रहण पंजिका का संधारण न किया जाना

खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में डीएमएफटी अंशदान की समुचित वसूली, मिलान एवं सत्यापन सुनिश्चित करने हेतु एक पृथक माँग और संग्रहण पंजिका का संधारण किया जाना आवश्यक था। चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि डीएमएफटी अंशदान हेतु पृथक पंजिका न तो भौतिक रूप में और न ही ऑनलाइन मॉड्यूल में संधारित की गयी थी।

यह उल्लेखनीय है कि निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों की निगरानी के लिये एक ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली, अर्थात् डीएमजीओएमएस लागू की गई थी । इसके एक मॉड्यूल को खनन प्राप्तियों जैसे अधिशुल्क, दंड, विभिन्न शुल्क, ब्याज आदि की वसूली हेतु विकसित किया गया था। यह मॉड्यूल पट्टाधारकों से देय अधिशुल्क, स्थिर भाटक, विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि की जानकारी भी प्रदर्शित करता था। हालांकि, इस मॉड्यूल को डीएमएफटी अंशदान की देय राशि, योगदानकर्ताओं[15] से संग्रहण, विलंबित भुगतान पर ब्याज, अथवा योगदानकर्ताओं के ऋण/जमा शेष दर्शाने हेतु आगे और विकसित नहीं किया गया। इस प्रकार, इन पहलुओं की निगरानी हेतु प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप डीएमएफटी अंशदान की अवसूली, विलंबित भुगतान पर ब्याज का अपारोपण) आदि की स्थिति उत्पन्न हुई, जैसा कि प्रतिवेदन के भाग-'ब' में विस्तार से विवेचित किया गया है।

2.3.11.2 निर्माण विभागों से प्राप्त डीएमएफटी अंशदान का सत्यापन न किया जाना

आरएमएमसी, 2017 के नियम 51(9)(iv) के अनुसार, निर्माण विभाग जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग और वन विभाग जो सिविल निर्माण कार्यों में संलग्न हैं, साथ ही स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं एवं संबंधित संगठन, ऐसे प्रत्येक रनिंग बिल पर जहाँ ठेकेदार द्वारा अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान की कटौती के लिए विकल्प चुना गया है, वहाँ अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान की कटौती के

[13] खनि अभियंताः भीलवाड़ा, बिजोलिया, भरतपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सीकर तथा सहायक खनि अभियंता : रूपबास और नीम का थाना।

[14] डीएमजीओएमएसः राजस्थान के खान विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला डीएमजी ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली नामक एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। इस प्रणाली में विभिन्न मॉड्यूल हैं, जैसे पट्टा निर्देशिका, मांग एवं संग्रहण पंजिका आदि।

[15] पट्टाधारकों, अधिक अधिशुल्क संग्रहण/अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों एवं ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र धारकों आदि।

लिए उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त नियमों के अंतर्गत खनिजों के उपयोग के लिए ठेकेदार को अल्पावधि अनुज्ञापत्र (एसटीपी) जारी की जाती है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभिन्न निर्माण ठेकेदारों से वसूली गई अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान राशि निर्माण विभागों द्वारा संबंधित मदों में समेकित रूप से जमा की जा रही थी। हालांकि, कार्य-वार कटौती की गई अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान राशि न तो निर्माण विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई और न ही खनन विभाग द्वारा इसकी माँग की गई। कार्य-वार विवरण के अभाव में न तो खनन विभाग और न ही लेखापरीक्षा कटौती एवं जमा की गई राशि की शुद्धता का सत्यापन कर सके।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सीकर और बाड़मेर में कार्यान्वयन संस्थाओं को डीएमएफटी अंशदान की कटौती की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। बांसवाड़ा में डीएमएफटी अंशदान नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया। भरतपुर और भीलवाड़ा से डीएमएफटी अंशदान के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। बांसवाड़ा से संबंधित उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिशुल्क तथा संबंधित डीएमएफटी अंशदान की वसूली का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

2.3.11.3 डीएमएफटी निधि का मिलान

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के अनुसार, डीएमएफटी निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- सरकार या किसी अन्य एजेंसी, संस्था या व्यक्ति से प्राप्त कोई भी अनुदान, योगदान या कोई अन्य राशि;
- प्रत्येक खनन पट्टाधारक द्वारा हटाए गए और/या उसके आवंटित/अनुमोदित क्षेत्र के भीतर उपभोग किए गए खनिजों के संबंध में उनका योगदान;
- जमा पर अर्जित ब्याज और उससे प्राप्त कोई अन्य आय; तथा
- ट्रस्ट की अन्य सभी संपत्तियाँ एवं उनसे प्राप्त आय या मूल्य में वृद्धि।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13(5) के अनुसार, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता डीएमएफटी निधि में अंशदान की वसूली, मिलान और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उक्त राशि को अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए ट्रस्ट खाते में जमा करेंगे। वे, विभाग के वित्तीय सलाहकार, जो प्राप्तियों और व्यय के समुचित संधारण के लिए नोडल अधिकारी थे, को समय-समय पर सूचना प्रेषित करेंगे। नियमों में संशोधन (1 जून 2018) के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया एवं 1 जून 2018 से निधियों को ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खाते में जमा किया जाना था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि डीएमएफटी निधि का मिलान यथोचित रूप से नहीं किया गया, जैसा कि नीचे वर्णित है।

(क) डीएमएफटी निधि संग्रहण के आंकड़ों में अंतर

डीएमएफटी अंशदान संग्रहण की मार्च 2023 तक की प्रतिवेदनों, जो निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय में तैयार की गई थीं, की जांच से पता चला कि राजस्थान में कुल संग्रहण ₹7,926.86 करोड़ था। हालांकि, विभिन्न खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय को प्रेषित प्रमाणित आंकड़ों के अनुसार यह राशि ₹7,945.33 करोड़ थी। इस प्रकार, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय के नोडल अधिकारी और खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों में ₹18.47 करोड़ का अंतर पाया गया। चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने डीएमएफटी अंशदान के संग्रहण के आंकड़ों की जांच की एवं उनका निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय के आंकड़ों से मिलान किया। इसमें पाया गया कि भरतपुर को छोड़कर अन्य चयनित जिलों के आंकड़े मेल नहीं खाते थे। अतः यह स्पष्ट है कि डीएमएफटी अंशदान की प्राप्तियों का आँकड़ा समुचित रूप से संधारित नहीं किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आंकड़ों में अंतर संबंधित सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त करने के बाद प्रदान की जाएगी। हालांकि, 5 सितंबर 2024 को आयोजित समापन परिचर्चा में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह अंतर मुख्यतः ब्याज राशि को शामिल न किए जाने के कारण था। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि शीघ्र ही विस्तृत अनुपालन प्रस्तुत की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

(ख) केंद्रीकृत बैंक खाते में प्राप्त राशि का पूर्ण मिलान नहीं किया जाना

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 14 के अनुसार, डीएमएफटी निधि को ट्रस्ट के नाम से अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखा जाएगा और खाते को अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष या प्रबंध समिति[16] द्वारा अधिकृत प्रबंध समिति के किसी सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा। प्रबंध समिति इस निधि की लेखा पुस्तिकाओं का संधारण करेगी।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान कार्यालय के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि डीएमएफटी निधि संग्रहण हेतु 11 अगस्त 2016 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक केंद्रीकृत खाता खोला गया, जो उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन में था और 17 अक्टूबर 2019 तक संचालित रहा। इसके बाद संग्रहित राशि को उदयपुर कोषालय में 21 सितंबर 2016 को खोले गए केंद्रीकृत निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित किया गया। 31 मार्च 2022 तक उक्त निजी निक्षेप खाते में ₹823 करोड़ की अंशदान राशि और ₹10.70 करोड़ ब्याज के रूप में जमा था। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने अप्रैल 2022 में एक मिलान समिति का गठन किया जिससे निधियों को संबंधित डीएमएफटी को हस्तांतरित करने से पूर्व मिलान किया जा सके। 30 मार्च 2022 तक जमा ₹823 करोड़ में से समिति ने ₹792.85 करोड़ का मिलान सभी डीएमएफ ट्रस्टों से कर लिया और

[16] ट्रस्ट के दैनिक कार्यों के प्रबंधन हेतु गठित समिति।

₹ 817.62 करोड़ राशि सम्बंधित डीएमएफटी को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे 30 मार्च 2022 तक निजी निक्षेप खाते में ₹5.38 करोड़ शेष रहे।

इसके अतिरिक्त, तथ्यों की समीक्षा से यह भी पाया गया कि छह जिलों[17] को हस्तांतरित की गई राशि मिलान की गई राशि से ₹95.56 लाख कम थी, जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: डीएमएफटी को मिलान की गई राशि की तुलना में कम हस्तांतरित की गई राशि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिले का नाम	संबंधित डीएमएफटी द्वारा मिलान की गई राशि	केंद्रीय खाते से डीएमएफटी को हस्तांतरित राशि	कम हस्तांतरित की गई राशि
1	जयपुर	12,82,54,143	12,49,38,925	33,15,218
2	भरतपुर	3,47,25,755	3,22,24,000	25,01,755
3	सवाई माधोपुर	83,09,378	62,25,000	20,84,378
4	बीकानेर	7,89,01,388	7,74,97,208	14,04,180
5	पाली	31,56,21,227	31,53,72,000	2,49,227
6	अजमेर	57,39,93,134	57,39,92,000	1,134
	योग	**1,13,98,05,025**	**1,13,02,49,133**	**95,55,892**

यह भी पाया गया कि सहायक खनि अभियंता, हनुमानगढ़ द्वारा जमा की गई राशि का मिलान नहीं किया गया था, फिर भी केंद्रीय खाते से डीएमएफटी हनुमानगढ़ को ₹1.68 करोड़ की राशि बिना किसी आधार के हस्तांतरित की गई। अन्य 26 जिलों में, मिलान की गई राशि से ₹29.44 करोड़ अधिक राशि डीएमएफटी निधि को हस्तांतरित की गई।

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राप्त निधियों का समुचित रूप से मिलान नहीं किया गया और उन्हें बिना समुचित मिलान के हस्तांतरित कर दिया गया।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि केंद्रीकृत निजी निक्षेप खाते में संग्रहित समस्त राशि डीएमएफ ट्रस्टों को हस्तांतरित कर दी गई है, अतः वर्तमान में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, परंतु इस उत्तर के समर्थन में कोई प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रावधानों के विरुद्ध केंद्रीकृत खाता खोलने के कारणों की जानकारी नहीं दी गई और न ही डीएमएफटी को अधिक/कम राशि हस्तांतरित करने के कारणों को स्पष्ट किया गया।

(ग) केंद्रीकृत बैंक खाते में जमा की गई राशियों का बैंक में जमा नहीं पाया जाना

डीएमएफटी अंशदाताओ ने 17 अक्टूबर 2019 तक अपनी अंशदान राशि केंद्रीकृत बैंक खाते में जमा कराई थी। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने 7 सितंबर 2018 को सभी खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को पत्र जारी कर इस खाते की 33,629 प्रविष्टियों का मिलान करने के निर्देश

[17] जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, पाली और अजमेर।

दिये। मिलान संबंधी पत्राचार की जांच में पाया गया कि पांच[18] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों से संबंधित 160 प्रविष्टियों, जिनमें पट्टाधारकों द्वारा केन्द्रीकृत बैंक खाते में जमा की गई राशि ₹ 51.29 लाख शामिल थी, बैंक विवरणी में दर्ज नहीं थी।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान के अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि इस राशि का सत्यापन करने के लिए कोई प्रयास किया गया था। अतः बैंक खाते में प्रदर्शित जमा राशियों का मिलान नहीं हो सका।

सरकार ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि संबंधित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त होने के बाद अनुपालन प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

2.3.11.4 खनिजों के अवैध खनन/परिवहन की लागत में से डीएमएफटी अंशदान राशि जमा नहीं किया जाना

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(3) में प्रावधान है कि यदि कोई खनिज अवैध रूप से उत्खनन, निर्गमन या उपभोग किया गया हो, तो उसकी लागत वसूली जाएगी। लागत की गणना किराया, अधिशुल्क, पर्यावरणीय ह्रास की क्षतिपूर्ति तथा बिना वैध अधिकार भूमि के उपयोग पर देय कर आदि के प्रतिकर के रूप में उस खनिज की अधिशुल्क की दर से दस गुना मानी जाएगी।

लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि ना तो राज्य सरकार एवं ना ही निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा अवैध उत्खनन/परिवहन के प्रकरणों में वसूल की जाने वाली खनिज लागत में से डीएमएफटी अंशदान को संबंधित डीएमएफटी निधि में जमा कराने हेतु कोई निर्देश जारी किए गए थे। राजस्थान में यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के मामलों में ₹84.71 करोड़ की राशि खनिज लागत के रूप में वसूली की। इसमें ₹8.47 करोड़ अधिशुल्क और ₹84.71 लाख डीएमएफटी अंशदान के रूप में शामिल था। तथापि, यह डीएमएफटी अंशदान राशि संबंधित डीएमएफटी निधि में नियमानुसार जमा नहीं कराया गया।

सरकार ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि संबंधित कार्यालयों से जानकारी प्राप्त होने के बाद अनुपालना प्रस्तुत की जायेगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

2.3.12 खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर प्रभाव

खनन गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव खनिजों के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। भूमि क्षरण, खनन एवं खदान गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख प्रभावों में से एक है, जो मुख्यतः उत्खनन, ऊपरी मिट्टी के भंडारण, अपशिष्ट एवं ओवरबर्डन मिट्टी के डंपिंग के कारण भूमि संरचना में परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है।

[18] खनि अभियंताः ब्यावर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और सहायक खनि अभियंता टोंक।

खदानों से उड़ने वाली धूल के कारण वायु प्रदूषण, खनन एवं खदान विशेषकर सतही खदानों में, एक आम पर्यावरणीय समस्या है।

(i) खनन गतिविधियों का प्रमुख प्रभाव पत्थरों के खनन क्षेत्रों में देखा गया, जहाँ खदानों में कार्यरत लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चयनित जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 4,074 व्यक्तियों की पहचान सिलिकोसिस रोगी के रूप में की गई, जिनमें से 1,075 रोगियों की मार्च 2023 तक मृत्यु हो चुकी थी। इससे, यह स्पष्ट है कि खनन गतिविधियों के कारण खनन श्रमिकों का जीवन गंभीर रूप से जोखिम में पाया गया।

श्रेष्ठ प्रयास

भीलवाड़ा जिले में खनन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य की जाँच हेतु मोबाइल चिकित्सा वैन का संचालन डीएमएफटी भीलवाड़ा द्वारा किया जाता है। मोबाइल वैन का मुख्य उद्देश्य सिलिकोसिस रोगियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना था। नवम्बर 2021 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान कुल 294 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 19,671 लोगों की चिकित्सकीय जांच की गई, जिनमें से 1,952 व्यक्ति सिलिकोसिस के संदिग्ध पाए गए। इनमें से 144 व्यक्तियों को सिलिकोसिस प्रमाण-पत्र जारी किए गए। डीएमएफटी भीलवाड़ा की इस पहल से सिलिकोसिस के संभावित रोगियों की पहचान करने तथा खनन श्रमिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में प्रभावी सिद्ध हुआ है।



स्रोतः मोबाइल वैन और स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान संयुक्त निरीक्षण के समय लेखापरीक्षा दल द्वारा ली गई फ़ोटो

(ii) भारत, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (यूएनएसडीजी) का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, सतत विकास लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) के अंतर्गत खनन से क्षतिग्रस्त भूमि के पुनःस्थापन हेतु बाध्य है। तथापि, डीएमएफटी की कार्यप्रणाली सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप नहीं पाई गई।

आरएमएमसीआर नियम, 2017 के नियम 29(18) के अनुसार, यदि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को यह विश्वास हो कि खान समापन योजना में निर्धारित संरक्षण, पुनःस्थापन एवं पुनर्वास के उपाय योजना के अनुसार पूर्णतया या आंशिक रूप से नहीं किए गए हैं, तो वह जमा वित्तीय आश्वासन राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को जब्त करेगा, जिसे डीएमएफ ट्रस्ट में जमा किया जावेगा। प्रधान खनिजों के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 2017 के नियम 27 में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है।

डीएमजीओएमएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुल 6,300 खनन पट्टे निरस्तीकरण/समर्पण/पट्टा अवधि की समाप्ति/नवीनीकरण अस्वीकृति के कारण निष्क्रिय हैं। इन पट्टों का कुल आवंटित क्षेत्रफल 11,21,898 हेक्टेयर है। इन खनन पट्टों में कार्यरत खनन गड्ढों के पुनर्भरण से संबंधी कोई जानकारी डीएमजीओएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं पाई गई।

लेखापरीक्षा ने चयनित डीएमएफ ट्रस्टों में पाया कि खनन से उपयोग की गई भूमि के पुनःस्थापन से संबंधित कोई कार्य/परियोजना क्रियान्वित नहीं की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि जिन खनन पट्टों में खनन गड्ढों को नहीं भरा गया, उन पट्टों की वित्तीय आश्वासन राशि डीएमएफटी में जमा कराना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, अनधिकृत खनन के मामलों में सरकार द्वारा दोषियों से खनिज लागत की वसूली की गई, लेकिन खनन से क्षतिग्रस्त भूमि के पुनःस्थापन हेतु कोई कार्य नहीं किया गया।

2.3.13 सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का चौथा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था कितनी पर्याप्त, समयबद्ध और प्रभावी रही और क्या इसने योजना के निष्पादन में सुधार किया।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 नियम के 15(6) के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक डीएमएफटी को अद्यतन सूचना के साथ एक वेबसाइट का संधारण करना था। जिसमें डीएमएफटी की संरचना, खनन प्रभावित क्षेत्र एवं जनसंख्या का विवरण, प्राप्त त्रैमासिक अंशदान राशि आदि का विवरण शामिल हो। इसके अतिरिक्त, सभी खनन से संबंधित कार्य सूची, बैठक विवरण और कार्यान्वयन प्रतिवेदन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हों। वार्षिक योजनाएं, बजट, कार्यादेश एवं प्रतिवेदन भी उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही, चल रहे कार्यों की ऑनलाइन अद्यतन स्थिति डीएमएफटी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसकी अनुपालना में एक अनिवार्य घटक है।

2.3.13.1 वेबसाइट पर सूचना का अद्यतन न किया जाना

हालाँकि एक वेबसाइट 'डीएमएफ-वेबसाइट' उपलब्ध थी, परंतु उपरोक्त वर्णित जानकारी नियमित रूप से प्रकाशित और अद्यतन नहीं की जा रही थी।

ट्रस्ट के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में भी बकाया डीएमएफटी अंशदान की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी ट्रस्ट के संबंध में डीएमएफटी अंशदान की त्रैमासिक विवरणी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि विभाग में तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण डीएमएफ पोर्टल को समय पर अद्यतन नहीं किया जा सका, परन्तु अद्यतन कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। समापन परिचर्चा (5 सितंबर 2024) में खान विभाग के सचिव ने बताया कि भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा जिलों का डीएमएफ पोर्टल अद्यतन किया गया है तथा अन्य जिलों में कार्य प्रगति पर है। हालाँकि, लेखापरीक्षा को जांच के दौरान भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा के डीएमएफ पोर्टल अद्यतित नहीं पाये गये।

2.3.13.2 प्रतिवेदनों का तैयार करना एवं प्रस्तुतिकरण

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 18 के अनुसार, डीएमएफटी स्वीकृत योजनाओं एवं परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 45 दिनों के अन्दर तैयार करनी होगी तत्पश्चात इसे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को अग्रेषित कर उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित कराना होगा। नियम में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक डीएमएफटी का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट डीएमएफटी द्वारा तैयार नहीं की जा रही थी। इसके साथ ही, चूंकि वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, इसलिए उन्हें विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जैसा कि नियमों में अपेक्षित था।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि डीएमएफटी के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को अनुपालन हेतु निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

निष्कर्ष

पीएमकेकेकेवाई को डीएमएफटी द्वारा संचित निधियों का उपयोग करके खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों एवं जनसंख्या के कल्याण हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान सरकार ने 9 जून 2016 को सभी जिलों में डीएमएफटी का गठन किया। राजस्थान डीएमएफटी नियमों के अनुसार, डीएमएफटी का प्रबंधन गवर्निंग काउंसिल के अधीन निहित है, जिसमें ट्रस्ट के सभी न्यासी सदस्य सम्मिलित होते हैं तथा जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। डीएमएफटी क्षेत्र से संबंधित कानूनी ढांचे, योजना, लेखा

परीक्षण व लेखा प्रणाली, डीएमएफटी अंशदान की मांग और संग्रह, खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता तंत्र का समष्टिगत विश्लेषण दर्शाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए राजस्थान सरकार ने डीएमएफ ट्रस्टों को यह निर्देश जारी किए कि डीएमएफटी निधियों से स्वीकृति और भुगतान के लिए वित्त विभाग की पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। इसके अनुसार कार्यों को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्य योजना और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गयी। डीएमएफ ट्रस्टों के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षण पूर्ण नहीं किया गया। विभागीय ऑनलाइन प्रणाली डीएमजीओएमएस को देय डीएमएफटी अंशदान राशि, विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि प्रदर्शित करने हेतु विकसित नहीं किया गया। खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की लागत से संबंधित डीएमएफटी राशि को नियमों के अनुसार संबंधित डीएमएफटी निधियों में जमा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा निर्माण विभागों द्वारा जमा डीएमएफटी अंशदान राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों में इन जमाओं के सत्यापन हेतु कोई समुचित मिलान तंत्र उपलब्ध नहीं था। यह भी पाया गया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु खनन गतिविधियों से क्षतिग्रस्त भूमि के पुनःस्थापन हेतु कोई कार्य अथवा परियोजना नहीं ली गई। साथ ही, डीएमएफ वेबसाइट पर डीएमएफटी द्वारा आंकड़े नियमित रूप से अद्यतन नहीं किए जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा तैयार नहीं किये जा रहे थे।

अनुशंसाएं

सरकार/विभाग यह विचार कर सकते हैं:

- ***डीएमजीओएमएस के अंतर्गत एक मॉड्यूल विकसित करना, जो देय डीएमएफटी अंशदान राशि की निगरानी कर सके, समय पर जमा सुनिश्चित करे और विलंबित भुगतान पर ब्याज लगा सके।***
- ***खनिजों की अनधिकृत/अवैध उत्खनन या परिवहन के मामलों से प्राप्त राशि को डीएमएफटी को हस्तांतरित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना।***
- ***खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन करने और पीएमकेकेकेवाई के तहत इन प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान हेतु एक अध्ययन कराना।***
- ***त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों और वार्षिक प्रतिवेदनों की तैयारी और प्रस्तुति हेतु मानकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करना और उनका पालन कराना। इन प्रतिवेदनों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना ताकि पारदर्शिता और निगरानी में सुधार हो।***

भाग - ब

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों में पीएमकेकेकेवाई का क्रियान्वयन

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों का सूक्ष्म विश्लेषण जिसमें संस्थागत व्यवस्थाएँ, खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की पहचान, डीएमएफटी निधि का संग्रहण और उपयोग, परियोजना प्रबंधन और चयनित जिलों में निगरानी व्यवस्था शामिल है, इस भाग में प्रस्तुत किया गया है।

2.3.14 संस्थागत व्यवस्थाएँ

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रथम उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या राजस्थान डीएमएफटी नियमों एवं पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी योजना और संस्थागत व्यवस्थाएँ लागू थीं।

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 5 में प्रावधान है कि ट्रस्टियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के सामुदायिक प्रतिनिधियों की अनुशंसा संबंधित ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों में ट्रस्टियों की नामांकन एवं नियुक्ति से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं:

2.3.14.1 राज्य सरकार द्वारा ट्रस्टियों का नामांकन

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों के अभिलेखों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि:

• भरतपुर एवं बांसवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेटों ने (29 जून 2016 से 06 जनवरी 2017 के मध्य) राज्य सरकार को 36 ट्रस्टियों के नामांकन की सिफारिश प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार ने सिफारिश के पश्चात् चार वर्ष से अधिक की देरी के बाद (जुलाई 2021 में) 30 ट्रस्टियों की नियुक्ति की।

• अन्य चयनित जिलों[19] में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के पश्चात् छह से ग्यारह माह की देरी से राज्य सरकार द्वारा ट्रस्टियों की नियुक्ति की गई।

इंगित किये जाने पर, राज्य सरकार ने (सितंबर 2024) सीकर और बाड़मेर के डीएमएफटी कार्यालयों के उत्तर का समर्थन किया जिसमें कहा गया कि विलंब राज्य सरकार के स्तर पर हुआ।

[19] भीलवाड़ा, बाड़मेर और सीकर ।

2.3.14.2 प्रावधानों का उल्लंघन कर ट्रस्टियों की नियुक्ति

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, राजस्थान डीएमएफटी, नियम 2016 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि सामुदायिक प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए ग्राम सभाओं की भागीदारी आवश्यक है। हालांकि, चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश के बिना ही जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा सामुदायिक प्रतिनिधियों के नाम ट्रस्टी के रूप में नामांकन हेतु राज्य सरकार को अनुशंसित किये गए।

इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों ने वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि में विभिन्न श्रेणियों में कुल 85 व्यक्तियों के नाम ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार को अनुशंसित किये। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने इन डीएमएफ ट्रस्टों में कुल 88 ट्रस्टियों की नियुक्ति कर दी, जिनमें से 30 ट्रस्टियों की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेटों[20] की सिफारिश बिना ही कर दी गई।

राज्य सरकार ने (मार्च 2024 एवं अप्रैल 2025) उत्तर देते हुए बताया कि इन ट्रस्टियों को अब 18 दिसंबर 2023 को निरस्त कर दिया गया है तथा राजस्थान जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के नए नियमों की अधिसूचना के पश्चात ही ट्रस्टियों की नियुक्ति की जाएगी । यह अनुशंषा की जाती है कि सामुदायिक प्रतिनिधियों की ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति संबंधित ग्राम सभा की सिफारिश के अनुसार तथा अन्य सभी मामलों में नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश के अनुसार की जाए, जैसा कि नियमों में निहित है।

2.3.15 प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की पहचान

दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शामिल करने हेतु, डीएमएफटी खनन संबंधित गतिविधियों से प्रत्यक्ष[21] और अप्रत्यक्ष[22] रूप से प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची तैयार एवं संधारण करेगा। साथ ही, डीएमएफटी प्रभावित लोगों की भी अद्यतन सूची तैयार करेगा।

चयनित पाँच जिलों में से दो जिलों (भीलवाड़ा और भरतपुर) में यह देखा गया कि पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शामिल करने हेतु डीएमएफ ट्रस्टों ने खनन गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की कोई पृथक पहचान नहीं की, बल्कि संपूर्ण जिले को ही खनन प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया। जबकि सीकर, बांसवाड़ा एवं बाड़मेर जिलों में प्रभावित गांवों/क्षेत्रों की सूची तैयार की गई, जिसमें कुछ शहरी और गैर-खनन क्षेत्र भी बिना किसी औचित्य के सम्मिलित किए गए थे।

[20] भरतपुर (9), भीलवाड़ा (6), बाँसवाड़ा (12), सीकर (1) और बाड़मेर (2)।

[21] प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रः वे क्षेत्र जहाँ खनन संबंधित गतिविधियाँ सीधे रूप से होती हैं, जैसे कि वे गांव और ग्राम पंचायतें जिनके अंतर्गत खदानें स्थित हैं, खदान या खदानों के समूह से निर्धारित दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र (जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो), तथा वे गांव जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए खनन क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

[22] अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रः वे क्षेत्र जहाँ की स्थानीय जनसंख्या खनन संबंधित गतिविधियों के कारण उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

परिणामस्वरूप, कार्य/परियोजनाएं पीएमकेकेकेवाई के उद्देश्यों के अनुरूप तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों को लक्षित किए बिना ही क्रियान्वित की गईं।

राज्य सरकार ने (सितंबर 2024) सीकर और बाड़मेर के डीएमएफटी कार्यालयों का उत्तर अग्रेषित किया, जिसमें कहा गया कि अधिकांश कार्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही संपन्न हुए हैं। डीएमएफटी बांसवाड़ा ने बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों की सूची को अद्यतन किया जाएगा।

समापन परिचर्चा में शासन सचिव ने बताया कि भारत सरकार ने (जनवरी 2024) पीएमकेकेकेवाई के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें खनन प्रभावित क्षेत्रों की परिभाषा दी गई है। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर राजस्थान डीएमएफटी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.3.16 निधियों का संग्रहण

निष्पादन लेखापरीक्षा का दूसरा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या डीएमएफ ट्रस्टों के अंतर्गत मांग आंकलन और संग्रहण की प्रणाली विश्वसनीय और कुशल थी।

निधियों के संग्रहण से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जैसे कि ब्याज अर्जक खाते में राशि जमा न करना, अंशदान की वसूली न होना, ब्याज की कम वसूली, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि का अनियमित हस्तांतरण आदि, अनुवर्ती अनुच्छेदों में विवेचित किए गए हैं।

2.3.16.1 ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खाते में डीएमएफटी अंशदान जमा नहीं किया जाना

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 14 में जून 2018 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया था कि डीएमएफटी निधि को ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खाते में रखा जाएगा।

सभी चयनित जिलों में यह पाया गया कि डीएमएफ ट्रस्टों ने नियमों में निर्धारित अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते नहीं खोले। इसके स्थान पर, 12 अप्रैल 2017 से 09 जून 2017 के मध्य गैर-ब्याज-अर्जक निजी निक्षेप खाते खोले गये। बाद में, प्रत्येक डीएमएफटी में ब्याज अर्जक निजी निक्षेप खाते भी खोले गए (28 अक्टूबर 2020 से 21 जून 2021 के बीच)। यह भी पाया गया कि डीएमएफटी अंशदान की राशि गैर-ब्याज-अर्जक पी.डी. खातों में जमा की जा रही थी तथा बाद में इन खातों से राशि ब्याज अर्जक खातों में हस्तांतरित की गई।

समापन परिचर्चा (05 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने कहा कि ब्याज हानि की जांच की जाएगी और तदनुसार उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.3.16.2 डीएमएफटी अंशदान की वसूली न किया जाना

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13(1)(iii) के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टाधारक को अपने द्वारा हटाये गये और/या उसके लिए आवंटित/अनुमत क्षेत्र में उपभोग किये

गये किसी भी खनिज[23] के संबंध में डीएमएफटी निधि में अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है।

साथ ही, उपरोक्त नियमों के नियम 13(3) में यह प्रावधान है कि अप्रधान खनिजों के मामले में ट्रस्ट निधि में अंशदान की वसूली उन ठेकेदारों के माध्यम से की जायेगी, जिन्हें उस जिले में अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका[24] प्रदान किया गया है। ऐसे मामलों में, ट्रस्ट निधि में अंशदान की मासिक किस्त सीधे ठेकेदारों द्वारा ट्रस्ट खाते में जमा की जायेगी। नियम 13(5) के अनुसार, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता डीएमएफटी निधि में अंशदान की वसूली, मिलान तथा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उत्तरदायी होंगे।

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के खनन पट्टों, ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्रों तथा अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका से संबंधित अभिलेखों की जाँच एवं नियमित लेखापरीक्षा के दौरान डीएमएफटी अंशदान राशि ₹20.80 करोड़ की वसूली नहीं होने के मामले पाये गये हैं, जिनका विवरण **तालिका 2.3** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.3: वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान डीएमएफटी अंशदान की अप्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुज्ञा/अनुमति/ अनुबन्ध का प्रकार	प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किया जाने वाला डीएमएफटी अंशदान	प्राप्त डीएमएफटी अंशदान	अप्राप्त डीएमएफटी अंशदान की राशि	खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय का नाम
खनन पट्टे (अप्रधान खनिज)	710	8.41	5.49	2.92	भरतपुर, भीलवाड़ा, बिजोलियां, बाँसवाड़ा और सीकर
अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके	17	11.43	6.09	5.34	भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, नीम का थाना, नागौर, डूंगरपुर और जैसलमेर
खदान अनुज्ञप्तियाँ[25] (अधिशुल्क संग्रहण ठेका)	1	11.65	0.00	11.65	जोधपुर

[23] अप्रधान खनिजों के मामले में, राजस्थान एमएमसीआर, 1986 की पहली अनुसूची के अनुसार देय अधिशुल्क की दर पर दस प्रतिशत की दर से; तथा प्रधान खनिजों के मामले में, उन खनन पट्टों के लिए जो 12 जनवरी 2015 या उसके बाद स्वीकृत किए गए हैं, देय अधिशुल्क का दस प्रतिशत; और उन खनन पट्टों के लिए जो 12 जनवरी 2015 से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, देय अधिशुल्क का तीस प्रतिशत।

[24] अधिक अधिशुल्क संग्रहण अनुबंध का अर्थ है ऐसा अनुबंध, जिसके अंतर्गत खनन पट्टाधारी द्वारा अनुबंध में निर्दिष्ट क्षेत्र से निर्गमित विशिष्ट खनिज पर सरकार की ओर से वार्षिक स्थिर भाटक एवं अनुबंध में निर्धारित किसी भी अन्य शुल्क से अधिक अधिशुल्क एकत्रित की जाती है।

[25] खदान अनुज्ञप्तियां: आरएमएमसी नियम, 2017 के तहत खनिज अनुज्ञा के लिए प्रदत्त एक अनुज्ञप्ति, जिसमें अनुज्ञप्तिधारकों को अधिशुल्क से पृथक एक निर्धारित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करना होता है।

अनुज्ञा/अनुमति/ अनुबन्ध का प्रकार	प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किया जाने वाला डीएमएफटी अंशदान	प्राप्त डीएमएफटी अंशदान	अप्राप्त डीएमएफटी अंशदान की राशि	खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय का नाम
ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र	236	2.19	1.30	0.89	भरतपुर, रूपबास, भीलवाड़ा, बिजोलियां, सीकर, नीमका थाना हनुमानगढ़ और टोंक
योग	**964**	**33.68**	**12.88**	**20.80**	

स्रोतः खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि चयनित जिलों में ₹20.80 करोड़ की राशि प्राप्त प्राप्त नहीं हुई। अभिलेखों की आगे की जांच में पाया गया कि खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता डीएमएफटी निधि में अंशदान की निगरानी नहीं कर सके क्योंकि डीएमजीओएमएस पर संधारित मांग और संग्रहण पंजिका में केवल जमा की गई राशि ही प्रदर्शित की जा रही थी। डीएमएफटी अंशदान राशि इसमें प्रदर्शित नहीं हो रही थी। चयनित कार्यालयों में मैनुअल पंजिका/डीसीआर संधारित नहीं पाये गये। अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका के प्रकरणों में यह देखा गया कि 17 ठेके अनुबंध राशि जमा नहीं करने के कारण निरस्त कर दिये गये, अतः ₹ 5.34 करोड़ की डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली नहीं हो सकी। इस प्रकार, डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली हेतु निगरानी की प्रभावी व्यवस्था के अभाव तथा खदान अनुज्ञप्तिधारकों से अंशदान की वसूली के लिये उदासीनता के कारण ₹20.80 करोड़ की डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली नहीं हो सकी।

सरकार ने उत्तर (सितंबर 2024) में बताया कि सीकर में वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अन्य कार्यालयों के संबंध में अनुपालना शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी। समापन परिचर्चा (05 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने बताया कि बकाया राशि की ब्याज सहित वसूली की जा रही है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

खदान अनुज्ञप्तिधारकों के संबंध में डीएमएफटी अंशदान राशि की वसूली नहीं होने पर नीचे दिए गए प्रकरण के अध्ययन में चर्चा की गई है।

प्रकरण अध्ययन

खदान अनुज्ञप्तिधारकों को उनके खनन क्षेत्रों से उत्खनन किए गए खनिजों का निर्गमन बिना किसी रवन्ना/अनुमति के कर सकते है। साथ ही, खदान अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से उत्खनन एवं निर्गमित किए गए खनिजों को दर्शाने के लिए कोई प्रतिवेदन निर्धारित नहीं था। अतः इन खनिजों पर अधिशुल्क संग्रह सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अधिशुल्क संग्रहण संविदाएं दी जा रही थीं।

जोधपुर[26] में, एक संविदा (मार्च 2016) में ठेकेदार को तहसील जोधपुर के खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्रों से निर्गमित सैंडस्टोन खनिज पर अधिशुल्क संग्रहण के लिए 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2018 की अवधि हेतु प्रदान की गई। वार्षिक संविदा राशि ₹62.93 करोड़ थी। इसके पश्चात् राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 दिनांक 31 मई 2016 को अधिसूचित किए गए। फलस्वरूप, संविदा में डीएमएफटी अंशदान को सम्मिलित करने हेतु खनि अभियंता, जोधपुर ने 15 जून 2016 को वार्षिक संविदा राशि संशोधित कर ₹69.22 करोड़ की और ठेकेदार को पूरक अनुबंध निष्पादित करने के निर्देश दिए। ठेकेदार ने पूरक अनुबंध निष्पादित नहीं किया और खनि अभियंता के आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12 जुलाई 2016 को खनि अभियंता के आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया। अतः 01 जून 2016 से 04 अप्रैल 2018 की संविदा अवधि के दौरान डीएमएफटी अंशदान राशि ठेकेदार द्वारा संग्रहित नहीं किया गया।

चूंकि ठेकेदार पर खदान अनुज्ञप्तिधारकों से अधिशुल्क के साथ डीएमएफटी अंशदान की वसूली का दायित्व स्थगनादेश की अवधि में लागू नहीं था, अतः संबंधित खनि अभियंता को डीएमएफटी अंशदान के संग्रहण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, जैसे कि विभागीय चेकपोस्ट स्थापित करना अथवा नई संविदा प्रदान करना। तथापि, ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए, जबकि डीएमएफटी अंशदान केवल खनिजों के खदान क्षेत्रों से निर्गमन के समय ही वसूल किया जा सकता था। खनिजों के निर्गमन के बाद विभाग के पास उत्खनन एवं निर्गमन संबंधी डेटा उपलब्ध नहीं था। खदान अनुज्ञप्तिधारकों के लिए रवन्ना/विवरणी प्रणाली के अभाव में यह आंकलन कर पाना संभव नहीं था कि किस अनुज्ञापत्रधारी ने कितनी मात्रा में खनिजों का निर्गमन किया।

इस प्रकार, विभाग द्वारा डीएमएफटी अंशदान वसूल नहीं किये जाने के कारण ₹11.65 करोड़[27] की राशि, जो कि 01 जून 2016 से 04 अप्रैल 2018 की अवधि के लिए वार्षिक ठेका राशि के आधार पर गणना की गई थी, डीएमएफटी निधि में प्राप्त नहीं हो सकी।

खनि अभियंता ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए जाने के कारण डीएमएफटी अंशदान वसूल नहीं किया जा सका। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभागीय चेक पोस्ट की स्थापना द्वारा डीएमएफटी अंशदान की वसूली पर कोई स्थगन आदेश नहीं था।

समापन परिचर्चा (05 सितम्बर 2024) में शासन सचिव ने जवाब प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। मार्च 2025 तक प्रगति प्रतीक्षित थी। तथ्य यह है कि विभाग के पास खदान अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा निर्गमित खनिजों का आंकलन करने की कोई व्यवस्था न होने से ₹11.65 करोड़ की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

[26] यह इकाई नियमित लेखापरीक्षा का एक हिस्सा थी।

[27] 01.06.2016 से 04.04.2018 की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा जमा की गई अधिशुल्क ₹116.47 करोड़ का 10 प्रतिशत होता है।

2.3.16.3 ब्याज की वसूली न करना/कम वसूली करना

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13 ए के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नियम 13(1) में विनिर्दिष्ट डीएमएफटी अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे प्रधान खनिजों एवं अप्रधान खनिजों के मामलों में देरी से भुगतान पर क्रमशः खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों को छोड़कर) रियायत नियम, 2016 के तहत प्रति वर्ष 24 प्रतिशत तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के तहत प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा।

चयनित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच तथा नियमित लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता द्वारा अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका/खनन पट्टों द्वारा डीएमएफटी अंशदान राशि ₹ 137.53 करोड़ देरी से जमा कराये जाने पर या तो ब्याज की वसूली नहीं की गई या कम की गई, जिससे कुल ₹42.13 करोड़ की ब्याज राशि अवसूलनीय रही, जिसका विवरण **तालिका 2.4** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.4: डीएमएफटी अंशदान देरी से जमा राशि पर ब्याज की वसूली नहीं करने/कम वसूली करने का विवरण

(**₹ करोड़ में**)

क्र. सं.	अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका/खनन पट्टे	संख्या	देरी से जमा राशि	देरी दिनों में	वसूलनीय ब्याज
1.	अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका	16[28]	30.37	01 से 1003 दिन	2.27
2.	खनन पट्टे (प्रधान खनन पट्टे)	7[29]	107.16	03 से 2160 दिन	39.86
	योग	**23**	**137.53**		**42.13**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि खनि अभियंता, जोधपुर के अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका के दो प्रकरणों में ₹38.00 लाख की ब्याज राशि वसूल की जा चुकी है। अन्य मामलों के संबंध में यह उत्तर दिया गया कि प्रकरणों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, मांग पंजिका के संधारण नहीं किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

[28] अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका (16): खनि अभियंता भीलवाड़ा (8), खनि अभियंता बिजोलियां (2), खनि अभियंता भरतपुर (1), खनि अभियंता जैसलमेर (1), खनि अभियंता जोधपुर (2), खनि अभियंता डूंगरपुर (1) और खनि अभियंता नीमका थाना (1)

[29] खनन पट्टे (7): खनि अभियंता चित्तौडगढ (2), खनि अभियंता सोजत सिटी (2), खनि अभियंता अजमेर (1)और खनि अभियंता उदयपुर (2)

2.3.17 डीएमएफटी निधि में वित्तीय आश्वासन की राशि

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 29 (18) के अनुसार, जब संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता को यह उचित आधार प्रतीत होता है कि खान समापन योजना में वर्णित सुरक्षात्मक, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन उपायों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लागू नहीं किया गया है, तो वह वित्तीय आश्वासन[30] की राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को जब्त कर सकता है तथा संबंधित राशि डीएमएफटी में जमा की जाएगी।

चयनित जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 92 खनन पट्टों[31] और 17 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के मामलों में विभाग द्वारा ₹75.59 लाख की वित्तीय आश्वासन राशि जब्त की जानी थी। परंतु 85 खनन पट्टे और 17 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के मामलों में ₹ 71.14 लाख ही जब्त किये क्योंकि पांच खनन पट्टों में पट्टाधारकों द्वारा वित्तीय आश्वासन राशि जमा नहीं की गई थी और दो प्रकरणों में वित्तीय आश्वासन राशि भारतीय खान ब्यूरो के पास जमा थी। जब्त की गयी ₹71.14 लाख में से सात प्रकरणों से सम्बंधित ₹6.25 लाख की राशि खनि अभियंता भीलवाड़ा द्वारा डीएमएफटी निधि में जमा करवाई गई। शेष प्रकरणों से सम्बंधित ₹64.89 लाख की वित्तीय आश्वासन राशि जब्त कर लेने के बाद भी शेष डीएमएफटी निधि में जमा नहीं करवाई गई। फलस्वरूप, डीएमएफटी को ₹64.89 लाख की प्राप्ति से वंचित होना पड़ा।

सरकार ने (सितंबर 2024) उत्तर दिया कि वित्तीय आश्वासन राशि को डीएमएफटी निधि में जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.3.18 डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा निधि का उपयोग

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का तीसरा लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या डीएमएफटी से पीएमएकेकेकेवाई के क्रियान्वयन हेतु निधियों का उपयोग प्रभावी रूप से और नियमों के अनुसार किया गया। योजना के क्रियान्वयन में परिकल्पित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निधियों का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में 31 मार्च 2023 की तक कुल 18,973 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 12,335 कार्य पूर्ण किये गये तथा 3,617 कार्य प्रगतिरत थे। चयनित जिलों में 4,273 कार्य स्वीकृत किये गये, जिनमें से 2,862 कार्य पूर्ण हुये एवं 718 कार्य उक्त अवधि के दौरान प्रगति पर थे। विवरण ***परिशिष्ट-3*** में दिया गया है।

[30] वित्तीय आश्वासनः वित्तीय आश्वासन से तात्पर्य खनन पट्टा या खनन अनुज्ञाधारक, जो भी लागू हो, द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई उस जमानत से है, जो खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के समापन के बाद पुनर्वास एवं पुनःस्थापन की लागत के विरुद्ध प्राधिकरणों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए दी जाती है।

[31] खनि अभियंता भीलवाड़ा (70), खनि अभियंता भरतपुर (14), खनि अभियंता सीकर (8) और खनि अभियंता बाड़मेर (17 एसटीपी)।

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, चयनित जिलों में डीएमएफटी के तहत कुल ₹ 2,833.11 करोड़ का अंशदान का संग्रहण था। यह महत्वपूर्ण राशि इस बात को रेखांकित करती है कि खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों के हित में संसाधनों का प्रभावी और पारदर्शी वित्तीय पर्यवेक्षण के साथ उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। चयनित डीएमएफटी में प्राप्त अंशदान **तालिका 2.5** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.5: चयनित जिलों में प्राप्त डीएमएफटी अंशदान राशि का विवरण

क्र.सं.	डीएमएफटी का नाम	प्राप्त डीएमएफटी अंशदान (₹ करोड़ में)
1.	भरतपुर	58.20
2.	भीलवाड़ा	2,514.54
3.	बाँसवाड़ा	43.50
4.	सीकर	39.38
5.	बाड़मेर	177.49
	योग	**2,833.11**

स्रोतः निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर द्वारा प्रदान की गई सूचना |

लेखापरीक्षा ने डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा निधि के कुशल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु इन डीएमएफटी अभिलेखों की जाँच की और पाया कि:

- ***राज्य खनिज निधि का अनियमित गठन***

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 15(3)(II)(ए) में प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियाँ, यथासंभव, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक स्वरूप में होनी चाहिए। डीएमएफटी द्वारा की गयी विकासात्मक और कल्याणकारी गतिविधियों को राज्य योजना के लिये अतिरिक्त बजटीय संसाधन माना जाना चाहिए।

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया कि राज्य खनिज निधि के लिए एक निजी निक्षेप खाता (3 दिसंबर 2020) खोला गया था जिसमें 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2023 के दौरान विभिन्न डीएमएफटी द्वारा ₹ 1,200.63 करोड़ हस्तांतरित किये गये। भारत सरकार के आदेश (12 जुलाई 2021), जिसमें डीएमएफटी से कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं करने के निर्देश दिए गए थे, के बावजूद, ₹ 45.93 करोड़ की राशि विभिन्न डीएमएफटी से राज्य खनिज निधि खाते में हस्तांतरित की गई। हालांकि, 07 जुलाई 2022 के बाद डीएमएफटी द्वारा राज्य खनिज निधि में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की गई।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियमों में राज्य खनिज निधि की स्थापना के लिए किया गया प्रावधान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर राज्य खनिज निधि से विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं में धनराशि का हस्तांतरण भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था। उदाहरणस्वरुप एक मामले पर आगे चर्चा की गई है:

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में एक कल्याणकारी योजना "इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना" (आईजीएमपीवाई) प्रारंभ की थी, जो प्रारंभ में पाँच[32] जिलों में लागू की गई तथा बाद में 2022-23 में पूरे राज्य में विस्तारित की गई। निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 से 2022-23[33] के दौरान आईजीएमपीवाई के नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग को डीएमएफटी निधि से ₹ 161.33 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। यह धनराशि राज्य सरकार के निर्देश पर हस्तांतरित की गई थी। अतः ₹ 161.33 करोड़ की डीएमएफटी निधि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा बजटीय योजना पर किया गया, जो उपरोक्त प्रावधानों के प्रतिकूल था।

सरकार ने (सितंबर 2024) में कहा कि निधियों का स्थानांतरण राज्य सरकार के आदेश/निर्देशों के अनुसार किया गया था। समापन परिचर्चा (05 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

2.3.19 कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए अग्रिमों की निगरानी

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 12(viii) में प्रावधान है कि प्रबंध समिति ट्रस्ट की निधियों के उपयोग की प्रगति की निगरानी करेगी। उक्त नियमों के नियम 18(4) में प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर ट्रस्ट द्वारा तैयार की जायेगी।

डीएमएफटी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि डीएमएफटी द्वारा अनुमोदित कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, चयनित डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और उनके अभिलेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत सड़कों, कक्षाओं, अस्पताल भवनों के निर्माण, चिकित्सा उपकरणों की खरीद, जलापूर्ति आदि से संबंधित कार्यों/परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 67.67 करोड़ की अग्रिम राशि दी गई थी। यह अग्रिम राशि 31 मार्च 2023 तक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के पास समायोजन के लिये लंबित थी, जैसा कि **तालिका 2.6** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.6: कार्यान्वयन एजेंसियों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि का विवरण

डीएमएफटी का नाम	31 मार्च 2023 की स्थिति में अग्रिम राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी, यदि कोई हो
भीलवाड़ा	45.79	31 मार्च 2022 तक दिये गये अग्रिम
बांसवाड़ा	1.25	वर्ष 2021-22 में दिये गये अग्रिम
बाड़मेर	20.63	31 मार्च 2022 तक दिये गये अग्रिम
कुल	**67.67**	

स्रोतः जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों से संकलित सूचना।

[32] बारां, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर।

[33] ₹ 161.33 करोड़: वर्ष 20-21: ₹19.65 करोड़ (राज्य खनिज निधि से भारत सरकार के निर्देशों से पूर्व); वर्ष 2021-22: ₹41.88 करोड़ (राज्य खनिज निधि से भारत सरकार के निर्देशों से पूर्व) और वर्ष 2022-23:₹99.80 करोड़।

निगरानी तंत्र के अभाव में, कार्यों पर निधियों का समुचित उपयोग समय पर सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि बाड़मेर में कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

समापन परिचर्चा (05 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने कहा कि निधियों के उपयोग को ज़िला कलेक्टरों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.3.20 गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन के बिना कार्यों की स्वीकृति

चयनित ज़िलों के लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि डीएमएफटी भीलवाड़ा को छोड़कर, शेष चार डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा संबंधित गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹27.20 करोड़ की 52 परियोजनाओं[34] को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति के अभाव में यह कार्य अनियमित थे।

इस प्रकार की कार्यप्रणाली, स्थापित संस्थागत व्यवस्थाओं के महत्व और प्रभावशीलता को कमज़ोर करती है, जिससे निगरानी और जवाबदेही प्रभावित होती है।

सीकर जिले के एक मामले में, प्रबंध समिति ने 31 मई 2023 को विद्यालयों में 175 सूचना एवं संचार तकनीकी (आईसीटी) लैब स्थापित करने हेतु ₹1.33 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। तथापि, गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। इसके बावजूद, पूर्ण राशि कार्यान्वयन एजेंसी (अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, सीकर) को हस्तांतरित कर दी गई। जुलाई 2023 में, वित्तीय स्वीकृति को संशोधित कर ₹14.39 लाख कर दिया गया, जिससे केवल 19 आईसीटी लैब खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में स्थापित की जानी थीं, क्योंकि एक ट्रस्टी ने शेष 156 विद्यालयों को राशि आवंटित करने का विरोध किया था, क्योंकि वे खनन प्रभावित क्षेत्र में स्थित नहीं थे। परिणामस्वरूप, ₹ 1.18 करोड़ की राशि कार्यान्वयन एजेंसी के पास शेष रह गई।

सरकार ने (सितंबर 2024) को स्वीकार किया कि कार्यों को गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था और उन्हें स्वीकृत कराया जायेगा।

2.3.21 ग्राम सभाओं की स्वीकृति के बिना गवर्निंग काउंसिल द्वारा कार्यों की स्वीकृति

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 15(4) में प्रावधान है कि (क) पीएमकेकेकेवाई तथा राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लिये जाने वाले सभी

[34] भरतपुर (27), बाँसवाड़ा (1), सीकर (1) और बाड़मेर (23)

योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिये, (ख) अनुसूचित क्षेत्रों[35] में स्थित खनन प्रभावित ग्रामों के संबंध में सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान हेतु, ग्राम सभा का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम में ट्रस्ट के अंतर्गत किये गये कार्यों का प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ग्राम सभा को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीएमएफटी बांसवाड़ा द्वारा 31 मार्च 2023 तक कुल 139 कार्य किये गये, जिनमें से 114 कार्य पूर्ण हो चुके थे और 25 कार्य प्रगतिरत थे। अनुमानित लागत ₹26.63 करोड़ के विरुद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹21.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं:

(i) डीएमएफटी बांसवाड़ा की गवर्निंग काउंसिल ने (07 सितंबर 2021) वन विभाग को दो निर्माण कार्यों (वन रक्षक चौकी का निर्माण- ₹10 लाख एवं वॉच टावर का निर्माण- ₹6 लाख) की लागत ₹16 लाख की स्वीकृति प्रदान की। दिसंबर 2021 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई तथा राशि ₹8 लाख की वन विभाग को हस्तांतरित की गई। अप्रैल 2022 में ये दोनों निर्माण कार्य निरस्त कर दिये गये।

तत्पश्चात इन कार्यों के स्थान पर, माही बांध के किनारे "चाचाकोटा में वन रक्षक चौकी का निर्माण" नामक एक नये कार्य को गवर्निंग काउंसिल द्वारा (अप्रैल 2022) अनुमोदित किया गया। जून 2022 में ₹30.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई और ₹15.29 लाख (दिसंबर 2021 में हस्तांतरित ₹8 लाख सहित) की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। जांच में पाया गया कि ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। इसके अलावा, वन रक्षक चौकी के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹30.59 लाख कर दी गई।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि वन क्षेत्र में पहाड़ी की चोटी पर 'अतिथि गृह' का निर्माण कार्य प्रगति पर था।

[35] अनुसूचित क्षेत्र: अनुसूचित क्षेत्रों में निधि के उपयोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 244 के साथ पढ़े गये अनुसूची V और अनुसूची VI में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों, "पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996" तथा "अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगी।





स्रोतः संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान समीक्षा दल द्वारा वन चौकी के नाम से अतिथि गृह के निर्माण की वास्तविक साइट की तस्वीर ली गई।

इस प्रकार, वन चौकी के नाम पर गेस्ट हाउस के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड को अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया।

(ii) बांसवाड़ा (अनुसूचित क्षेत्र) में यह देखा गया कि "खनन प्रभावित क्षेत्र में 44 आंगनवाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में विकास" कार्य ₹ 3.48 करोड़ की लागत से दिनांक 5 जुलाई 2018 को गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 26 अगस्त 2018 को जारी की गई, जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया। दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन किया गया, जिसमें कार्यकारी एजेंसी को महिला एवं बाल विकास विभाग में परिवर्तित किया गया और स्वीकृति में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि संबंधित ग्राम सभाओं की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। किन्तु, संबंधित ग्राम सभाओं की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को ₹ 3.49 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। इसके पश्चात डीएमएफटी द्वारा जिला परिषद बांसवाड़ा को ₹ 1.74 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी गई। तत्पश्चात, यह कार्य दिनांक 20 दिसंबर 2019 को गवर्निंग काउंसिल द्वारा बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिया गया और और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को डीएमएफटी खाते में शेष राशि जमा कराने के निर्देश दिए। जिला परिषद ने दिनांक 20 मई 2020 को सूचित किया कि ₹ 1.62 करोड़ की राशि डीएमएफटी के खाते में जमा करा दी गई है और शेष राशि ₹ 12.54 लाख विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और विज्ञापन पर व्यय की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संबंधित ग्राम सभाओं के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से निधि का हस्तांतरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.54 लाख अपव्यय हुआ।

2.3.22 गवर्निंग काउंसिल में समुचित जांच के बिना कार्यों की स्वीकृति

बाड़मेर में यह पाया गया कि 29 कार्य (15 शिक्षा विभाग से संबंधित एवं 14 पीएचईडी से संबंधित) जिनकी लागत ₹1.61 करोड़ थी, अक्टूबर 2016 से सितंबर 2018 के मध्य गवर्निंग

काउंसिल द्वारा अनुमोदित किये गये। इन 29 कार्यों हेतु ₹1.61 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां दिसंबर 2017 से सितंबर 2021 के बीच जारी की गई। तदनुसार, ₹91.50 लाख शिक्षा विभाग से संबंधित 15 कार्यों हेतु कार्यकारी एजेंसियों[36] को तथा ₹25.12 लाख पीएचईडी को हस्तांतरित किये गये। ये कार्य (5 अप्रैल 2021 को) भूमि की अनुपलब्धता, अन्य योजनाओं से निधि प्राप्त हो जाने, भूमि विवाद आदि कारणों से निरस्त कर दिये गये। परन्तु डीएमएफटी द्वारा कार्यकारी एजेंसी को हस्तांतरित की गई राशि वापस प्राप्त नहीं हुई थी। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ये कार्य गवर्निंग काउंसिल द्वारा प्रस्तावों की समुचित जांच के बिना अनुमोदित किये गये थे।

समापन परिचर्चा (5 सितंबर 2024) में, डीएमएफटी बाड़मेर के सदस्य सचिव ने बताया कि उपर्युक्त कार्यों हेतु दी गई राशि अधिकांश मामलों में संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के अन्य कार्यों में समायोजित कर दी गई है। हालांकि, विस्तृत उत्तर बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.3.23 ग्राम सभाओं को कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन अग्रेषित न करना

नियम 15(4)(ii) के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन प्रभावित गांवों में ट्रस्ट द्वारा किये गये कार्यों का प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

चयनित पांच जिलों में से बांसवाड़ा जिला एक अनुसूचित क्षेत्र है। यह पाया गया कि डीएमएफटी बांसवाड़ा द्वारा मार्च 2023 तक कुल 139 कार्य किए गए, किंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद डीएमएफटी बांसवाड़ा द्वारा ग्राम सभाओं को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसी व्यवस्था के अभाव में, लक्षित लाभार्थी परियोजनाओं की निगरानी नहीं कर सके और उससे लाभान्वित नहीं हो सके। उपरोक्त के मद्देनजर, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाये गये प्रावधान अप्रभावी रहे।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि भविष्य में कार्यों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से ग्राम सभाओं को प्रेषित की जायेगी।

2.3.24 परियोजना प्रबन्धन

चयनित जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान कुल 223 कार्यों को विस्तृत नमूना जांच के लिए चुना गया। इनमें से 204 कार्य पूर्ण हो चुके थे, 16 कार्य प्रगति पर थे, दो कार्य परित्यक्त किये गये और एक कार्य निरस्त कर दिया गया। डीएमएफटी द्वारा कार्यकारी एजेंसियों को कुल ₹225.89 करोड़ जारी किये गये। मार्च 2024 तक कार्यकारी एजेंसियों द्वारा ₹206.84 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका था।

[36] जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किए गए हैं:

2.3.24.1 आरटीपीपी अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर कार्यों का क्रियान्वयन

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 15(5) में प्रावधान है कि वस्तु और सेवाओं का उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार की जानी चाहिये। कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित कार्यकारी एजेंसी के लेखा नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

आरटीपीपी अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अनुसार, उपापन इकाई की यह जिम्मेदारी होगी कि (क) कार्यक्षमता, अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करे; (ख) निविदाकारों के साथ निष्पक्ष और समतुल्य व्यवहार करे; (ग) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे; और (घ) भ्रष्टाचार रोकने हेतु तंत्र स्थापित करे।

चयनित डीएमएफटी और कार्यकारी एजेंसियों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वस्तु की खरीद और परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) भीलवाड़ा में 'राजकीय अस्पतालों में नवजात शिशुओं को बेबी किट वितरण' के एक कार्य को गवर्निंग काउंसिल की बैठक 16 सितंबर 2017 में अनुमोदित किया गया। 44,000 बेबी किट की खरीद और वितरण हेतु ₹39.16 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (13 सितंबर 2019) जारी की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा ने निविदा आमंत्रित किये बिना और किट में आवश्यक वस्तुओं का विवरण दिए बिना ही क्रय आदेश (₹38.81 लाख) जारी कर दिया (16 जनवरी 2020)। आपूर्तिकर्ता फर्म ने जनवरी 2020 में चार खेपों में 44,000 किटों की आपूर्ति की और डीएमएफटी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को राशि ₹38.81 लाख का भुगतान (5 मार्च 2020) किया गया।

प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना किटों की खरीद राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन करते हुये व्यय को नियमित किया गया। इस प्रकार, कार्य/परियोजना का क्रियान्वयन नियमों के अनुरूप नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹38.81 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

(ii) बाड़मेर में 24 जनवरी 2018 को आयोजित गवर्निंग काउंसिल की बैठक में "लीलाधोरा में शहरी वृक्षारोपण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य" नामक कार्य को स्वीकृति दी गई, जिसकी कुल लागत ₹50 लाख थी। उप वन संरक्षक बाड़मेर को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया। प्रशासनिक स्वीकृति 27 मार्च 2018 को तथा वित्तीय स्वीकृति 7 अगस्त 2018 को जारी की गई। ट्रस्ट द्वारा

कार्यकारी एजेंसी को ₹37.50 लाख की पहली किश्त 16 अक्टूबर 2018 को हस्तांतरित कर दी गई।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यकारी एजेंसी ने प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री/सेवाएं प्राप्त कर कार्य निष्पादित किया। परिणामस्वरूप, ₹37.50 लाख की संपूर्ण राशि अनियमित रूप से व्यय की गई। इसके बावजूद ट्रस्ट ने ट्रस्ट फण्ड के उपयोग की प्रभावी निगरानी नहीं की और कार्यकारी एजेंसी ने आरटीपीपी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया।

समापन परिचर्चा (5 सितंबर 2024) में शासन सचिव ने बताया कि इन मामलों को कार्यकारी एजेंसियों के समक्ष उठाया जाएगा एवं विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। विस्तृत उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.3.24.2 बजट कार्यों के लिये डीएमएफटी निधियों का विचलन

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 15(3)(II)(ए) में प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत की जाने वाली विकासात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियाँ यथासंभव राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित चालू योजनाओं/परियोजनाओं के पूरक स्वरूप की होनी चाहिए। हालाँकि, ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली विकासात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियों को राज्य योजना के लिये अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में माना जायेगा।

चयनित जिलों में यह पाया गया कि महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बजट में ₹57.05 करोड़ की लागत के दस कार्यों/परियोजनाओं[37] को सम्मिलित किया गया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के अतिरिक्त सचिव ने (जनवरी 2021) सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे इन विभागों द्वारा पहले से अनुमोदित कार्यों/परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने हेतु डीएमएफटी की स्वीकृति प्राप्त करें। यह देखा गया कि बांसवाड़ा, बाड़मेर और सीकर में तीन कार्यों/परियोजनाओं को छोड़कर, संबंधित गवर्निंग काउंसिल ने भी इसे मंजूरी दे दी। इन मामलों को स्पष्ट करने के लिए एक प्रकरण-अध्ययन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण–अध्ययन

बाड़मेर में 'अन्य जिला सड़क 35 हरसानी-जालीपा सड़क (कि.मी. 22/00 से 37/00 एवं 42/00 से 51/00 तक) को सुदृढ करने एवं नवीनीकरण' कार्य को पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत लिया गया।

जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्य को राज्य सरकार के वर्ष 2020-21 के बजट में शामिल किया गया था। इस कार्य के लिए ₹ 3.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (08

[37] दस कार्यः महिला एवं बाल विकास विभाग (3); शिक्षा विभाग (2); सार्वजनिक निर्माण विभाग (5)।

अक्टूबर 2020) को अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई। तकनीकी स्वीकृति भी 08 अक्टूबर 2020 को जारी की गई। परन्तु, अतिरिक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने (नवम्बर 2020) निर्देश दिये कि राज्य बजट 2020-21 में स्वीकृत कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है, इसलिए कोई व्यय नहीं किया जाये क्योंकि डीएमएफटी से बजट स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

उपरोक्त के आलोक में, राज्य स्तरीय सशक्त समिति[38] ने अपनी बैठक (12 जनवरी 2021) में इस कार्य को स्वीकृति प्रदान की और डीएमएफटी बाड़मेर को निर्देशित किया कि इसे गवर्निंग काउंसिल से अनुमोदित कराया जाये। तदनुसार, डीएमएफटी की गवर्निंग काउंसिल ने अपनी बैठक (05 अप्रैल 2021) में इस कार्य को स्वीकृत किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर ₹ 1.94 करोड़ की लागत से एक ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने और कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 28 मार्च 2021 और 27 नवम्बर 2021 के साथ कार्यादेश जारी किया गया (18 मार्च 2021)।

इसके बाद, डीएमएफटी बाड़मेर द्वारा ₹ 3.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2021) को जारी की गई। सड़क निर्माण (कि.मी. 22/00 से 37/00 और 37/00 से 41/00 तक) के लिये तकनीकी स्वीकृति संशोधित (13 सितम्बर 2021) की गई । कार्य निर्धारित तिथि अर्थात 27 नवम्बर 2021 को पूर्ण कर लिया गया। डीएमएफटी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल ₹ 2.43 करोड़ (जिसमें ₹ 28 लाख की प्रोरेटा राशि सम्मिलित है) हस्तांतरित की गई। इस प्रकार, ₹ 2.43 करोड़ की डीएमएफटी निधि का विचलन कर बजटीय कार्य हेतु उपयोग किया गया।

सरकार ने कहा (सितम्बर 2024) कि उत्तर शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

इस प्रकार, डीएमएफटी निधियों का उपयोग बजटगत कार्यों/परियोजनाओं के लिये किया गया, जो कि वित्तीय अनुशासन के सिद्धांत के विपरीत था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि बांसवाड़ा और सीकर में कार्य बजट में स्वीकृति के बाद ही संपादित किये गये।

2.3.24.3 डीएमएफटी द्वारा अतिरिक्त राशि का हस्तांतरण

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 12 के अनुसार, प्रबंध समिति को:

- ट्रस्ट के हितों की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

[38] राजस्थान राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो दो करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाले किसी भी कार्य/परियोजना को स्वीकृति प्रदान करती है।

- ट्रस्ट निधि का संचालन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और ट्रस्ट निधियों की उपयोगिता की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नियमों के नियम 15(5) के अनुसार कार्य का निष्पादन संबंधित कार्यकारी एजेंसी के लेखा नियमों अथवा राजस्थान सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी विशेष नियम के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

(क) कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त राशि जारी करना

(i) बांसवाड़ा के तीन प्रकरणों और भीलवाड़ा के एक प्रकरण में डीएमएफटी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2.34 करोड़ की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई, जैसा कि **तालिका 2.7** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.7: कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई अतिरिक्त राशि का विवरण

(₹करोड़ में)

कार्य का नाम एवं कार्यान्वयन एजेंसी	वित्तीय स्वीकृति की राशि	निष्पादित कार्य की राशि	हस्तांतरित राशि	अतिरिक्त राशि
बांसवाड़ा				
एनएच 927ए से धारकोन माता मंदिर वाकानाडा तक बीटी सड़क का निर्माण (सानिवि, खंड गढ़ी)	0.70	1.03	1.17	0.14
बांसवाड़ा में ठोस अपशिष्ट का निपटान (नगर परिषद् बांसवाडा)	3.80	2.11	3.80	1.69
देवका ए/आर पर सबमर्सिबल पुल निर्माण, (सानिवि, खण्ड बांसवाडा)	4.00	3.15	3.28	0.13
भीलवाड़ा				
कोटड़ी में ओएचएसआर निर्माण (पीएचईडी, खण्ड शाहपुरा)	0.79	0.41	0.79	0.38
योग				**2.34**

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि डीएमएफटी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 2.34 करोड़ की अतिरिक्त राशि बिना उचित सतर्कता बरते हस्तांतरित की गई। यहां तक कि एक प्रकरण में, वित्तीय स्वीकृति से अधिक राशि का हस्तांतरण किया गया। यह उल्लेखनीय है कि यह अतिरिक्त राशि कार्यान्वयन एजेंसियों से वापस प्राप्त नहीं की गई।

इस प्रकार, निधियों का प्रबंधन, अतिरिक्त राशि के हस्तांतरण को रोकने और वितरित की गई अतिरिक्त राशि की वसूली करने में प्रभावी नहीं रहा।

समापन परिचर्चा (5 सितम्बर 2024) में, सदस्य सचिव, डीएमएफटी बांसवाड़ा ने बताया कि दो प्रकरणों में ₹1.82 करोड़ की संपूर्ण राशि वापस प्राप्त कर ली गई है। एक प्रकरण में व्यय को नियमित करने के लिए वित्तीय स्वीकृति संशोधित की जायेगी। भीलवाड़ा के प्रकरण में बताया गया कि राशि की वसूली के लिए कार्यान्वयन एजेंसी से संपर्क किया जाएगा या संभव हुआ तो यह

राशि कार्यान्वयन एजेंसी के अन्य कार्यों के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निधियों का हस्तांतरण यथोचित रूप से नहीं किया जा रहा था।

(ii) कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार, निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर होने वाले किसी भी अतिरिक्त भुगतान का वहन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जायेगा। साथ ही, अनुबंध की शर्त संख्या 3सी में यह प्रावधान है कि कार्य को पूर्ण करने में व्यय होने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली दोषी ठेकेदार से की जाएगी और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन या अनुपालन न होने की स्थिति में ठेकेदार फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

भरतपुर में, यह ध्यान में आया कि "भरतपुर से सोंख तक सड़क निर्माण" कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार 'ए' को ₹11.48 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया (30 अप्रैल 2021)। कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की तिथियां क्रमशः 10 मई 2021 एवं 09 अगस्त 2022 निर्धारित की गई। ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया, इसलिये अधिशासी अभियंता, डीग ने फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और अनुबंध की शर्त 3सी को लागू करने की अनुशंसा की (05 जनवरी 2022)। विभाग ने ₹1.01 करोड़ मूल्य के कार्य निष्पादन के पश्चात यह कार्य वापस ले लिया (16 अगस्त 2022)। इस कार्य के लिए ठेकेदार को ₹1.21 करोड़ का भुगतान किया गया। कार्य की वापसी के पश्चात भी ठेकेदार को ₹11.45 लाख का भुगतान किया गया (नवंबर 2022)। शेष कार्य को ठेकेदार 'बी' को ₹14.76 करोड़ की लागत से सौंपा गया। डीएमएफटी ने अगस्त 2023 तक कार्यान्वयन एजेंसी को ₹14.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित की।

इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन एजेंसी ने अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर ठेकेदार 'ए' पर ₹21.46 लाख का जुर्माना लगाया, जिसे चालू बिलों से काटकर '0059' लेखा शीर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग की 'विविध प्राप्तियां' के रूप में जमा कर दिया गया, जबकि यह राशि डीएमएफटी निधि में जमा की जानी चाहिये थी। इन तथ्यों की जांच में प्रकट हुआ कि:

अनुबंध की शर्त संख्या 3 सी के अनुसार, कार्य पर होने वाली किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली दोषी ठेकेदार से की जानी थी। शर्त के अनुसार ₹11.48 करोड़ की राशि ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डीग को हस्तांतरित की जानी थी, जबकि डीएमएफटी ने ₹14.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी। इस प्रकार ₹2.92 करोड़ की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की गई।

इसके अतिरिक्त, दोषी ठेकेदार 'ए' को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसे ₹1.01 करोड़ के कार्य के विरुद्ध ₹1.21 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार ₹20.45 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया।

इस प्रकार डीएमएफटी भरतपुर द्वारा अपनी निधियों के उपयोग की समुचित निगरानी नहीं की गई।

समापन परिचर्चा में शासन सचिव ने बताया कि इस मामले में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

2.3.25 चयनित जिला खनिज फाउंडेशनों द्वारा निगरानी एवं मूल्यांकन

निष्पादन लेखापरीक्षा का चौथा लेखापरीक्षा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी था।

निगरानी एवं मूल्यांकन, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के व्यवस्थित संकलन और विश्लेषण के माध्यम से, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यान्वयन की प्रगति और प्रभावशीलता के संबंध में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना की मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना तथा उन क्षेत्रों को चिन्हित करना है जिनमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि सुसूचित निर्णय एवं रणनीतिक योजना के माध्यम से योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.3.25.1 प्रबंध समिति की बैठकें

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 11 में प्रावधान है कि प्रबंध समिति की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, और इसे प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा निश्चय किये अनुसार बुलाया जाएगा।

चयनित जिलों में यह पाया गया कि किसी भी जिले में प्रबंध समिति की बैठकें नियमों के अनुसार नियमित रूप से नहीं हुई। जून 2016 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान इन जिलों में कुल 205 बैठकें आयोजित की जानी थीं, लेकिन केवल 66 बैठकें[39] ही आयोजित की गईं।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि वर्ष 2020-22 में कोविड-19 और वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान राज्य में चुनावों के कारण कम बैठकें हुईं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भरतपुर (2016-17 और 2022-23), भीलवाड़ा (2016-17 और 2021-22), बाड़मेर (2019-20 और 2022-23) और सीकर (2022-23) में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई।

2.3.25.2 गवर्निंग काउंसिल की बैठकें

राजस्थान डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 9(1) के अनुसार, गवर्निंग काउंसिल की बैठकें आवश्यकतानुसार, लेकिन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जावेगी। चयनित जिलों में यह पाया गया कि गवर्निंग काउंसिल की बैठकें नियमों के अनुसार आयोजित

[39] भरतपुर (8/41), भीलवाड़ा (13/41), बाड़मेर (10/41), बांसवाड़ा (17/41) और सीकर (18/41)।

नहीं की गईं। जून 2016 से मार्च 2023 की अवधि में इन जिलों में कुल 135 बैठकें आयोजित की जानी थीं, किंतु केवल 35 बैठकें[40] ही आयोजित हुईं। बाड़मेर जिले में अप्रैल 2021 के बाद गवर्निंग काउंसिल की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई । इसके बावजूद गवर्निंग काउंसिल की अंतिम बैठक के बाद गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति के बिना ही विभिन्न कार्यों के लिए ₹13.22 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गईं।

डीएमएफटी ने (अगस्त 2023 से फरवरी 2024 के बीच) उत्तर दिया कि राज्य में वर्ष 2018, 2019 और 2020 में चुनावों तथा वर्ष 2020-22 में कोविड-19 के कारण कम बैठकें आयोजित हुईं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सीकर में (2019-20, 2020-21 और 2022-23 में), बाड़मेर में (2019-20, 2020-21 और 2022-23 में), भीलवाड़ा में 2019-20 में तथा भरतपुर में 2020-21 में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। यह परिकल्पित प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के अभाव को दर्शाता है। आगे सरकार ने उत्तर दिया कि अगली बैठक में गवर्निंग काउंसिल की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

2.3.26 आयकर विवरणी दाखिल करना एवं छूट

आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (46) में उल्लिखित किसी ट्रस्ट या आयोग (जिसे किसी भी नाम से पुकारा गया हो) को आयकर अधिनियम की धारा 139(4सी) के अंतर्गत आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक होता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अनुसार, वह निर्दिष्ट आय, जो किसी ट्रस्ट या आयोग को प्राप्त होती है और जिसे केंद्र या राज्य अधिनियम के अंतर्गत या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सामान्य जनहित में किसी गतिविधि के विनियमन या प्रशासन के उद्देश्य से स्थापित या गठित किया गया है, वह कर से छूट योग्य होती है, बशर्ते कि वह संस्था किसी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न न हो। धारा 10(46) के अंतर्गत कर छूट प्राप्त करने के लिए संस्था को केंद्र सरकार द्वारा 'व्यक्तियों के वर्ग' के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

चयनित डीएमएफ ट्रस्टों के अभिलेखों की जांच में उपरोक्त प्रावधानों की निम्नलिखित पालना नहीं किया जाना प्रकट हुआः

• चयनित पाँच डीएमएफ ट्रस्टों में से, डीएमएफटी भरतपुर द्वारा स्थापना के बाद से अब तक आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गयी, जबकि ट्रस्ट को जनवरी 2021 में आयकर विभाग द्वारा स्थायी खाता संख्या (पीएएन) जारी कर दी गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 29 नवम्बर 2019 को देशभर के डीएमएफ ट्रस्टों से विवरण मांगा था ताकि उन्हें आयकर अधिनियम के तहत 'व्यक्तियों के वर्ग' के रूप में अधिसूचित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने भी 17 जनवरी 2020 एवं 5 अप्रैल 2020 को आवश्यक जानकारी सीबीडीटी को प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। तथापि, डीएमएफटी भरतपुर द्वारा सीबीडीटी को वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

[40] भरतपुर (8/27), भीलवाड़ा (9/27), बाड़मेर (4/27), बांसवाड़ा (8/27) और सीकर (6/27)।

फलस्वरूप, इसे 'व्यक्तियों के वर्ग' के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया और यह कर छूट के लिए पात्र नहीं है। यह भी पाया गया कि डीएमएफटी भरतपुर के वर्ष 2021-22 से वार्षिक लेखे अंतिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं।

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 सितंबर 2021 को भरतपुर को छोड़कर शेष सभी डीएमएफ ट्रस्टों को आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत 'व्यक्तियों के वर्ग' के रूप में अधिसूचित किया। यह अधिसूचना कुछ शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, जिनमें यह शामिल है कि प्रत्येक डीएमएफटी को आयकर विवरणी के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के लिए प्रभावी मानी जायेगी।

• लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सभी चार[41] डीएमएफ ट्रस्टों (जो अधिसूचित 'व्यक्तियों के वर्ग' हैं) द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अब तक आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गयी। भीलवाड़ा के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा वर्ष 2018-19 तक तथा अन्य तीन जिलों का 2021-22 तक किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के लेखों में ₹1,596.02 करोड़ की आय व्यय से अधिक दिखाई गई, जिस पर ₹478.81 करोड़[42] की अनुमानित आयकर देयता बनती है।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आयकर विभाग से छूट देने का अनुरोध किया गया है। समापन परिचर्चा (5 सितंबर 2024) में शासन सचिव, खान विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया और बताया कि सभी डीएमएफ ट्रस्टों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

चयनित जिलों में संस्थागत व्यवस्थाओं, खनन सम्बन्धी कार्यों से प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों की पहचान, डीएमएफटी निधि की संग्रहण एवं उपयोगिता, परियोजना प्रबंधन तथा निगरानी के सूक्ष्म विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन की योजना कमजोर रही, क्योंकि खनन प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं का क्रियान्वयन गैर-खनन प्रभावित क्षेत्रों में किया गया। नियमों के अनुसार डीएमएफटी अंशदान को ब्याज-अर्जक निजी निक्षेप खातों में जमा नहीं किया गया। डीएमएफटी अंशदान की ₹20.80 करोड़ राशि प्राप्त नहीं हुई क्योंकि डीएमएफटी अंशदान की वसूली की निगरानी हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत राज्य स्तरीय एजेंसियों को निधि हस्तांतरित की गई। कार्यान्वयन एजेंसियों ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के उल्लंघन करते हुए कार्य निष्पादित किये। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹57.05 करोड़ की डीएमएफटी निधि राज्य बजट में सम्मिलित 10 कार्यों/परियोजनाओं हेतु हस्तांतरित की गई। डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को

[41] भीलवाड़ा, बाड़मेर, बांसवाडा और सीकर।

[42] लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई।

अतिरिक्त निधियां हस्तांतरित की गई। डीएमएफ ट्रस्टों द्वारा आयकर विवरणी दाखिल नहीं की गईं, अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत कर छूट उपलब्ध नहीं थी। डीएमएफटी में ट्रस्टियों की नियुक्ति समय पर नहीं की गई। गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंध समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गईं। कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम भुगतान के उपरांत उसकी निगरानी नहीं की गई। डीएमएफटी अंशदान की देरी से जमा पर संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा ब्याज नहीं लगाया गया। निरस्त किये गये खनन पट्टों एवं अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन विभाग द्वारा जब्त किया गया, परंतु वह डीएमएफटी निधि में जमा नहीं किया गया क्योंकि केवल जब्ती आदेश जारी किये गये, परंतु उनकी राशि का नकदीकरण नहीं किया गया।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डीएमएफ ट्रस्टों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, ताकि पीएमकेकेकेवाई के तहत लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच सके।

अनुशंसाएं

सरकार/विभाग यह विचार कर सकते हैं:

- *डीएमएफ ट्रस्टों को यह निर्देश दिए जाएं कि वे विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की पहचान करें ताकि निधि का लाभ वास्तव में प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को दिया जा सके।*
- *राज्य बजट की योजनाओं हेतु विचलित की गई निधियों को वापस लिया जाए।*
- *अनियमित स्वीकृतियों को रोकने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों को एक चेक लिस्ट प्रसारित की जाए।*
- *प्रबंधन समिति के लिए अधिक कड़े उत्तरदायित्व तंत्र स्थापित किए जाएँ, ताकि वार्षिक लेखों एवं कर विवरणियों के अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु समुचित एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।*
- *ग्राम सभाओं और गवर्निंग काउंसिल की सिफारिशों के अनुसार ट्रस्टियों की समय पर नियुक्ति की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए।*
- *गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंध समितियों की नियमित बैठकों की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित किया जाए, ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों की कार्यप्रणाली तथा लक्षित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त लाभ की समीक्षा की जा सके।*

खान एवं भूविज्ञान विभाग की नियमित लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई अन्य अनियमितताएं

2.4 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में अनियमितताएं

अल्पावधि अनुज्ञापत्र का आशय ऐसे अनुज्ञापत्र से है जो किसी निर्दिष्ट क्षेत्र से, निर्दिष्ट अवधि[43] के भीतर, निर्दिष्ट मात्रा में खनिज का उत्खनन एवं निष्कासन हेतु शासन, अर्ध-शासकीय संस्था, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था या शासन द्वारा सहायता प्राप्त अथवा वित्तपोषित संगठनों के कार्य निष्पादन के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (आरएमएमसी) नियम, 2017 के नियम 51 में प्रावधान है कि किसी ठेकेदार को चिनाई पत्थर, मुर्रम एवं साधारण मिट्टी आदि के उत्खनन और उपयोग के लिए कार्य निष्पादन हेतु अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्रदान किया जा सकता है। तीन खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने और आंकलन के संबंध में पाई गई अनियमितताओं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.4.1 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का अनुचित आंकलन

अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का आंकलन यथोचित रूप से नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 9.31 करोड़ की कम वसूली हुई

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 51(10) के अनुसार, राष्ट्रीय या मेगा हाईवे, चार या छः लेन वाली सड़कों के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, रेलवे पटरियों के बिछाने और मरम्मत के लिए, ठेकेदार उप-नियम (3)[44] के अनुसार आवेदन करेंगे तथा उप-नियम (9) के (ii)[45] के अनुसार अधिशुल्क एवं अन्य भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, नियम 51(11) के अनुसार, जहां ठेकेदार ने खनिज का उत्खनन और निर्गमन या उपभोग निम्नानुसार तय सीमा तक किया है:

- अनुज्ञापत्र में निर्दिष्ट मात्रा से दस प्रतिशत तक अधिक पर केवल एक बारीय अधिशुल्क वसूल किया जाएगा;

[43] आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 51(7) के अनुसार अल्पावधि अनुज्ञापत्र की अवधि कार्यादेश की अवधि के साथ सह-समाप्त होगी, जब तक कि उससे कम अवधि के लिए आवेदन न किया गया हो।

[44] अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें खनिजों की मात्रा और अवधि का उल्लेख होगा, जिसके लिए अनुज्ञापत्र चाहिए, साथ ही निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न होंगे।

[45] अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन करते समय मात्रा बिल या जी शेड्यूल, अनुज्ञापत्र फीस, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में अंशदान और अधिशुल्क राशि का विवरण देना होगा। ठेकेदार को निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करना होगा, साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा तथा संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से बकाया राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

- दस प्रतिशत से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत तक की मात्रा होने पर, अनुज्ञापत्र में निर्दिष्ट अनुमत मात्रा से अधिक पूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का दोगुना वसूल किया जाएगा; तथा

- अनुज्ञापत्र में वर्णित मात्रा से पच्चीस प्रतिशत से अधिक कोई भी मात्रा होने पर, अनुमत मात्रा से अधिक सम्पूर्ण मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा तथा पट्टाधारक को ऐसे अतिरिक्त खनिज की कीमत का भुगतान करना होगा, जिसकी गणना प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क का दस गुना के रूप में की जाएगी।

अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए खनि अभियंता, कोटा के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया (सितंबर 2022) कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, कोटा, ने ठेकेदार को "ईपीसी[46] मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के कोटा-दराह खंड पर किमी 256/550 से 289/500 तक सीसी फुटपाथ के साथ पक्के आधार के साथ चार लेन के चौड़ीकरण" के कार्य के लिए कार्य आदेश (16 सितंबर 2016) जारी किया। ठेकेदार द्वारा अग्रिम अधिशुल्क एवं डीएमएफटी राशि के भुगतान के बाद साधारण मिट्टी के 21.42 लाख मीट्रिक टन खनिज उत्खनन हेतु 26 अल्पावधि अनुज्ञापत्र और चिनाई पत्थर/ग्रिट/जीसीबी/क्रेशर रेत के 13.26 लाख मीट्रिक टन खनिज उत्खनन के आठ अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किये गए।

कार्य पूर्ण होने पर, अधिशासी अभियंता कोटा ने खनि अभियंता कोटा को सूचित किया (जुलाई 2020) कि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त खनिजों की मात्रा क्रमशः साधारण मिट्टी 17.03 लाख मीट्रिक टन, एग्रीगेट 13.49 लाख मीट्रिक टन तथा स्टोन डस्ट/क्रशर डस्ट 3.35 लाख मीट्रिक टन थी। अधिशासी अभियंता कोटा ने ठेकेदार का पत्र दिनांक 19 मार्च 2020, जिसमें खनिज उपभोग का विवरण दिया गया था, संलग्न किया। खनि अभियंता कोटा ने ठेकेदार को अनुमत मात्रा से अधिक खनिज उपयोग करने के लिए नियम 51 एवं 54 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसम्बर 2020) तथा ठेकेदार से खनिज की कीमत अर्थात खनिज के अधिक उपयोग के लिए अधिशुल्क का 10 गुना राशि वसूल न किए जाने के कारण बताने हेतु निर्देशित किया गया। ठेकेदार ने सूचित किया कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र में अनुमत मात्रा से 3.58 लाख मीट्रिक टन अधिक खनिज चिनाई पत्थर/ग्रिट/जीएसबी/क्रेशर डस्ट का उपयोग किया तथा यह दर्शाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए कि अतिरिक्त मात्रा में प्रयुक्त खनिज उसने अन्य स्रोतों से अधिशुल्क का भुगतान करने के बाद खरीदे थे। इस प्रकार, खनि अभियंता कोटा ने इन अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के आंकलन को अंतिम रूप दिया तथा ₹ 91.14 लाख की मांग (अप्रैल 2021) की गई। ठेकेदार ने मांग राशि जमा (20 अप्रैल 2021) कर दी और खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2021 को अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था ।

अभिलेखों की जांच से पता चलता है किः

(i) अधिशासी अभियंता, कोटा द्वारा खनिज अभियंता, कोटा को साधारण मिट्टी खनिज की गलत मात्रा (17,03,379 मीट्रिक टन) त्रुटिवश सूचित की गयी। ठेकेदार के पत्र के अनुसार,

[46] ईपीसीः इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण। अनुबंध का ईपीसी मोड ठेकेदार को डिजाइन और निर्माण की पूरी जिम्मेदारी देता है और इसलिए इसमें दोष दायित्व अवधि सह रखरखाव अवधि अधिक होती है।

कार्य में 17,03,379 घन मीटर (यानी 23,84,731 मीट्रिक टन) साधारण मिट्टी खनिज का उपयोग किया गया था। अधिशासी अभियंता, कोटा ने खनि अभियंता, कोटा को सूचित करते समय त्रुटिवश गलत इकाई (घन मीटर के स्थान पर मीट्रिक टन) का उपयोग किया। इस प्रकार 6,81,352 मीट्रिक टन (23,84,731 - 17,03,379) साधारण मिट्टी खनिज के उपयोग की कम सूचना विभाग को दी गई।

(ii) ठेकेदार ने अनुमत मात्रा से 27 प्रतिशत अधिक चिनाई पत्थर/ग्रिट/जीएसबी/क्रेशर डस्ट का उपयोग किया। यद्यपि, अल्पावधि अनुज्ञापत्र के आंकलन को अंतिम रूप देते समय, खनि अभियंता कोटा ने नियम 51(11) के प्रावधानों की अवहेलना की जिसमें प्रावधान है कि यदि उपयोग किया गया खनिज 25 प्रतिशत से अधिक था, तो अनुज्ञापत्र में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक पूर्ण मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा और ठेकेदार को ऐसे अतिरिक्त खनिज की लागत का भुगतान करना होगा, जिसकी गणना प्रचलित दर पर देय अधिशुल्क के दस गुना के रूप में की जाएगी।

उपरोक्त कारणों से खनि अभियंता कोटा ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र का आंकलन गलत किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.31 करोड़ की कम वसूली हुई, जैसा कि ***परिशिष्ट-4*** में दर्शाया गया है।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग कोटा को साधारण मिट्टी खनिज मात्रा के अधिक उपयोग की वसूली राशि जमा सुरक्षा राशि से काटने के लिए कई पत्र लिखे गए हैं। साथ ही, एग्रीगेटस/चिनाई पत्थर/जीएसबी/ग्रिट/क्रेशर डस्ट खनिजों के संबंध में यह उत्तर दिया गया कि अन्य ठेकेदारों से खनिज खरीद कर अतिरिक्त मात्रा पर अधिशुल्क का भुगतान किया गया था, इसलिए, नियमानुसार एकमुश्त अधिशुल्क और अन्य राशि वसूल की गई थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नियम 51(11) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि अनुमत मात्रा से अधिक उपयोग की गई खनिज पर 10 गुना अधिशुल्क लगाया जाना चाहिए। नियम स्व-व्याख्यात्मक है और इसे ठेकेदार की प्रक्रियात्मक भूल मानने और एकमुश्त अधिशुल्क लगाने/वसूल करने के लिए विवेकाधीन निर्णयों की कोई गुंजाइश नहीं है, भले ही उपयोग की गई खनिज पर अधिशुल्क का भुगतान किया गया हो।

2.4.2 अनियमित रूप से अल्पावधि अनुज्ञापत्रों को जारी करना

खनि अभियंता, उदयपुर ने एक ठेकेदार को अनुज्ञापत्र शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी), राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (आरएसएमईटी) में अंशदान और अधिशुल्क का अग्रिम भुगतान कुल राशि ₹ 57.35 लाख प्राप्त किए बिना दो अल्पावधि अनुज्ञापत्र अनियमित रूप से जारी किए तथा जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान हुआ।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 51(10) के अनुसार, राष्ट्रीय या मेगा हाईवे, चार या छः लेन वाली सड़कों के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, रेलवे पटरियों के बिछाने और मरम्मत

के लिए, ठेकेदार उप-नियम (3)[47] के अनुसार आवेदन करेंगे तथा नियम 51(9)(ii) के अनुसार अधिशुल्क एवं अन्य भुगतान किया जाएगा।

नियम 51(9)(ii) के अनुसार, ठेकेदार मात्रा के बिल या अनुसूची-जी, अनुज्ञापत्र शुल्क, डीएमएफटी और आरएसएमईटी निधि अंशदान और अधिशुल्क राशि के साथ अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन करेगा। ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र के साथ निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने होगें और संबंधित खनि अभियंता से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

खनि अभियंता, उदयपुर कार्यालय के अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक ठेकेदार को दो अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किए गए (जून 2021 और अगस्त 2021 के बीच)। खनि अभियंता ने उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञापत्र शुल्क, डीएमएफटी अंशदान, आरएसएमईटी अंशदान और अधिशुल्क राशि का अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र अनियमित रूप से जारी किए। इन अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए अग्रिम रूप से प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹ 57.35 लाख थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-5*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इस प्रकार, नियमों का अनुपालन न किए जाने के परिणामस्वरूप अल्पावधि अनुज्ञापत्र अनियमित रूप से जारी हुए, जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ तथा ₹ 57.35 लाख की राजस्व राशि की प्राप्ति नहीं हो सकी।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि संबंधित कार्य एजेंसी को उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं साथ ही ठेकेदार को उपभोग किए गए खनिज एवं जमा की गई अधिशुल्क की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.4.3 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के जारी होने से पहले खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन/उपयोग

सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना 62,153.21 मीट्रिक टन साधारण मिट्टी और मुर्रम खनिज का अनाधिकृत रूप से उत्खनन/उपयोग किया तथा विभाग ने खनिज लागत ₹ 35.29 लाख रुपये की वसूली नहीं की।

आरएमएमसी नियम 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्रदत्त या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधियां नहीं करेगा और खानों से खनिज का निर्गमन विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा। नियम 54(2) में निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, कोई व्यक्ति किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही खनिजों का परिवहन या संग्रहण

[47] अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें खनिजों की मात्रा और अवधि का उल्लेख होगा, जिसके लिए अनुज्ञापत्र चाहिए, साथ ही निर्धारित दस्तावेज भी संलग्न होंगे।

करने का कारण बनेगा। इसके अलावा, नियम 54(3) के अनुसार, खान एवं भूविज्ञान विभाग को अधिशुल्क राशि के 10 गुना के समतुल्य खनिज की लागत वसूल कर ऐसे प्रकरणों को निपटाने का प्राधिकार दिया गया है।

सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा कार्यालय के अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक ठेकेदार ने एक कार्य[48] के लिए 17,300 मीट्रिक टन साधारण मिट्टी खनिज के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया (23 अप्रैल 2019)। तथापि, ठेकेदार ने निर्धारित अधिशुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवायी इसलिए अनुमति प्रदान नहीं दी गई। उक्त कार्य की प्रारंभ तिथि 10 सितंबर 2018 तथा पूर्णता तिथि 09 मार्च 2021 थी। आवेदन में ठेकेदार ने उल्लेख किया कि इस कार्य के लिए 73,299.45 मीट्रिक टन साधारण मिट्टी और 9,337.24 मीट्रिक टन मुर्रम खनिज का उपयोग किया जाएगा। अभिलेखों की हार्ड कॉपी प्राप्त होने के बाद, विभाग ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया।

माप-पुस्तिका की लेखापरीक्षा जांच से पाया गया कि ठेकेदार ने आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना साधारण मिट्टी और मुर्रम खनिजों का उपयोग किया। यह पाया गया कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी (29 अक्टूबर 2020) होने से पहले इस कार्य के लिए 40,847.80 घन मीटर (57,186.92 मीट्रिक टन) साधारण मिट्टी और 3,547.35 घन मीटर (4,966.29 मीट्रिक टन) मुर्रम का उपयोग किया गया था। अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी होने से पहले उपयोग किए गए खनिजों की लागत **तालिका 2.8** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.8: अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी होने से पहले कार्य में प्रयुक्त खनिज की लागत

खनिज का नाम	प्रयुक्त खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन)	अधिशुल्क की दर (₹)	खनिज की लागत (₹ लाखों में)
साधारण मिट्टी	57,186.92[49]	4	22.87
मौरम	4966.29[50]	25	12.42
योग	**62,153.21**		**35.29**

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि ठेकेदार ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने से पहले 62,153.21 मीट्रिक टन खनिजों का उपयोग किया था। संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनिजों के अनाधिकृत उपयोग के कारण, खनिजों के उपयोग की लागत वसूली योग्य ₹35.29 लाख थी।

[48] "भदेसर चौराहा-घटियावली-गिलुंडा-शंभूपुरा-सावा-नाहरगढ़ सड़क (एमडीआर-209) किमी 0/0 से 22/0 तथा 25/200 से 28/00 एवं 29/150 से 36/0 और 36/250 से 39/00 (34.40 किमी) जिला चित्तौड़गढ़ का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाकरण कार्य संख्या 40/5054/एसएम एवं आर/जीएन/एससी/एसटी/2018-19" ठेकेदार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड चित्तौड़गढ़ के पक्ष में कार्य आदेश संख्या 1356 दिनांक 31.08.2018 द्वारा आवंटित किया गया।

[49] साधारण मिट्टी: 40,847.80 (घन मीटर) x (रूपांतरण कारक)1.4

[50] मौरम: 3,547.35 (घन मीटर) x (रूपांतरण कारक)1.4

सरकार ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ को अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व उपयोग किए गए खनिज की मात्रा की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.5 खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधियाँ नहीं करेगा और खानों से खनिज का निर्गमन विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा।

छः अधीक्षण खनि अभियंता/खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता के कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पट्टाधारकों ने या तो संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया था या आवश्यक संचालन सहमति (सीटीओ) के बिना। इन पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.5.1 संचालन सहमति (सीटीओ) प्राप्त किए बिना या संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन

चार खनि अभियंताओं ने खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन के लिए ₹ 20.45 करोड़ की राशि वसूल नहीं की, जबकि पट्टेधारकों ने या तो आवश्यक संचालन सहमति (सीटीओ) के बिना या संचालन सहमति (सीटीओ) में निर्दिष्ट अनुमत मात्रा से अधिक खनिज का उत्खनन किया

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 34(1) में प्रावधान है कि खनन कार्य प्रारंभ करने हेतु लागू कानूनों के अन्तर्गत आवश्यक स्वीकृतियां, अनुमतियां, अनापत्तियां, सहमतियाँ आदि प्राप्त किए बिना किसी भी खनन पट्टे या खदान अनुज्ञादि का अनुदान नहीं किया जाएगा।

इन नियमों के नियम 28(2)(iv)(बी) के अनुसार, खनन पट्टाधारक सभी खनिजों का उत्पादन खान योजना की सीमा के भीतर या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा के अधिन रखेगा । इसके साथ निम्न प्रावधान दिए गए हैं:

- यदि खनन पट्टाधारक खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमति से दस प्रतिशत अधिक खनिज की उत्खनन किया है, तो केवल एकबारीय अधिशुल्क ही वसूली की जाएगी और
- दस प्रतिशत से अधिक लेकिन पच्चीस प्रतिशत मात्रा तक उत्खनन किया तो, खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक पूरी मात्रा पर रॉयल्टी का दो गुणा वसूल किया जाएगा और

- पच्चीस प्रतिशत् से अधिक कोई भी मात्रा होने पर, खान योजना में निर्दिष्ट मात्रा या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक पूरी मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जाएगा और खनन पट्टाधारक ऐसे अतिरिक्त खनिज की कीमत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसकी गणना अन्य विभागों द्वारा कार्रवाई करने की शक्तियां को प्रभावित किए बिना प्रचलित दर पर देय रॉयल्टी का दस गुणा के रूप में की जाएगी।

इसके अलावा, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अनुसार, पट्टाधारक को पट्टे से खनिजों के उत्खनन से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन सहमति (सीटीओ) प्राप्त करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डंप डेटा (9 नवंबर 2022) का विश्लेषण किया। आंकड़ो के विश्लेषण से पता चला कि खनन पट्टों ने या तो सीटीओ के बिना या सीटीओ सहमति में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन किया था, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.5.1.1 सीटीओ की समाप्ति के बाद भी खनिज का उत्खनन

दो[51] खनि अभियन्ताओं के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2022 से दिसंबर 2022) के दौरान, यह पाया गया कि दो पट्टेधारकों ने सीटीओ की समाप्ति के बाद भी 1.31 लाख मीट्रिक टन खनिज सोपस्टोन और रेड ऑकर का उत्खनन किया था, जैसा कि **तालिका 2.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: सीटीओ की समाप्ति के बाद उत्खनित खनिजों का विवरण।

क्र. संख्या	खनि अभियंता कार्यालय का नाम एवं लेखापरीक्षा अवधि	खनन पट्टा संख्या एवं खनिज	सीटीओ की स्वीकृत अवधि	सीटीओ के बिना खनिजों के उत्खनन एवं निर्गमन की अवधि	सीटीओ के बिना उत्खनित खनिजों की मात्रा (मीट्रिक टन में)	नियम 28(2)(iv)(b) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (₹ करोड़ में)
1	2	4	5	6	7	8
1.	खनि अभियंता उदयपुर (2021-22)	बी3/1996 सोपस्टोन	01.11.2014 से 10.04.2017	01.04.2019 से 31.03.2022	99,947.89	14.65
2.	खनि अभियंता प्रतापगढ़ (2018-22)	6ए/2001 रेड ऑकर	01.06.2016 से 31.05.2019	01.06.2019 से 31.03.2020	31,400	1.00
	योग				**1,31,347.89**	**15.65**[52]

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों से संकलित।

[51] खनि अभियंता उदयपुर एवं प्रतापगढ़

[52] नियम 28(2)(iv)(बी) के अंतर्गत वसूली योग्य राशिः 1. खनि अभियंता उदयपुरः{(27,339.32 मीट्रिक टन*100 अधिशुल्क की दर +729.07 मीट्रिक टन*350+318.44 मीट्रिक टन*75 अधिशुल्क की दर +4,154.5 मीट्रिक टन*450 अधिशुल्क की दर +26,866.46 मीट्रिक टन*100 अधिशुल्क की दर +3,400.11 मीट्रिक टन*450 अधिशुल्क की दर +31,885.88 मीट्रिक टन*100 अधिशुल्क की दर +5,254.11 मीट्रिक टन*450 अधिशुल्क की दर)*10 गुना} 2. खनि अभियंता प्रतापगढ़ः (31,400 मीट्रिक टन*32 अधिशुल्क की दर *10 गुना)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है, दो पट्टेधारकों ने संचालन सहमति (सीटीओ) की समाप्ति के पश्चात् 1.31 लाख मीट्रिक टन खनिजों का उत्खनन किया था। इस प्रकार, इन पट्टेधारकों को अनाधिकृत उत्खनन किए गए खनिजों की कीमत ₹ 15.65 करोड़ चुकाने थे। तथापि, संबंधित खनि अभियन्ताओं ने खनिजों की कीमत वसूलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के उपधारा (7) के अनुसार, यदि किसी आवेदन पर चार माह की अवधि के भीतर सहमति दी या अस्वीकार नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह सहमति, बिना किसी शर्त के स्वीकृत कर दी गई है, बशर्ते आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण हो और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया गया हो। चूंकि पट्टाधारक ने संचालन सहमति (सीटीओ) के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन किया था और उसकी स्वीकृति लंबित थी, इसलिए इन मामलों में कोई अनियमितता नहीं रही।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने ने इन आवेदनों को अपूर्ण जानकारी के कारण रद्द (फरवरी 2023 और अगस्त 2021) कर दिया था, जैसे कि पर्यावरण स्वीकृति का अभाव, वृक्षारोपण के लिए कार्य योजना का न होना, और प्रमाणीकरण प्राप्त उत्पादन आँकड़ों का अभाव। अतः विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत डीम्ड सहमति को गलत तरीके से माना और खनिजों के उत्खनन की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

2.5.1.2 संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन

दो[53] खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चार पट्टेधारकों ने 0.76 लाख मीट्रिक टन खनिजों, अर्थात् चिनाई पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट का उत्खनन किया, जो कि संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक था, जैसा कि **तालिका 2.10** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.10: संचालन सहमति (सीटीओ) में अनुमत मात्रा से अधिक उत्खनित खनिजों का विवरण

क्रं. सं ख्या	खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के नाम तथा लेखापरीक्षा अवधि	खनिज पट्टा संख्या एवं खनिज का नाम	सीटीओ में अनुमत मात्रा (मीट्रिक टन में)	उत्खनन की अवधि	उत्खनित खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में)	सीटीओ की तुलना में अधिक मात्रा में खनिज उत्खनित (मीट्रिक टन में)	सीटीओ से अधिक मात्रा में उत्खनित खनिजों का प्रतिशत	नियम 28(2)(iv)(b) के अंतर्गत वसूल योग्य राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खनि अभियंता राजसमन्द-II (2021-22)	1220/1991 मार्बल	40,169	अगस्त 2017 से जुलाई 2018	47,170	7,001	17.42	0.37
2.	खनि अभियंता राजसमन्द-II (2021-22)	43/2002 चिनाई पत्थर	53,946	अक्टूबर 2016 से मई 2019	1,06,559.54	52,613.54	97.53	1.44

[53] खनि अभियंता राजसमंद-II (24.11.22 - 9.12.22) एवं सोजत सिटी (9.11.22 - 23.11.22)

क्रं. सं ख्या	खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के नाम तथा लेखापरीक्षा अवधि	खनिज पट्टा संख्या एवं खनिज का नाम	सीटीओ में अनुमत मात्रा (मीट्रिक टन में)	उत्खनन की अवधि	उत्खनित खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में)	सीटीओ की तुलना में अधिक मात्रा में खनिज उत्खनित (मीट्रिक टन में)	सीटीओ से अधिक मात्रा में उत्खनित खनिजों का प्रतिशत	नियम 28(2)(iv)(b) के अंतर्गत वसूल योग्य राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	खनि अभियंता राजसमन्द-II (2021-22)	216/1993 मार्बल	10,056	मई 2019 से अप्रैल 2020	13,863	3,807	37.85	1.01
4.	खनि अभियंता सोजत सिटी (2021-22)	9/2014 ग्रेनाइट	41,082	नवम्बर 2017 से अक्टूबर 2021	53,886	12,804	31.16	1.98
	योग		**1,45,253**		**2,21,478.54**	**76,225.54**		**4.80**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों से संकलित।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इन चार पट्टेधारकों ने सीटीओ में अनुमत मात्रा से 0.76 लाख मीट्रिक टन अधिक खनिज का उत्खनन किया। तथापि, सम्बंधित खनि अभियंताओं ने अनाधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों के लिए ₹ 4.80 करोड़ की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

खनि अभियंता, सोजत के संबंध में सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि पट्टेधारक को नोटिस जारी कर दिया गया है तथा यदि पट्टेधारक का उत्तर असंतोषजनक पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनि अभियंता, राजसमंद के संबंध में सरकार ने उत्तर दिया कि पट्टेधारक को नोटिस जारी कर दिया गया है तथा पट्टेधारक ने अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। पट्टेधारक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करने हेतु खनि अभियंता, राजसमंद को पत्र लिखा गया है। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

अनुच्छेद 2.5.1.1 एवं 2.5.1.2 के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ये सभी जानकारी विभागीय वेब-पोर्टल डीएमजीओएमएस[54] पर उपलब्ध थीं, फिर भी संबंधित खनि अभियंताओं ने इस अनियमितता पर ध्यान नहीं दिया तथा 2.07[55] लाख मीट्रिक टन खनिजों के अनाधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन के लिए ₹ 20.45 करोड़[56] की वसूली नहीं की।

2.5.1.3 खनिजों का अनाधिकृत उत्खनन और निर्गमन

खनि अभियंता, जयपुर के अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2022) में पाया गया कि इस अवधि में कुल 807 अप्रधान खनिज खनन पट्टे संचालित किए जा रहे थे। विभागीय वेब आधारित पोर्टल डीएमजीओएमएस में उपलब्ध जानकारी तथा 50

[54] डीएमजीओएमएसः खान और भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली एक वेब-आधारित ऐप्लीकेशन।

[55] 2.07 लाख मीट्रिक टनः ₹ 1.31 लाख मीट्रिक टन (तालिका 2.9 का योग) + 0.76 लाख मीट्रिक टन (तालिका 2.10 का योग)।

[56] ₹ 20.45 करोड़ः ₹ 15.65 करोड़ (तालिका 2.9 का योग) + ₹ 4.80 करोड़ (तालिका 2.10 का योग)।

चयनित खनन पट्टों के संबंधित दस्तावेजों की जांच से पता चलता है कि खनन पट्टा संख्या 138/2001 ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिसंबर 2016 तक सीटीओ प्राप्त किया था, उसके बाद सीटीओ प्राप्त नहीं किया। वेब आधारित एप्लीकेशन "गूगल अर्थ प्रो" पर इस खनन पट्टे के निर्देशांकों की मैपिंग और समीक्षा करने के बाद यह पाया गया कि सीटीओ की समाप्ति के बाद भी, पट्टेधारकों ने खनिजों का उत्खनन जारी रखा (15 मई 2023 की अंतिम उपग्रह तस्वीर तक) और ई-रवन्ना के बिना खनिजों का निर्गमन किया गया।

इस पर इंगित किये जाने पर (सितंबर 2022), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि खान पर्यवेक्षक को खनन पट्टे का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया (नवंबर 2022)। 23 जून 2023 को भौतिक निरीक्षण के बाद खान पर्यवेक्षक ने बताया कि पट्टेधारक द्वारा 2377.25 मीट्रिक टन खनिज (चिनाई पत्थर) अनाधिकृत रूप से पनिर्गमित किया गया था। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया कि पट्टाधारक को सीटीओ प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया गया है एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, अनाधिकृत रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की लागत यानी ₹ 10.46 लाख[57] पट्टेधारक से वसूल योग्य थी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि मांग जारी की जा चुकी है तथा राशि शीघ्र ही वसूल की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.5.2 अवैध रूप से उत्खनित खनिज का कम आंकलन

संबंधित अधिकारी द्वारा अवैध रूप से उत्खनित खनिज का कम आंकलन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 37.95 लाख रुपये की वसूली योग्य राशि कम दर्शायी गई है

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधियाँ नहीं करेगा। नियम 54(3) खान एवं भूविज्ञान विभाग को यह अधिकार देता है कि उपनियम (1) के उल्लंघन में किये गये अपराध को खनिज की कीमत अर्थात अधिशुल्क का दस गुना और कम्पाउण्ड शुल्क के भुगतान पर प्रशमन कर सकता है।

सहायक खनि अभियंता, रूपवास के अगस्त 2013 से मार्च 2022 तक के अभिलेखों की जांच (अक्टूबर 2022) में पाया गया कि अनाधिकृत खनन के लिए 36 पंचनामा बनाए गए थे। इनमें से ग्राम घाटोली के पास 23 अक्टूबर 2021 को चिनाई पत्थर खनिज के अवैध उत्खनन का पंचनामा बनाया गया था। मौके पर एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर कंप्रेसर भी जब्त किया गया था। पंचनामा के अनुसार अवैध खनन के गड्ढे का आकार 50 मीटर x 50 मीटर x 1.5 मीटर था।

[57] 2,377.25 मीट्रिक टन x 44 (प्रति मीट्रिक टन अधिशुल्क दर) x 10 = ₹ 10,45,990

खनिज की मात्रा का भार निकालने हेतु रूपांतरण कारक 2.5 प्रति घन मीटर लिया गया। संबंधित अधिकारी ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा 750 मीट्रिक टन आंकलित की। चिनाई पत्थर खनिज के लिए अधिशुल्क दर ₹ 44 प्रति मीट्रिक टन थी। इस प्रकार, संबंधित अधिकारी ने खनिज की लागत ₹ 3.30 लाख (750 मीट्रिक टन x ₹ 44 अधिशुल्क दर x 10) और ₹ 2.00 लाख का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया। चूंकि आरोपी अवैध खनन स्थल से फरार हो गए थे, इसलिए सहायक खनि अभियंता ने 750 मीट्रिक टन चिनाई पत्थर के अवैध उत्खनन के संबंध में रूपवास पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करवायी थी, जिसमें ₹ 5.30 लाख की वसूली योग्य राशि बताई गई।

पंचनामें की जांच में पाया गया कि गड्ढे के आकार के अनुसार, विभाग ने अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा 3,750 घन मीटर (50 मीटर x 50 मीटर x 1.5 मीटर) की गणना की जबकि वास्तव में अवैध रूप से उत्खनित चिनाई पत्थर खनिज की मात्रा 9,375 मीट्रिक टन (3,750 घन मीटर x 2.5 रूपांतरण कारक) थी। इस प्रकार, खनिज की लागत ₹ 41.25 लाख (9,375 मीट्रिक टन x ₹ 44 अधिशुल्क दर x 10) थी। तथापि, विभाग ने प्राथमिकी (एफआईआर) में वसूली योग्य राशि ₹ 5.30 लाख बताई। इस प्रकार, विभाग ने खनिज की कीमत ₹ 37.95 लाख (₹ 41.25 - ₹ 3.30 लाख) कम आंकलित की। परिणामस्वरूप, एफआईआर में वसूली योग्य राशि ₹ 37.95 लाख कम दर्शाई गई।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि वसूली योग्य राशि की गलत गणना के लिए संबंधित खान पर्यवेक्षक को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि मामला न्यायालयाधीन है और गणना में सुधार हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2.6 बकाया राशि की अवसूली

छः खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹ 65.31 लाख की खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं वसूली यथोचित रूप से नहीं की गई। इनकी चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

2.6.1 प्रोसेसिंग शुल्क की वसूली का अभाव

ई-रवन्ना और ई-ट्रांजिट पास जारी करने से संबंधित विनियमों का पालन न करने के कारण प्रोसेसिंग शुल्क ₹ 45.25 लाख की वसूली का अभाव

3 जनवरी 2022 की अधिसूचना द्वारा आरएमएमसीआर नियम 2017 में उप-नियम 73(5) जोड़ा गया। इस उपनियम के अनुसार, प्रत्येक ई-रवन्ना के सृजन के लिए दस रुपये का ऑनलाइन प्रसंस्करण शुल्क देय किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिसूचना द्वारा नियम 92 को प्रतिस्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अधिशुल्क अदा की गई

खनिजों के परिवहन/निर्गमन हेतु *ई-ट्रांजिट* पास, पंजीकृत विक्रेता को प्रत्येक ई-ट्रांजिट पास के लिए दस रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क *ई-पेमेंट* के माध्यम से जमा कराने पर ही जारी किया जाएगा।

पांच खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता[58] कार्यालयों के अभिलेखों तथा विभागीय वेब-आधारित अनुप्रयोग डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध आंकड़ों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इन कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले खनन पट्टा धारकों एवं विक्रेताओं द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया गया और उन्होंने निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क जमा नहीं कराया। 3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान पट्टा धारकों एवं विक्रेताओं द्वारा कुल 7,54,708 ई-रवन्ना/ट्रांजिट पास जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹75.47 लाख की प्रोसेसिंग शुल्क राशि बकाया रहा, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-6*** में दर्शाया गया है। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ने प्रसंस्करण शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की हो।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2023)। सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि बताए गए प्रकरणों के संबंध में ₹30.22 लाख वसूल किए जा चुके हैं तथा शेष राशि वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.6.2 प्रीमियम राशि की अवसूली

खनि अभियंता ने प्रीमियम की बकाया किश्तों की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.06 लाख की वसूली नहीं हो सकी

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 13 में खनन पट्टों के लिए ई-नीलामी के लिए बोली मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस नियम के अनुसार, बोलीदाता, नियम 14 में निर्दिष्ट आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक प्रीमियम राशि राज्य सरकार को देय राशि के रूप में उद्धृत करेगा। सफल बोलीदाता प्रीमियम राशि का भुगतान चार किश्तों में निम्नानुसार करेगाः-

- प्रथम किश्त, प्रीमियम राशि का 40 प्रतिशत, ई-नीलामी पूरी होने के 15 दिनों के भीतर;
- द्वितीय किश्त, प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत, खनन पट्टा पत्र के निष्पादन या खदान अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले, जैसा भी प्रकरण हो;
- तृतीय किश्त, प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत, पट्टा/अनुज्ञप्ति अवधि के द्वितीय वर्ष के आरंभ में; तथा
- प्रीमियम राशि का शेष 20 प्रतिशत, पट्टा/अनुज्ञप्ति अवधि के तृतीय वर्ष के प्रारम्भ में देय होगा।

[58] खनि अभियंताः अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू एवं जोधपुर। सहायक खनि अभियंताः रूपवास

इसके अतिरिक्त, नियम 87 के प्रावधान के अनुसार, ऐसी कोई भी बकाया राशि जो किसी व्यक्ति द्वारा शासन को देय है या जिसके भुगतान के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, यदि वह राशि अप्राप्त रहती है तो उसे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। नियम 28(2)(xvii)(ए) में यह भी प्रावधान है कि पट्टा धारी द्वारा पट्टे में निहित किसी भी अनुबंध या शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, उच्चतर प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर, पट्टे को समाप्त कर सकता है तथा परिसर का कब्ज़ा पुनः ले सकता है।

खनि अभियंता, मकराना के अप्रैल 2020 से मार्च 2022 अवधि तक के अभिलेखों की जांच में पाया गया (अगस्त 2022) कि 12 खनन पट्टे ई-नीलामी (4 अक्टूबर 2018) के माध्यम से जारी किए गए थे और इन खनन पट्टों के अनुबंध 24 दिसंबर 2020 को पंजीकृत किए गए थे। इन खनन पट्टों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 11 खनन पट्टाधारकों ने प्रीमियम की तृतीय किश्त (बोली राशि का बीस प्रतिशत) ₹ 20.06 लाख (***परिशिष्ट-7***) देय तिथि (21 दिसंबर 2021) तक जमा नहीं कराई। हालांकि, खनि अभियंता ने पट्टाधारकों को बकाया राशि जमा कराने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया। इस बीच, इन पट्टों की चतुर्थ किश्त ₹ 20.06 लाख भी 21 दिसंबर 2022 को देय हो गई। इस प्रकार सितंबर 2023 तक कुल ₹ 40.12 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि पट्टेधारकों ने तृतीय किश्त की राशि ₹ 20.06 लाख जमा करा दी है, लेकिन चतुर्थ किश्त की बकाया मांग के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.7 रवन्ना का दुरुपयोग कर खनिजों का अनाधिकृत निर्गमन

दस पट्टाधारकों द्वारा उनके नाम स्वीकृत खनन पट्टों से जारी रवन्ना के माध्यम से अनधिकृत रूप से उत्खनित कुल 5.92 लाख मीट्रिक टन खनिजों का निर्गमन किया गया, हालांकि, संबंधित खनि अभियंता द्वारा न तो इस अवैध खनन का पता लगाया गया और न ही ₹20.23 करोड़ की खनिज के मूल्य की वसूली की गई।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जारी या अनुमोदित, जैसा भी हो, खनिज रियायत, अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई अनुमति धारण किये बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधियाँ नहीं करेगा और खानों से खनिज का निर्गमन विधिमान्य रवन्ना या ट्रांजिट पास के बिना नहीं करेगा।

नियम 54(2) में निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अनुसरण के अन्यथा में, कोई व्यक्ति किसी खनिजों का परिवहन या संग्रहण नहीं करेगा अथवा न ही खनिजों का परिवहन या संग्रहण करने का कारण बनेगा। इसके अलावा, नियम 54(3) के अनुसार, खान

एवं भूविज्ञान विभाग को खनिज का मूल्य[59] वसूल कर ऐसे प्रकरणों को निपटाने का प्राधिकार दिया गया।

पांच[60] खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों की लेखापरीक्षा (मई 2022 से दिसंबर 2022) के दौरान पाया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कुल 2,048 खनन पट्टे (अप्रधान खनिज) संचालित किए जा रहे थे। इनमें से 220 खनन पट्टों को नमूना जांच के लिए चयन किया गया। चयनित पट्टों के निर्देशांकों को "गूगल अर्थ प्रो" एप्लीकेशन पर मानचित्रित कर उनकी समीक्षा की गई। इन पट्टों से निर्गमित खनिज के संबंध में जानकारी विभागीय वेब-आधारित एप्लीकेशन डीएमजीओएमएस[61] पर उपलब्ध थी। डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध जानकारी और गूगल अर्थ प्रो से चयनित पट्टों के छायाचित्रों की जांच में पाया गया कि 10 पट्टों[62] में कोई उत्खनन गतिविधियां नहीं होने के बावजूद, 21,687 रवन्नाओं के माध्यम से कुल 5.92 लाख मीट्रिक टन खनिज निर्गमित किये गए। विवरण **तालिका 2.11** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.11: रवन्नाओं के दुरुपयोग से रवानगी किये गए खनिजों का विवरण

क्र. संख्या.	कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	कुल पट्टों की संख्या तथा (चयनित पट्टे)	चयनित पट्टे	पट्टों की संख्या जहां रवन्नाओं का दुरुपयोग हुआ है	निर्गमित खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में)	दुरुपयोग किये गये रवन्नाओं की संख्या	खनिजों की लागत (₹ करोड़ में)
1	खनि अभियंता अजमेर	2021-22	492	50	5	82,160.73	4,720	3.39
2	सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा	2020-22	71	20	1	83,095.46	2,118	5.47
3	खनि अभियंता करौली	2021-22	257	50	1	37,728.03	5,262	1.09
4	खनि अभियंता सिरोही	2021-22	421	50	1	10,877.15	471	0.31
5	खनि अभियंता जयपुर	2020-22	807	50	2	3,77,691.02[63]	9,116	9.97
	योग		**2,048**	**220**	**10**	**5,91,552.39**	**21,687**	**20.23**

इस प्रकार, जैसा कि ऊपर **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है, इन 10 पट्टेधारकों द्वारा 21,687 रवन्नाओं का दुरुपयोग कर, ₹ 20.23 करोड़ (***परिशिष्ट-8***) की लागत के कुल 5.92 लाख मीट्रिक टन खनिज का अवैध रूप से निर्गमन किया गया। हालांकि, संबंधित खनि

[59] खनिज का मूल्य: खनिज की अधिशुल्क राशि का 10 गुना।

[60] खनि अभियंता: अजमेर, करौली, सिरोही, जयपुर तथा सहायक खनि अभियंता निंबाहेड़ा।

[61] डीएमजीओएमएस: एक वेब-आधारित एप्लीकेशन "खान एवं भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली"।

[62] खनि अभियंता अजमेर: पांच पट्टे; खनि अभियंता करौली: एक पट्टा; खनि अभियंता सिरोही: एक पट्टा; खनि अभियंता जयपुर: दो पट्टे तथा सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा: एक पट्टा।

[63] 3,77,691.02 मीट्रिक टन खनिज में से 2,84,912.28 मीट्रिक टन खनिज ऑफलाइन रवन्नाओं का दुरुपयोग करके भेजा गया। ऑफलाइन रवन्नाओं की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उपयोग किए गए रवन्नाओं की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

अभियंता/सहायक खनि अभियंता अवैध खनन का न तो पता लगाया गया और न ही ₹20.23 करोड़ की खनिज लागत की वसूली की गई।

उपर्युक्त खनन पट्टों में से एक का उदाहरणात्मक उपग्रह चित्र नीचे दर्शित है:



उपग्रह चित्र 29 मई 2003



उपग्रह चित्र 15 नवम्बर 2014



उपग्रह चित्र 07 अक्टूबर 2021

चित्र 1

उपग्रह चित्रों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि 29 मई 2003 से 07 अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान खनन पट्टा संख्या 134/1997 (खनि अभियंता जयपुर) पर कोई खनन गतिविधि नहीं थी। तथापि, पट्टेधारक ने जून 2004 से 07 अक्टूबर 2021 के दौरान इस पट्टे के लिए जारी रवन्नाओं के माध्यम से 3.72 लाख मीट्रिक टन खनिजों का निर्गमन किया गया।

तथ्य यह दर्शाते हैं कि आवंटित क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों से उत्खनित खनिजों के परिवहन के लिए रवन्नाओं का दुरुपयोग किया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2023 और दिसंबर 2023) कि खनि अभियंता, करौली ने संबंधित पट्टेधारक के विरुद्ध ₹1.09 करोड़ की मांग जारी (जुलाई 2023) की थी। खनि अभियंता, सिरोही द्वारा सम्बंधित प्रकरणों की जांच वर्तमान में उनके अधिकार क्षेत्र में की जा रही है। सात पट्टेधारकों (खनि अभियंता अजमेर और जयपुर) को नोटिस जारी किए गए हैं और इन पट्टेधारकों के प्रत्युत्तरों की जांच करने के लिए खान पर्यवेक्षक को निर्देश दिए गए हैं। सहायक खनि अभियंता निम्बाहेड़ा ने भी एक पट्टेधारक को नोटिस जारी किया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.8 निष्पादन प्रतिभूति का बकाया अनुबंध राशि के विरुद्ध समायोजन न किए जाने के कारण अनुबंध राशि की अवसूली

सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा ने निष्पादन प्रतिभूति राशि को बकाया अनुबंध राशि के विरूद्ध समायोजित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार से ₹ 45.82 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 44(26) में प्रावधान है कि अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता अनुबंधधारी को पंद्रह दिन का नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अनुबंध समाप्त कर सकता हैं। इसके अलावा, इन नियमों के नियम 41 के अनुसार, ठेकेदार को वार्षिक अनुबंध राशि के 15 प्रतिशत के बराबर निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी तथा जिसे अनुबंध की समाप्ति या निरस्तीकरण के पश्चात ठेकेदार के विभागीय बकाया के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा के अप्रैल 2019 से मार्च 2022 की अवधि तक के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसंबर 2022) कि कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क[64] के संग्रह के लिए तीन अनुबंध निष्पादित किए गए थे। इन अनुबंधों की पत्रावली की जांच से पता चला कि कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में खनन पट्टों से निर्गमित खनिजों[65] पर अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिए एक ठेकेदार के पक्ष में 06 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था (मार्च 2019)। वार्षिक अनुबंध राशि ₹ 3.06 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा अधिशुल्क दरों में वृद्धि की गयी जो 22 अगस्त 2019 से प्रभावी थी। परिणामस्वरूप, वार्षिक अनुबंध राशि को संशोधित कर ₹ 3.49 करोड़ कर दिया गया (अगस्त 2019)। नियमों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा **तालिका 2.12** में दिए गए विवरण के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में ₹ 45.82 लाख की निष्पादन प्रतिभूति जमा की गई थी।

तालिका 2.12: निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी का विवरण

क्र.संख्या	बैंक गारंटी की दिनांक	गारंटी राशि (₹ लाखों में)	गारंटी की वैधता अवधि (तक)
1	11.10.2018	34.96	10.10.2021
2	05.04.2019	10.86	04.04.2022

यह देखा गया कि ठेकेदार को बकाया राशि जमा कराने हेतु जारी 15 दिन के नोटिस की अनुपालना न करने के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया गया था (24 अप्रैल 2020)। अनुबंध निरस्तीकरण की तिथि तक, ठेकेदार के विरूद्ध ₹ 45.56 लाख बकाया थे। ठेकेदार ने 22 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 और पूर्ण लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान का हवाला देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक सिविल रिट याचिका दायर की। माननीय न्यायालय

[64] "अधिक अधिशुल्क संग्रहण अनुबंध" का अर्थ है, अनुबंध में निर्दिष्ट क्षेत्र से खनन पट्टेधारक द्वारा प्रेषित निर्दिष्ट खनिज के लिए सरकार की ओर से वार्षिक स्थिर भाटक और अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शुल्क से अधिक अधिशुल्क एकत्र करने का अनुबंध।

[65] रेड ओकर, येलो ओकर, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज और सिलिका रेत।

ने आदेश दिया (05 मई 2020) कि विभाग, लॉकडाउन अवधि से संबंधित राशि का भुगतान न करने के कारण अनुबंध को समाप्त नहीं करेगा। यह भी आदेश दिया गया कि ठेकेदार को आदेश जारी होने के सात दिनों की अवधि के भीतर अपने सभी बकाया (22 मार्च 2020 तक) का भुगतान करना आवश्यक था। इसके बाद, ठेकेदार ने अनुबंध को आगे बढ़ाने में कोई रूचि नहीं दिखाई और पुनः माननीय न्यायालय में अपील की। फलस्वरूप, माननीय न्यायालय ने 08 जून 2020 तक देय राशि[66] जमा करने का आदेश (03 जून 2020) जारी किया। यह भी आदेश दिया गया कि खान विभाग न्यायालय की अनुमति के बिना निष्पादन प्रतिभूति का नकदीकरण नहीं करेगा। तथापि, ठेकेदार के लिए यह आवश्यक था कि वह पूर्व निष्पादन प्रतिभूति की अवधि समाप्त होने से कम-से-कम सात दिन पूर्व बैंक गारंटी/निष्पादन प्रतिभूति का नवीनीकरण करें। यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता, तो खान विभाग को बिना किसी अतिरिक्त आदेश के निष्पादन प्रतिभूति के नकदीकरण करने का अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ठेकेदार ने न तो निर्धारित समय में बकाया राशि जमा की और न ही नई निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की। तथापि, सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा ने निष्पादन प्रतिभूति का नकदीकरण नहीं किया गया। पिछली निष्पादन प्रतिभूति की वैधता 10 अक्टूबर 2021 तथा 04 अप्रैल 2022 को समाप्त हो चुकी थी।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी निष्पादन गारंटी का नकदीकरण न होने के कारण बैंक गारंटी के समकक्ष राशि ₹ 45.82 लाख की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए एक समिति गठित की गई (3 फरवरी 2022) थी। समिति ने निदेशालय को बताया कि कार्यालय द्वारा अनुबंध अनियमित रूप से निरस्त किया गया था। इसलिए निष्पादन प्रतिभूति को ठेकेदार की बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध रद्द करने से पहले ठेकेदार पर ₹ 45.56 लाख बकाया थे। ठेकेदार उक्त राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था, जो जमा नहीं कराई गई थी (जून 2024)। इसके अलावा, शासन द्वारा अनुबंध के अनियमित निरस्तीकरण के लिए किसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2025)।

[66] 22 मार्च 2020 तक की अवधि।

2.9 मासिक विवरणी भरने में देरी के लिए विलंब शुल्क का अधिरोपण न किया जाना

चौदह सहायक खनि अभियंताओं/खनि अभियंताओं ने 48 खनन पट्टाधारकों द्वारा मासिक प्रतिवेदन विलंब से भरने पर ₹ 9.35 करोड़ की विलंब शुल्क राशि की वसूली एवं अधिरोपण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की। साथ ही, अन्य 58 खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध विवरणी जमा न करने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 28(2)(iv)(डी) के प्रावधान के अनुसार, पट्टेधारक को आगामी माह की 15 तारीख तक मासिक ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत करनी होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि पट्टेधारक निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे प्रति विलंब दिन के आधार पर ₹500 की दर से विलंब शुल्क (अधिकतम ₹50000) का भुगतान करके प्रस्तुत कर सकता है।

14 सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता[67] कार्यालयों के अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक की अवधि के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसंबर 2023) कि:

- 48 पट्टेधारकों ने 31 मार्च 2023 (एमनेस्टी योजना की समाप्ति की तिथि) के बाद 1,871 मासिक विवरणी विलंब से प्रस्तुत किए, जिनमें विलंब अवधि 351 से 2,147 दिनों के बीच थी। इसके लिए संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा ₹ 9.35 करोड़ रुपये की राशि का विलम्ब शुल्क अधिरोपित की जानी थी।
- 58 पट्टेधारकों ने 2,678 मासिक विवरणी 17 से 48 माह की अवधि के लिए प्रस्तुत ही नहीं की।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2023) कि 31 मार्च 2023 के बाद विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने वाले पट्टाधारकों के विरुद्ध ₹ 9.35 करोड़ की विलंब शुल्क वसूली हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, और न ही उन पट्टाधारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत नहीं की।

इस प्रकार, ₹ 9.35 करोड़ रुपये का विलम्ब शुल्क वसूल नहीं किया जा सका तथा विवरणी प्रस्तुत न करने के प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2023), सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि पट्टेधारकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण फिर से सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2024); उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

[67] अजमेर, जालौर, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, झुंझुनू, मकराना, जयपुर, कोटा, रूपवास, सवाई माधोपुर, सोजत सिटी, उदयपुर एवं राजसमंद।

2.10 ऑनलाइन मांग पंजिका में पूर्व दिनांकित प्रविष्टि के माध्यम से पट्टाधारक को अनुचित लाभ दिया जाना

सहायक खनि अभियंता ने अवैध खनन की मांग निर्धारित अवधि में ऑनलाइन मांग पंजिका में दर्ज नहीं की। इस चूक के कारण पट्टाधारक ने ₹ 6.33 लाख रुपये के ई-रवन्ना जारी किये जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उत्खनित खनिजों की लागत ₹ 20.73 लाख रुपये की वसूली नहीं की जा सकी।

प्रबंधन परिवर्तन नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि डेटाबेस में किए गए संशोधन उचित रूप से अनुमोदित, परीक्षणित, स्वीकृत एवं प्रलेखित हों। इन नियंत्रणों से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी सिस्टम और प्रोग्राम में किए गए परिवर्तन उचित रूप से न्यायोचित, अधिकृत, अभिलेखित तथा परीक्षणित हों और परिवर्तनों का पर्याप्त ऑडिट ट्रेल संधारित किया जाए। सभी परिवर्तन प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। कमजोर परिवर्तन नियंत्रणों के कारण सॉफ्टवेयर या डेटा में आकस्मिक अथवा दुर्भावनापूर्ण परिवर्तन किए जा सकते हैं।

खान एवं भूविज्ञान विभाग, विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन विभागीय वेब-पोर्टल डीएमजीओएमएस का उपयोग करता है। इस पोर्टल के एक मॉड्यूल में मांग रजिस्टर सम्मिलित है। जब भी पट्टेधारकों से कोई राशि देय होती है, तो सिस्टम में मांग दर्ज की जाती है और यदि राशि जमा हो जाती है, तो उसे भी सिस्टम में दर्शाया जाता है। इसके अलावा, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय के आदेश (18 अक्टूबर 2017) के अनुसार खनन पट्टाधारक द्वारा ई-रवन्ना तभी जारी किया जा सकता है, जब उस पर कोई विभागीय बकाया न हो।

सहायक खनि अभियंता, सवाई माधोपुर के अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि तक के अभिलेखों जाच में पाया गया (नवंबर 2022) कि पट्टा संख्या 78ए/2010 के धारक के विरुद्ध पट्टा क्षेत्र से बाहर 2,820 घन मीटर (7,332 मीट्रिक टन) चिनाई पत्थर के अवैध खनन के लिए 2 फरवरी 2022 को ₹20.73 लाख की मांग जारी की गई थी। हालांकि, जनवरी 2024 तक डीएमजीओएमएस में ऑनलाइन मांग पंजिका में मांग दर्ज नहीं की गई थी। विभाग ने सूचित किया (27 फरवरी 2024) कि डीएमजीओएमएस एप्लीकेशन में ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट नोट मॉड्यूल का उपयोग करके पट्टाधारक के विरुद्ध डीएमजीओएमएस में मांग दर्ज की गई थी। सहायक खनि अभियंता द्वारा 1 फरवरी 2024 को मांग प्रविष्टि की गई थी और डेबिट प्रविष्टि 2 फरवरी 2022 को की गयी।

यह प्रविष्टि भूतलक्षी रूप से सिस्टम में दर्ज की गई थी। परिणामस्वरुप, पूर्व दिनांकित प्रविष्टि आगामी वर्ष के मांग रजिस्टर में अग्रेषित नहीं हुई, और पट्टाधारक के विरुद्ध आगे के वर्षों की बकाया राशि सही रूप से प्रदर्शित नहीं हुई। फलस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक ₹ 20.85 लाख[68]

[68] इसमें ₹ 0.12 लाख अन्य लंबित मांग शामिल है ।

की मांग को 01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष के रूप में नहीं दिखाया गया। यह त्रुटि अगले वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ऑनलाइन मांग पंजिका में भी बनी रही। इसके अलावा, 2 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान ₹ 6.33 लाख की अधिशुल्क राशि के ई-रवन्ना अनियमित रूप से जारी किए गए, जबकि उक्त राशि विभाग को देय थी।

इसके बाद, सरकार ने डीएमजीओएमएस में सिस्टम की कमियों के बारे में सहमति व्यक्त की (मई 2024) और कहा कि मॉड्यूल को अद्यतन किया जा रहा है और वर्तमान में विभागीय सर्वर पर परीक्षण जारी है। पट्टाधारक, जैसा कि आक्षेप में अनुचित लाभ के बारे में बताया गया है, के सम्बन्ध में सहायक खनि अभियंता (सवाई माधोपुर) से विस्तृत उत्तर प्रतिक्षित है। जबकि तथ्य यह है कि पट्टाधारक को ₹20.85 लाख का अनुचित लाभ दिया गया, जिसकी वसूली नहीं की जा सकी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

2.11 पट्टे के हस्तांतरण के संबंध में पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की अवसूली

आरएमएमसी नियम, 2017 तथा राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पट्टा हस्तांतरण से संबंधित पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹7.62 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ

आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 27 (4) के तहत प्रावधान है कि जहां खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए आदेश जारी किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर फॉर्म-12 में हस्तांतरण पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा। नियम 27(5) के अनुसार, पट्टा का हस्तांतरण उस तिथि से प्रभावी होगा जिस दिन हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण किया गया हो।

नियम 27 (6) में प्रावधान है कि खनन पट्टा के हस्तांतरण विलेख का पंजीकरण हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के दो माह के भीतर किया जाना चाहिए तथा संबंधित खनि अभियंता अथवा सहायक खनि अभियंता को वापस कर दिया जाएगा। बशर्ते कि यदि निर्धारित अवधि में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन अथवा पंजीकरण नहीं किया गया तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरण आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा और आवेदन शुल्क एवं प्रीमियम राशि जब्त कर ली जाएगी।

नियम 27(7)(iii) में प्रावधान है कि किसी कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण, जिसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनी के प्रबंधन या स्वामित्व अधिकार के नियंत्रण में परिवर्तन होता है, उसे भी हस्तांतरण माना जाएगा। नियम 27(8) में प्रावधान है कि पट्टेधारक या अनुज्ञप्तिधारी उपनियम (7) में उल्लिखित किसी भी परिवर्तन के सम्बन्ध में 60 दिनों के भीतर उपनियम (9) में उल्लेखित आवेदन शुल्क और प्रीमियम राशि के साथ संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को सूचित करेगा। इस स्थिति में प्रासंगिक कानून के अंतर्गत हस्तांतरण उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को भागीदार या निदेशक का परिवर्तन हुआ हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्त विभाग (कर अनुभाग), राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के तहत खनन प्रयोजनों हेतु भूमि की दरों में संशोधन किया (21 नवंबर 2019), इसके अनुसार, खनन पट्टा के हस्तांतरण की स्थिति में भूमि दर उस क्षेत्र की कृषि भूमि दर के चार गुना या वार्षिक स्थिर भाटक राशि के चार गुना के बराबर होगी, साथ ही स्थल पर किए गए विकास कार्यों की लागत एवं अन्य विविध व्यय जोड़े जाएंगे, अथवा पिछले चार वर्षों की अधिशुल्क राशि के साथ विकास कार्यों की लागत और अन्य व्यय जोड़े जाएंगे; जो भी राशि अधिक होगी, वही देय होगी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (फरवरी 2023) कि नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, लाखेरी सीमेंट वर्क्स, बूंदी के पास कोटपुतली में चूना पत्थर और संगमरमर के उत्खनन के लिए 96.25 हेक्टेयर भूमि का खनन पट्टा संख्या 259/1994 था। यह कंपनी एसीसी लिमिटेड द्वारा 20 अप्रैल 2009 को अधिग्रहित की गई थी । तब से, नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी बन गयी। तथापि, 30 नवंबर 2020 को 100 प्रतिशत शेयरधारिता एसीसी लिमिटेड से एन.जी. गढ़िया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को पुनः हस्तांतरित कर दी गई। नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 24 दिसम्बर 2020 को नियम 27(7)(iii) के तहत शेयर हस्तांतरण द्वारा पट्टा हस्तांतरण की सूचना देने हेतु नियम 27(8) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया और उचित हस्तांतरण आदेश जारी करने हेतु अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के समक्ष ₹25,000 का हस्तांतरण आवेदन शुल्क और ₹10 लाख का हस्तांतरण प्रीमियम राशि जमा करवायी। अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर ने मूल अनुबंध की शर्तों पर खनन पट्टे को जारी रखने की अनुमति दी (8 अप्रैल 2021)। इसकी अनुपालना में, नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि और खनि अभियंता, जयपुर के बीच स्टांप पेपर पर एक पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया (21 मई 2021), जबकि फॉर्म-12 में एक हस्तांतरण पट्टा विलेख निष्पादित की जानी चाहिए थी। सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली ने नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से दो महीने के भीतर उक्त पूरक अनुबंध के पंजीकरण और उसके बाद मूल पंजीकृत पूरक अनुबंध उन्हें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (25 मई 2021)। नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इसका विरोध किया तथा अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (19 जुलाई 2021)। अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर ने इस मामले को निदेशालय के समक्ष आवश्यक दिशा-निर्देश हेतु प्रस्तुत किया (23 जुलाई 2021)। तत्पश्चात, 26 अगस्त 2021 को अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर ने सूचित किया कि सरकारी निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में केवल सूचना देना ही पर्याप्त है और अलग से कोई हस्तांतरण आदेश आवश्यक नहीं है।

इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई अभिलेख नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि जब एसीसी लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2009 को नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया था, तब पट्टा का हस्तांतरण विधिवत रूप से एसीसी लिमिटेड को किया गया था।

सरकार ने आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 27 के प्रासंगिक प्रावधानों की गलत व्याख्या की और पट्टाधारक को अनुचित लाभ पहुँचाया। इसके परिणामस्वरूप पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क के रूप में राजकोष को ₹7.62 करोड़[69] का राजस्व नुकसान हुआ है।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितंबर 2023)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि खान एवं भूविज्ञान निदेशालय के निर्देशों (16 अगस्त 2023) के अनुपालना में, सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली ने पट्टाधारक को आरएमएमसी नियम, 2017 के नियम 27(7) के अनुसार देय स्टाम्प शुल्क जमा करने हेतु नोटिस जारी किया था (12 दिसंबर 2023)। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

[69] भूमि की कीमत = ₹ 86,58,19,185 (दर ₹ 22,48,881 प्रति हेक्टेयर x चार गुना x ₹ 96.25 हेक्टेयर) (मुद्रांक शुल्क 6 प्रतिशत, उस पर 30 प्रतिशत अधिभार तथा एक प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क)।

अध्याय–III

परिवहन विभाग

अध्याय-III

परिवहन विभाग

3.1 कर प्रशासन

मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां, जो कि केंद्रीय और राज्य मोटर वाहन अधिनियमों और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय है, सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) द्वारा प्रशासित की जाती है। परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (विभाग) के प्रमुख है तथा इनकी सहायता छः अतिरिक्त परिवहन आयुक्तों, चार उप परिवहन आयुक्तों और पांच संयुक्त परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है। सम्पूर्ण राज्य को 13 क्षेत्रों[1] में विभाजित किया गया है, जिसका नेतृत्व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) करते हैं, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के पदेन सचिव हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य में 58 परिवहन जिले[2] हैं जिनके क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी प्रमुख हैं, दिसम्बर 2022 तक इनमें कुल 1.82 करोड़ वाहन पंजीकृत थे। परिवहन विभाग में लेखापरीक्षा के योग्य 58 इकाइयाँ थी। इनमें से 21 इकाइयों को नमूना जाँच के लिए चुना गया, जिनमें 1.40 करोड़ वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 68,122 वाहनों को नमूना जाँच के लिए चयनित किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान कर की अवसूली/कम वसूली, शास्ति, ब्याज और कम्पाउंडिग शुल्क के कम भुगतान, कर के अनिर्धारण/कम निर्धारण, मोटर वाहन कर की संगणना इत्यादि से संबंधित ₹ 32.89 करोड़ की अनियमितताओ से जुड़े कुल 7,007 मामले देखे गए। इसी प्रकार की कुछ कमियां विगत वर्षों में भी इंगित की गयी थी, लेकिन इस प्रकार की अनियमितताएं न केवल बनी रहीं, बल्कि लेखा-परीक्षा होने तक इनका पता भी नहीं चला। ये मामले उदाहरण मात्र हैं और लेखापरीक्षा द्वारा किए गए नमूना-जांच पर आधारित हैं। मुख्य रूप से पायी गयी अनियमितताएं, **तालिका 3.1** में दी गई निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।

1 क्षेत्रः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर (प्रथम), जयपुर (द्वितीय), जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

2 परिवहन जिलेः आबू रोड, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, बीकानेर, भिवाड़ी, बूंदी, चौमू, चूरू, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, धौलपुर, दूदू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, जयपुर (प्रथम), जयपुर (द्वितीय), करौली, कोटा, केकड़ी, खेतड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, पीपाड़ सिटी, पोकरण, पाली, फलोदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर, शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), सिरोही, सीकर, सलूम्बर, सुमेरपुर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, टोंक और उदयपुर।

तालिका 3.1: **वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित राशि का विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज और कम्पाउंडिग शुल्क इत्यादि की अवसूली/कम वसूली	6,588	32.62
2.	व्यय से संबंधित अनियमितताएँ	257	0.27
3.	अन्य अनियमितताएँ	162	-
कुल		**7,007**	**32.89**

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने 9,648 मामलों में ₹ 56.77 करोड़ के कर की अवसूली/कम वसूली, शास्ति, ब्याज और अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 29.87 करोड़ से जुड़े 6,550 मामले वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा में और शेष पिछले वर्षों के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2022-23 के दौरान 2,156 मामलों में ₹ 4.93 करोड़ की वसूली की गई, जिनमें से 503 मामलों में ₹ 1.99 करोड़ की वसूली 2022-23 में और शेष पिछले वर्षों में इंगित किये गए थे।

प्रतिवेदन में ₹ 36.37 करोड़ की राशि के उदाहरणात्मक प्रकरण शामिल किए गए हैं, जो कि नीचे दिए गए है:

3.3 मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

वाहन स्वामियों द्वारा 1,677 वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹12.10 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 की धारा 4 और 4 बी, तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, सभी परिवहन वाहनों जिन्हें राज्य में उपयोग किया जा रहा था या उपयोग हेतु रखे गए थे, पर मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है। देय कर पर अधिभार भी लगाया जाता है। यह कर वार्षिक रुप से देय होता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय था और इसे अगले वर्ष 31 मार्च तक जमा करना होता है। इसके अलावा, कराधान अधिकारी को राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम,1951, के नियम 8 और 33 के तहत कर की वसूली के लिए नोटिस देने और धारा 13 ए के तहत भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के माध्यम से देय कर या जुर्माना वसूल करने का अधिकार था।

वर्ष 2022-23 के दौरान 21 परिवहन कार्यालयों की नमूना जाँच की गई, जिसमें से 19 परिवहन कार्यालयों[3] में मोटर वाहन कर की वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण अनियमितताएं पाई गईं। इन

[3] आरटीओः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर, उदयपुर।
डीटीओः ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, पीवी-द्वितीय जयपुर, राजसमंद, श्रीगंगानगर।

कार्यालयों में कुल 4.66 लाख वाहन (परिवर्तित भार वाहन, भार वाहन, संविदा यात्री वाहन तथा स्टेज कैरिज यात्री वाहन) पंजीकृत थे, जिनमें से 14,872 वाहनों की नमूना जाँच की गई। इन कार्यालयों के 2016-17 से 2021-22 अवधि के लिए पंजीयन अभिलेखों, कर खातों, सामान्य सूची पंजिकाओं एवं वाहन एप्लीकेशन[4] की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि 1,677 वाहनों के मालिकों द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों मे इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया जो सिद्ध करते हो कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे, अन्य जिलों/राज्यों को स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पित कर दिए गए थे। तथापि कराधान अधिकारियों द्वारा देय कर की वसूली के कोई प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹12.10 करोड़ के कर एवं अधिभार की वसूली नहीं हुई, जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.2: कर की अवसूली का विवरण

क्रम संख्या	वाहनों की श्रेणी	नमूना जाँच किए गए वाहनों की संख्या	आक्षेपित वाहनों की संख्या	राशि (करोड़ मे)	कार्यालयों के नाम जहां अनियमितताएं पाई गई
1.	परिवर्तित भार वाहन[5]	5,135	421	2.17	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर और उदयपुर जिला परिवहन कार्यालयः ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, चूरू, झुंझुनूं, राजसमंद और श्रीगंगानगर
2.	भार वाहन[6]	8,561	909	4.38	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयः अजमेर, अलवर, बीकानेर, पाली और सीकर जिला परिवहन कार्यालयः ब्यावर, भीनमाल, भीलवाड़ा, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद और श्रीगंगानगर
3.	संविदा यात्री वाहन (अखिल भारतीय परमिट)[7]	469	145	3.51	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर जिला परिवहन अधिकारीः ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, चूरू, झुंझुनू, पीवी-II जयपुर और श्रीगंगानगर
4.	स्टेज कैरिज यात्री वाहन[8]	707	202	2.04	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः बीकानेर, जोधपुर, कोटा और सीकर जिला परिवहन अधिकारीः चूरू, झुंझुनू, नागौर, पीवी-द्वितीय जयपुर और राजसमन्द
योग		**14,872**	**1,677**	**12.10**	

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित

[4] विभागीय वेब-आधारित एप्लिकेशन वाहन से संबंधित गतिविधियों जैसे पंजीकरण, फिटनेस, कर, परमिट और प्रवर्तन की देखभाल करता है।

[5] "परिवर्तित भार वाहन" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जिससे एक अर्ध-ट्रेलर जुड़ा हो।

[6] "भार वाहन" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जिसे विशेष रूप से केवल माल ढोने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया हो।

[7] "संविदा यात्री वाहन" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जो किराए या पारिश्रमिक के आधार पर यात्री या यात्रियों को ले जाता है और जो अनुबंध के तहत संलग्न होता है।

[8] "स्टेज कैरेज यात्री वाहन" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जिसे छः से अधिक यात्रियों (ड्राइवर को छोड़कर) को ले जाने के लिए बनाया या अनुकूलित किया गया हो।

इन प्रकरणों को इंगित (मई 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य) किये जाने के बाद, सरकार ने उत्तर दिया (जून 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य) कि 17 क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों से सम्बन्धित 276 वाहनों से ₹1.68 करोड़ की राशि की वसूली कर ली गई थी। आगे की प्रगति अपेक्षित है (अगस्त 2024 तक)। शेष क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

3.4 पोर्टेबल वेइंग मशीनों की खरीद पर ₹ 21.26 करोड़ का निष्फल व्यय

परिवहन विभाग द्वारा 179 पोर्टेबल वेइंग मशीनों पर ₹21.26 करोड़ का निष्फल व्यय किया, क्योंकि कमजोर निगरानी और समन्वय के कारण इन मशीनों को वाहन सॉफ़्टवेयर से एकीकृत (इंटीग्रेट) नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ये मशीनें अनुपयोगी हो गईं

परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार ने फरवरी 2021 में वित्त विभाग को पोर्टेबल वेइंग मशीनों (पीडब्ल्यूएम) की खरीद के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन पीडब्ल्यूएम का उद्देश्य वाहनों के अधिक भार (ओवरलोडिंग) पर नियंत्रण करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को लागू करने के लिए विभाग के 'उड़न दस्तों' को सुसज्जित करना था। विभाग ने ओवरलोडिंग को एक सुरक्षा संबंधी चिंता के रूप में बताते हुए अपने प्रस्ताव में उल्लेख किया कि ओवरलोडिंग सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाती है और प्रदूषण को बढ़ाती है। विभाग ने अपने प्रस्ताव में बताया कि सड़कों पर वज़न तौलने वाले यंत्रों की कमी और ओवरलोडेड वाहनों को दूर स्थित वेइंग सेंटर तक ले जाने की असुविधा को देखते हुए, पीडब्ल्यूएम (पोर्टेबल वेट मशीनें) मौके पर ही वजन जांच और स्वतः चालान जनरेट करने की सुविधा प्रदान करेंगी । विभाग ने यह भी बताया कि उपकरणों की खरीद स्व-वित्तपोषित होगी, और अधिक भार वाले वाहनों से बढ़े हुए जुर्मानों के माध्यम से एक वर्ष के भीतर लागत की भरपाई कर ली जाएगी, विभाग ने ₹ 43.20 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का अनुमान भी लगाया था।

परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और तकनीकी पहलुओं के समन्वय हेतु परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में एक परियोजना प्रबंधन इकाई[9] (पीएमयू) के गठन का भी प्रस्ताव दिया।

मई 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा 179 पीडब्ल्यूएम की खरीद के लिए ₹27.00 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गयी थी। कार्यक्षेत्र के अनुसार, इन मशीनों को परिवहन विभाग के *ई-चालान पोर्टल/वाहन*[10] के साथ एकीकृत किया जाना था। आपूर्तिकर्ता को एपीआई[11] एकीकरण, सॉफ़्टवेयर, तथा तकनीकी सहायता प्रदान करनी थी। पोर्टेबल वेईग मशीनों का *वाहन*

[9] पीएमयू में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, वित्तीय सलाहकार, एनआईसी से तकनीकी निदेशक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सिस्टम विश्लेषक अन्य सदस्य थे।

[10] यह एक लचीली और व्यापक प्रणाली है जो वाहन पंजीकरण, फिटनेस, कर, परमिट और प्रवर्तन की गतिविधियों की देखभाल करती है।

[11] एपीआई : एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।

एवं *ई-चालान पोर्टल*/पीओएस डिवाइसों[12] के साथ एकीकरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सॉफ़्टवेयर अनुकूलन किया जाना अपेक्षित था, ताकि ई-चालान स्वतः ही जारी हो सकें।

विभाग ने पीडब्लूएम की आपूर्ति हेतु अगस्त 2021 में निविदाएँ आमंत्रित की थीं, और चार फर्मों ने निविदा में भाग लिया। न्यूनतम बोलीदाता होने के कारण, एक संवेदक को दिसंबर 2021 में 179 पीडब्लूएम की आपूर्ति हेतु राशि ₹ 26.72 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। कार्यादेश के अनुसार, पीडब्लूएम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग, पीओएस डिवाइसेज़ के साथ एकीकरण, तीन वर्षों की वारंटी, तथा अनुरक्षण एवं तकनीकी सहायता हेतु सेवा अभियंताओं के नियोजन से संबंधित सभी लागतों का मूल्य इस राशि में सम्मिलित था। पीडब्लूएम के एकीकरण के कार्य की मुख्य जिम्मेदारी संवेदक की थी। परिवहन विभाग में नियुक्त राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के अधिकारियों को एकीकरण हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करनी थी। भुगतान की शर्तों के अनुसार, 80 प्रतिशत राशि का भुगतान पीडब्लूएम की आपूर्ति, प्रशिक्षण एवं सॉफ़्टवेयर एकीकरण के पश्चात किया जाना था, शेष 15 प्रतिशत राशि का भुगतान तीन माह के संतोषप्रद कार्य के पश्चात् तथा अंतिम पांच प्रतिशत राशि का भुगतान अनुबंध की समाप्ति पर किया जाना था।

संवेदक द्वारा पीडब्ल्यूएम मशीनों की आपूर्ति दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 के मध्य की गई थीं और विभाग ने कार्य आदेश राशि का 80 प्रतिशत, अर्थात ₹ 21.26 करोड़ (जनवरी और मार्च 2022 में) का भुगतान किया था। तथापि, दिसंबर 2022 में परिवहन आयुक्त कार्यालय में अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि न तो ये मशीनें पीओएस और *वाहन 4.0* सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत की गई थीं और न ही क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मशीनों के उपयोग के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं[13] का समाधान किया गया था।

इन समस्याओं के समाधान के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की एक बैठक आयोजित (दिसंबर 2022) की गई, जिसमें संवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि मशीनों को एकीकृत करने के लिए प्रत्येक पोर्टेबल मशीन (पीडब्ल्यूएम) में एक हार्डवेयर डिवाइस (आईओएल) लगाया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के निदेशक द्वारा बताया गया कि हार्डवेयर डिवाइस को लगाने के बाद ही आगे का एकीकरण कार्य किया जा सकता है। तथापि, विभाग पीडब्ल्यूएम के एकीकरण को सुनिश्चित करने में असफल रहा और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा (मई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य) पोर्टेबल वेट मशीनों में गंभीर तकनीकी समस्याएं बताई गई, जिनके कारण उड़न दस्तों द्वारा इन मशीनों का उपयोग किया जाना अव्यवहारिक हो गया, बल्कि जुर्माना राशि संग्रहण से होने वाली राजस्व आय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

इस आक्षेप को वर्ष 2023-24 में नौ क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालयों[14] की लेखापरीक्षा के दौरान भी सत्यापित किया गया, जिसमें पाया गया कि इन परिवहन कार्यालयों को 15 पोर्टेबल वेइंग

[12] पीओएस मशीनः पॉइंट ऑफ सेल मशीन।

[13] वाहन भार रीडिंग में अंतर, मशीन पैड्स, मदरबोर्ड्स और इंडिकेटर्स में खराबी, प्रिंटिंग की समस्याएं, चार्जर खराब होना, और सेवा इंजीनियरों की अनुपस्थिति।

[14] डीटीओः केकड़ी, जालौर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फलोदी, झालावाड़, बूंदी और चौमू।

मशीन उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन संवेदक द्वारा मशीनों को *वाहन 4.0* सॉफ़्टवेयर से एकीकरण न किये जाने और विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण उड़न दस्तों द्वारा *ई-चालान* बनाने के लिए इन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सका। समस्याओं का निर्धारित समय में समाधान नहीं किए जाने के कारण (जून 2023 से जनवरी 2024 की अवधि के दौरान) विभाग, संवेदक से ₹3.01 करोड़ की जुर्माना राशि वसूलने में भी असफल रहा।

इस प्रकार, संवेदक द्वारा पोर्टेबल वेइंग मशीनों को *वाहन 4.0* सॉफ़्टवेयर और पीओएस मशीनों के साथ एकीकृत नहीं किये जाने के कारण ₹21.26 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया। परिवहन विभाग द्वारा निगरानी नहीं किये जाने और समन्वय नहीं होने के कारण पोर्टेबल वेइंग मशीनों का उपयोग नहीं हो सका जिससे योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। यह विफलता सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए जोखिम बनी रही। इसके अलावा, विभाग द्वारा संवेदक से ₹3.01 करोड़ की जुर्माना राशि[15] की वसूली नहीं किये जाने से राज्य को हुए वित्तीय नुकसान को और बढ़ा दिया।

मामला विभाग को बताया गया (सितंबर 2024), सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि संवेदक को पोर्टेबल वेइंग मशीनों को *वाहन* सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकृत करने के लिए कई पत्र भेजे गए थे। तथापि, संवेदक ने इसका पालन नहीं किया। वित्तीय सलाहकार ने भी इस निरर्थक व्यय पर चिंता जताई और संवेदक से राशि की वसूली की सिफारिश की। बैंक गारंटी को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है। (फरवरी 2025)

[15] आरएफपी की शर्तों के अनुसार, यदि कोई शिकायत 48 घंटे के भीतर हल नहीं होती है तो ₹600 प्रति दिन, प्रति शिकायत और 72 घंटे के भीतर हल नहीं होने पर ₹1,500 प्रति दिन, प्रति शिकायत का जुर्माना संवेदक से वसूला जाना था।

अध्याय–IV

वन विभाग

अध्याय-IV
वन विभाग

4.1 परिचय

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसका उत्तर-पश्चिमी भाग रेगिस्तान या अर्द्ध-रेगिस्तान है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9.62 प्रतिशत अर्थात 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। इस 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में 13,350 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र शामिल है जिसमें तीन राष्ट्रीय उद्यान, तीन बाघ अभयारण्य, 27 अभयारण्य और 14 संरक्षण रिजर्व शामिल हैं।

राजस्थान सरकार का वन विभाग राज्य के वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा और सतत प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने की देखरेख करता है, साथ ही वन और वन्यजीव कानूनों को लागू करता है। प्रशासनिक रूप से, विभाग का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) करते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) और जिला स्तर पर उप वन संरक्षक (डीसीएफ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह विभाग राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का प्रबंधन भी करता है तथा राजस्थान की समृद्ध पारिस्थितिक धरोहर के संरक्षण में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन जैसे समुदाय-आधारित कार्यक्रमों को लागू करता है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान वन विभाग के चयनित कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाई गई आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान वन विभाग के अंतर्गत कुल 119 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं, जिनमें से 21 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई।

तालिका 4.1: वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा के ध्यान में आई अनियमितताओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विषय	मामलों की संख्या
1.	मापन पुस्तिका के संधारण में कमी एवं मापन पुस्तिकाओं में काट-छांट एवं अधिलेखन	4
2.	श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करना	37
3.	दैनिक कार्य पंजिकाओं के संधारण का अभाव	8
4.	परिसमाप्त क्षतियों की वसूली का अभाव	9
5.	आयकर कटौती का अभाव	4
6.	अनियमित व्यय/अतिरिक्त व्यय/अधिक व्यय/दोहरा भुगतान/अधिक भुगतान/ व्यर्थ व्यय	78
7.	प्रशासनिक/ वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति का अभाव एवं अन्य अनियमितताएं	24
8.	आवंटित बजट के उपयोग का अभाव/निधियों का अवरुद्ध होना/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने का अभाव	10

क्र.सं.	विषय	मामलों की संख्या
9.	गुणवत्ता निरीक्षण/परीक्षण का अभाव	12
10.	अप्रचलित वस्तुओं के निपटान का अभाव	4
11.	विविध अनियमितताएं	80
12.	आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव	9
13.	लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों की प्रस्तुति का अभाव	4
योग		**283**

स्रोतः विभाग को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

4.3 'राजस्थान में बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन' पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा

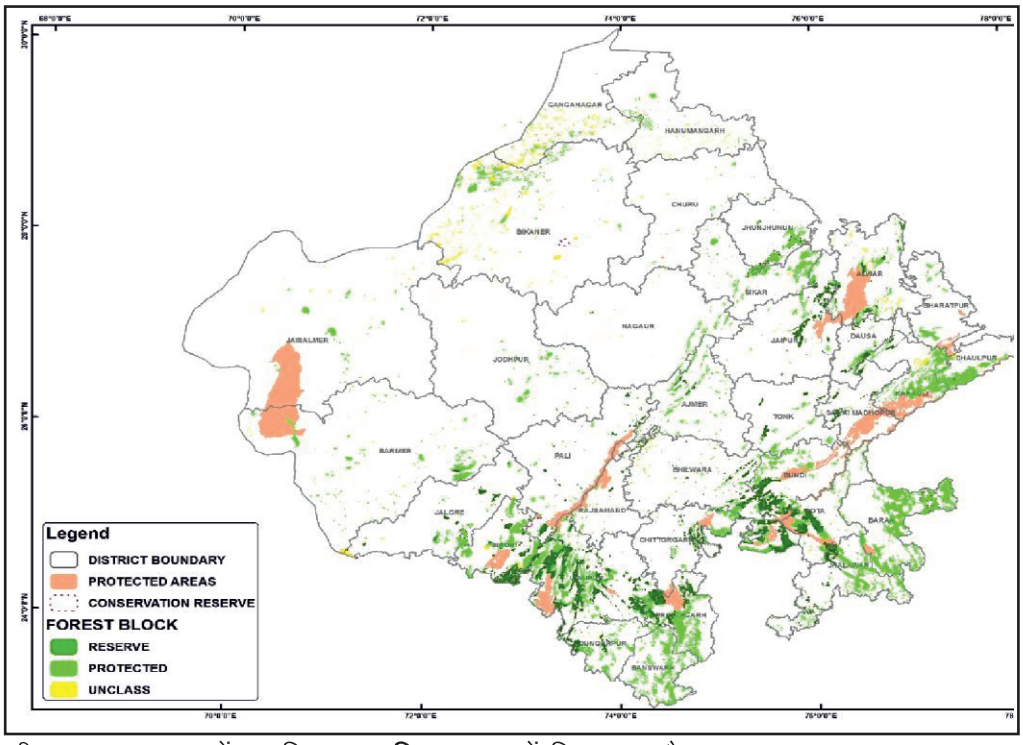
4.3.1 परिचय

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्य सरकार को पर्याप्त पारिस्थितिकी, जीव-जंतु, पुष्प, प्राकृतिक या प्राणिविज्ञान संबंधी महत्व वाले किसी भी क्षेत्र को संरक्षण अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य घोषित करने का अधिकार देता है, ताकि वन्यजीवों या उनके पर्यावरण की रक्षा, प्रसार और विकास किया जा सके। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण[1] (एनटीसीए) की उचित संस्तुति के अनुसार बाघों की पर्याप्त उपस्थिति वाले वन क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करने पर विचार किया जाता है।

राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9.62 प्रतिशत यानी 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है। इस 32,921 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में 13,350 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र शामिल है, जिसमें तीन राष्ट्रीय उद्यान, तीन बाघ अभयारण्य, 27 अभयारण्य और 14 संरक्षण अभयारण्य शामिल हैं। राज्य का वन मानचित्र नीचे **चित्र 4.1** में प्रस्तुत किया गया हैः

[1] यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय, जिसकी व्यापक पर्यवेक्षी/समन्वयकारी भूमिका है, तथा जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।

चित्र 4.1: राजस्थान का वन मानचित्र



तीन बाघ अभयारण्यों का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: बाघ अभयारण्यों का विवरण

क्र.सं.	बाघ अभयारण्यों के नाम	कवर किये गये जिले	अधिसूचना की तिथि/वर्ष		क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
			मुख्य क्षेत्र	बफर क्षेत्र	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रणथंभौर बाघ अभयारण्य (आरटीआर)	बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक	28 दिसंबर 2007	06 जुलाई 2012	1,113.36
2	सरिस्का बाघ अभयारण्य (एसटीआर)[2]	अलवर	28 दिसंबर 2007	06 जुलाई 2012	881.11
3	मुकंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य (एमएचटीआर)	बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा	09 अप्रैल 2013	09 अप्रैल 2013	417.17

स्रोतः वन विभाग

आरटीआर को दो वन प्रभागों में विभाजित किया गया है, अर्थात सवाई माधोपुर में आरटीआर-I एवं करौली में आरटीआर-II । उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार ने (मई 2022 और अक्टूबर 2023) दो नए बाघ अभयारण्य अर्थात रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य (1501.89 वर्ग किलोमीटर) एवं धौलपुर-करौली बाघ अभयारण्य (599.64 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित किए हैं। बाघ अभयारण्य क्षेत्र में मुख्य, बफर और कॉरीडोर क्षेत्र शामिल हैं, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

बाघ अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र	बफर क्षेत्र	कॉरिडोर
• मानव संपर्क से पृथक संरक्षित स्थान; • बाघ संरक्षण के लिए इसे अक्षुण्ण रखना आवश्यक है।	• मुख्य क्षेत्र से परिधीय क्षेत्र; • प्राकृतिकवास, संरक्षण की कम आवश्यकता है; • लघु वानिकी कार्य और अन्य	• बाघों के प्राकृतिकवासों को जोड़ने वाला भूमि विस्तार; • बाघों, शिकार और अन्य वन्यजीवों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने

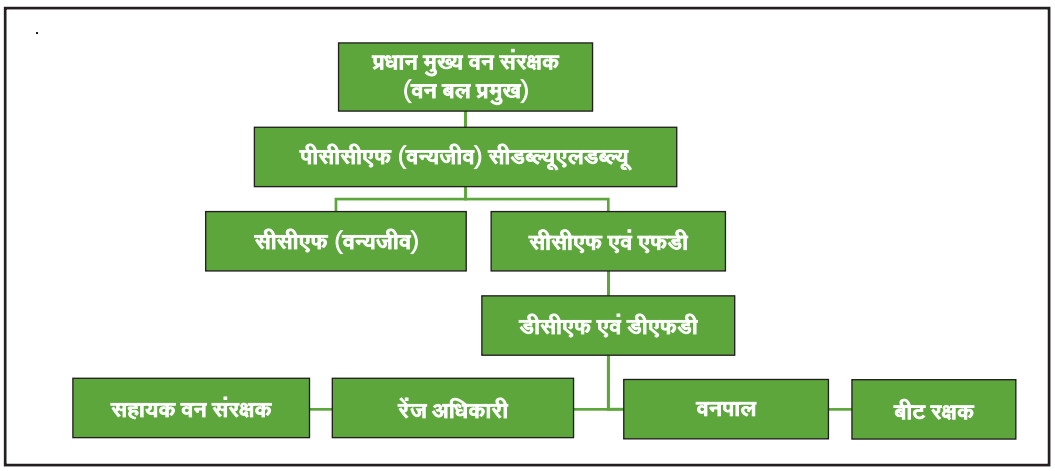
[2] सरिस्का को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

बाघ अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र	बफर क्षेत्र	कॉरिडोर
	अधिकार और रियायतें विनियमित तरीके से अनुमत है।	की अनुमति देना।

4.3.2 संगठनात्मक संरचना

वन एवं पर्यावरण विभाग का नेतृत्व सरकार स्तर पर प्रधान सचिव करते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) विभाग के कार्यकारी प्रमुख हैं। वन्यजीव प्रभाग का नेतृत्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) करते हैं, जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) के रूप में भी कार्य करते हैं। मुख्यालय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) तथा क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक (सीसीएफ एवं एफडी) तथा उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्रीय निदेशक (डीसीएफ एवं डीएफडी) उनकी सहायता करते हैं। विभाग की संगठनात्मक संरचना नीचे **चार्ट 4.1** में प्रस्तुत की गई है:

चार्ट 4.1: वन विभाग का संगठनात्मक चार्ट



4.3.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- बाघ अभयारण्य और वन्यजीव प्राकृतिक आवास का प्रबंधन प्रभावी रूप से किया गया है; एवं
- गांवों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए।

4.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

इस लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया गया:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972;
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;
- राजस्थान वन अधिनियम, 1953;

- राजस्थान राज्य वन नीति, 2010;
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (एनडब्ल्यूएपी) 2002-2016 और 2017-2031;
- प्रबंधन योजनाएं तथा बाघ संरक्षण योजनाएं (टीसीपी); एवं
- विभाग, राज्य सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और एनटीसीए द्वारा जारी दिशानिर्देश, आदेश, परिपत्र, नियमावली एवं निर्देश।

4.3.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

'राजस्थान में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन' पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) के कार्यालय और आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के सीसीएफ एवं एफडी और डीसीएफ एवं डीएफडी के क्षेत्र स्तरीय कार्यालयों में रखे गए अभिलेखों की जांच की गई। 2016-17 से 2020-21[3] तक पांच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करने वाली लेखापरीक्षा जुलाई 2021 से जनवरी 2022 के बीच आयोजित की गई थी। प्रतिवेदित किए गए मुद्दों की स्थिति को 2022-23[4] तक अद्यतन (अक्टूबर 2024) किया गया था।

विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और कार्यक्षेत्र पर 02 अगस्त 2021 को आयोजित परिचयात्मक बैठक में प्रमुख सचिव (वन एवं पर्यावरण विभाग) और वन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। 30 सितंबर 2022 को समापन बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार का उत्तर नवंबर 2022 और दिसंबर 2024 में प्राप्त हुआ, जिसे संबंधित अनुच्छेदों में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

4.3.6 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का दायरा

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा 'रणथंभौर एवं सरिस्का बाघ अभयारण्यों के महत्वपूर्ण बाघ आवासों में बसे गांवों का पुनर्वास' पर एक विषयगत लेखापरीक्षा की गई थी, जिसे वर्ष 2015 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 3 में शामिल किया गया था। जन लेखा समिति (पीएसी) ने जनवरी 2017 में प्रतिवेदन पर चर्चा की थी और अनुशंसा की थी कि

[3] पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचना, आरटीआर और एसटीआर में बाघ संरक्षण योजनाओं की मंजूरी, आरटीआर में कॉरीडोर का विकास, आरटीआर और एसटीआर से गांवों का विस्थापन, एसटीआर में मानवजनित गतिविधियों को विनियमित करना, सीमा का सीमांकन और विभाग के नाम पर भूमि का अमलदरामद, अतिक्रमण, खनन गतिविधि, जंगल की आग, मवेशी चराई आदि से संबंधित मुद्दे पूर्व में 'राजस्थान में वन और वन्यजीवों के संरक्षण' पर वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में समाविष्ट किए गए थे (वर्ष 2019 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5)। वर्तमान विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा में अन्य मुद्दों के अलावा आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर पर विशेष जोर देने के साथ उपरोक्त मुद्दों की स्थिति को समाविष्ट किया गया है।

[4] जहां डेटा उपलब्ध था, वहां स्थिति को 2023-24 तक अद्यतन कर दिया गया है।

विभाग सभी गांवों के पुनर्वास के लिए आवश्यक वास्तविक धनराशि का आकलन करे ताकि आरटीआर के 66 गांवों और एसटीआर के 28 गांवों के पुनर्वास को लागू करने के लिए समयसीमा निर्धारित की जा सके। जन लेखा समिति ने समय पर गांवों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वित प्रयास करने पर भी जोर दिया ताकि बाघों की आवाजाही के लिए कॉरीडोर विकसित किया जा सके।

वर्ष 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में 'राजस्थान में वन एवं वन्यजीव संरक्षण' पर एक अन्य निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की गई, जिस पर जन लेखा समिति द्वारा दिसंबर 2021 में चर्चा की गई। जन लेखा समिति ने वन भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध खनन के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की अनुशंषा की थी।

यह विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा जन लेखा समिति द्वारा की गई अनुशंसा का अनुपालन करने तथा वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा का समग्र मूल्यांकन करने के उद्देश्य से की गई थी।

4.3.7 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा वन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का प्रथम उद्देश्य यह देखना है कि क्या बाघ अभयारण्य एवं वन्यजीव प्राकृतिक आवास का प्रबंधन प्रभावी रूप से किया गया है।

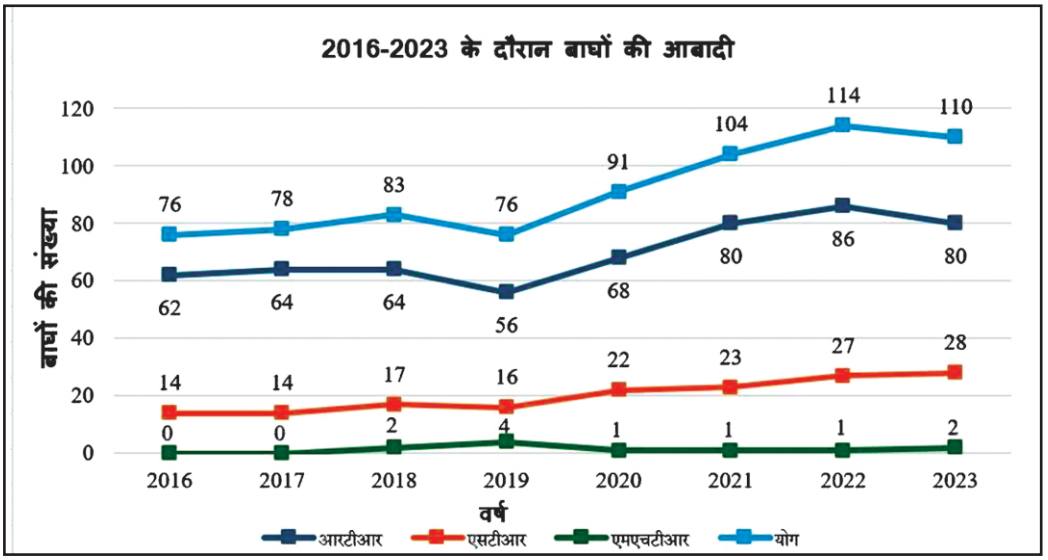
इस उद्देश्य के अंतर्गत, लेखापरीक्षा में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा से सम्बंधित कमियाँ पाई गईं, जैसे कि बाघ अभयारण्यों में अवैध शिकार, नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र, गश्त, कॉरीडोर का विकास, बाघ अभयारण्यों में निवारक उपाय, संरक्षण हेतु संसाधनों का आवंटन। इसके अलावा, वन्यजीव प्राकृतिकवासों के प्रबंधन और समेकन से संबंधित विभिन्न मुद्दे जैसे कि बाघ अभयारण्यों के अंदर और आसपास खनन, मानवजनित गतिविधियाँ, पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन, आक्रामक प्रजातियों का प्रभावी उन्मूलन न करना, अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ भी देखी गईं। इन मुद्दों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.3.8 वन्यजीवों का संरक्षण एवं सुरक्षा

वन्यजीव संरक्षण में संरक्षित क्षेत्रों को सहायता, कॉरीडोरों का विकास, वन अपराधों एवं अवैध शिकार की रोकथाम, वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन, वन्यजीवों को बचाने के लिए निवारक उपाय आदि शामिल हैं। सफल संरक्षण की कुंजी उस क्षेत्र में रहने वाली वन्यजीव प्रजातियों को प्राप्त सुरक्षा का स्तर है। 2016 से 2023 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में

बाघों की आबादी **चार्ट 4.2** में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 4.2: 2016-2023 के दौरान बाघों की आबादी



ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि तीनों बाघ अभयारण्यों में बाघों की आबादी में वृद्धि की प्रवृति देखी गयी है। तीनों बाघ अभयारण्यों में कुल बाघों की संख्या 2016 में 76 से बढ़कर 2023 में 110 हो गई है।

वन्यजीवों के संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मुद्दों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.3.8.1 बाघों की मृत्यु

बाघों की मृत्यु दर को कम करने के लिए उनके संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके लिए एनटीसीए द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। एनटीसीए की मानक संचालन प्रक्रिया (दिसंबर 2012) के अनुसार, विभाग को बाघों की मृत्यु के कारणों का पता लगाना भी आवश्यक था।

इस संबंध में, यह पाया गया कि विभाग द्वारा बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप 2016-24 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 14 बाघों की मृत्यु हुई, जिसका संक्षेप विवरण **तालिका 4.3** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 4.3: 2016-24 के दौरान बाघों की मौत का विवरण

क्र.सं.	मृत्यु का कारण	आरटीआर	एसटीआर	एमएचटीआर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)
1	अवैध शिकार	2	2	-	4
2	क्षेत्रीय लड़ाई	9	1	-	10
योग		**11**	**3**	**-**	**14**

स्रोत: वन विभाग

उपरोक्त में 14 बाघों की मृत्यु, अवैध शिकार (चार बाघ) एवं क्षेत्रीय लड़ाई (दस बाघ) के कारण शामिल है, जोकि विभाग द्वारा विभिन्न संरक्षण और सुरक्षा उपायों के माध्यम से नियंत्रण करने योग्य थे। उपरोक्त के अलावा, नौ बाघों की मृत्यु बीमारियों के कारण हुई और जुलाई 2024 एवं सितंबर 2024 के दौरान आरटीआर-I में दो बाघों (टी-58 और टी-2312) की मृत्यु की सूचना मिली, जिनके कारणों की जांच की जा रही है।

बाघों की मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया गया तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

(i) बाघ अभयारण्यों में अवैध शिकार

अवैध शिकार, बाघों के लिए प्रमुख खतरों में से एक है जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत निषिद्ध है। आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर ने बाघ अभयारण्यों में विशेष बाघ संरक्षण बल (एसटीपीएफ) की तैनाती के लिए एनटीसीए के साथ समझौता ज्ञापन (दिसंबर 2010, जनवरी 2018 एवं दिसंबर 2019) पर हस्ताक्षर किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-23 के दौरान आरटीआर, एमएचटीआर और एसटीआर में वन्य जीवों के अवैध शिकार से संबंधित 393 अपराध दर्ज किए गए हैं। अवैध शिकार के प्रकरणों के कारणों में एसटीआर और एमएचटीआर में एसटीपीएफ की स्थापना न होना, गश्ती शिविरों में कार्मिकों की कमी (**अनुच्छेद 4.3.8.1** (iii)) आदि शामिल हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 2016-24 के दौरान आरटीआर और एसटीआर में अवैध शिकार के कारण चार बाघों की जान चली गई, जिससे आरटीआर और एसटीआर में बाघों के संरक्षण और सुरक्षा का उद्देश्य विफल हुआ। इससे पता चलता है कि विभाग संरक्षित क्षेत्र में अवैध शिकार को रोकने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप बाघों की मृत्यु हुई।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि सामान्यतः अपराध दूरदराज क्षेत्रों में होते हैं, जहाँ गवाह और शिकायतकर्ता उपलब्ध नहीं होते, जिससे जांच एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाती है। इसके बाद, दिसंबर 2024 में, यह उत्तर दिया गया कि सरिस्का बाघ अभयारण्य ने 2004 में अवैध शिकार के कारण बाघों को खो दिया।

यह इंगित करता है कि अवैध शिकार सहित वन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता में सुधार की आवश्यकता है।

(ii) वन्यजीव निगरानी एवं अवैध शिकार विरोधी प्रणाली

शिकार एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु नियंत्रण और निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआईटी एण्ड सी) के सहयोग से 2018-19 और 2019-20 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में वन्यजीव निगरानी एवं शिकार विरोधी प्रणाली (डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस)[5] की स्थापना की गई। इसमें

[5] एक एकीकृत सॉफ्टवेयर-आधारित निगरानी प्रणाली जो उच्च स्तरीय उष्ण/प्रकाशीय कैमरों से सुसज्जित है।

₹ 62 करोड़ की लागत से आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 44 कैमरा टावर[6] स्थापित किये जाने की योजना थी, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और वन विभाग द्वारा संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन में पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से स्थल का चयन किया जाना था।

इस संबंध में यह देखा गया कि डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस की स्थापना और उपयोगिता में कमी रही, जिससे इसकी स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया और नियंत्रण और निगरानी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- **स्थानों का दोषपूर्ण चयन:** लेखापरीक्षा में पाया गया कि कैमरों की स्थापना के लिए टावरों के संभावित स्थान के चयन के लिए एसटीआर और एमएचटीआर में कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया था। हालांकि, आरटीआर में क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने वन विभाग से परामर्श किए बिना अपनी तकनीकी सुविधा के अनुसार टावरों के स्थान का चयन किया था। यह देखा गया कि 12 कैमरे जिन टावरों पर लगाए गए थे, उन सभी के स्थान क्षेत्र सर्वेक्षण में पहचाने गए स्थानों से अलग थे।

- **दोषपूर्ण कैमरों की मरम्मत में देरी:** अनुबंध (जून 2017) के अनुसार विक्रेता, स्थापना की तिथि से पांच वर्ष तक कैमरों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी था। इस संबंध में, यह पाया गया कि आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के 44 स्थानों के कैमरे 2020-23 के दौरान 157 बार अनुपयोगी हो गए। हालांकि, विभाग ने कैमरों की त्वरित मरम्मत सुनिश्चित नहीं की। 59 मामलों में, मरम्मत में एक से दो महीने लगे तथा 46 मामलों में यह समय दो महीने से अधिक था (***परिशिष्ट-9***)।

- **मानवरहित नियंत्रण कमान केंद्र:** डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस के लाइव डेटा की निगरानी के लिए जयपुर के अरण्य भवन में नियंत्रण कमान केंद्र की स्थापना की गई, जिसने अप्रैल 2018 में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र की स्थापना की तारीख से आठ महीने बाद (जनवरी 2019) नियंत्रण कमान केंद्र में पदस्थापित किया गया। इसके अलावा, सात में से पांच कर्मचारियों ने केंद्र की स्थापना की दिनांक से दो साल से अधिक की देरी के बाद कार्यभार ग्रहण किया (अगस्त 2020 और अक्टूबर 2020)।

- **अवैध शिकार की घटनाओं का पता लगाना:** डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस की स्थापना के बाद, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में शिकार के 130 मामले दर्ज किए गए (2019-23), जिनमें से केवल 13 मामलों का पता डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस द्वारा लगाया गया। डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस की स्थापना के बाद बारह बाघों के लापता होने की सूचना मिली, जिनका पता सिस्टम द्वारा नहीं लगाया जा सका। सीसीएफ एवं एफडी, एसटीआर

[6] आरटीआर-12, एसटीआर-16 एवं एमएचटीआर-16

ने स्वयं स्वीकार किया (दिसंबर 2020) कि डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस रात्रि में शिकार के मामलों का पता लगाने में उपयोगी नहीं था।

- **पता लगाए गए मामलों पर कार्यवाई नहीं:** विभाग ने डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस के माध्यम से पता लगाए गए संभावित मामलों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जैसा कि नीचे **तालिका 4.4** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस के माध्यम से पता लगाई गई घटनाओं पर की गई कार्रवाई की स्थिति

वर्ष	आरटीआर			एसटीआर			एमएचटीआर		
	पता लगाए गए	कार्रवाई की गई	प्रतिशत	पता लगाए गए	कार्रवाई की गई	प्रति शत	पता लगाए गए	कार्रवाई की गई	प्रति शत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2019-20	85	2	2.35	381	185	48.56	278	0	-
2020-21	669	5	0.75	508	425	83.66	632	1	0.16
2021-22	1,087	0	-	1,232	143	11.61	2,395	2,225	92.90
2022-23	1,433	773	53.94	1,144	70	6.12	3,078	3,038	98.70
योग	**3,274**	**780**	**23.82**	**3,265**	**823**	**25.21**	**6,383**	**5,264**	**82.46**

स्रोतः वन विभाग।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग ने डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस द्वारा पता लगाए गए संभावित मामलों में से 53.14 प्रतिशत[7] पर कार्रवाई की। इस प्रकार, बाघ अभयारण्यों में नियंत्रण और निगरानी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस की स्थापना का उद्देश्य कैमरों की स्थापना के लिए उचित स्थान के चयन की अनुपस्थिति, सिस्टम द्वारा पता लगाए गए मामलों पर देरी से कार्रवाई, समय पर अनुपयोगी कैमरों की मरम्मत न किए जाने के कारण पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि टावरों के स्थान को तकनीकी व्यवहार्यता, संवेदनशीलता और क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था। विभाग ने बताया कि डब्ल्यूएस एण्ड एपीएस द्वारा पता लगाए गए मामलों पर अपर्याप्त मानव संसाधन के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके अलावा, विभाग ने यह भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को नियमित रूप से काम नहीं करने वाले कैमरों के बारे में सूचित किया जाता था।

दिसंबर 2024 में उत्तर दिया गया कि खराब कैमरों की मरम्मत कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है। वन्यजीव शिकार से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है।

आरटीआर द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 12 में से पाँच कैमरे जुलाई 2024 से अभी भी (दिसंबर 2024) काम नहीं कर रहे थे।

[7] डब्ल्यूएस एवं एपीएस द्वारा आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 2019-23 के दौरान पता लगाए गए कुल 12,922 मामलों में से विभाग ने केवल 6,867 मामलों में कार्रवाई की है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्थानों के चयन का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए उत्तर की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं कि जा सकी।

(iii) गश्त

राजस्थान वन नियमावली में प्रावधान है कि अवैध शिकार की रोकथाम के लिए गश्त सबसे प्रभावी भौतिक उपाय है। बाघ अभयारण्य की सुरक्षा काफी हद तक उचित आधारभूत संरचना सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित गश्ती शिविर, पर्याप्त आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, पर्याप्त मानवबल आदि शामिल हैं।

- ***गश्त योजना:*** राजस्थान वन नियमावली में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बाघ अभयारण्य द्वारा एक आवधिक गश्त योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसे खुफिया प्रतिवेदन[8] के आधार पर अधिकतम क्षेत्र कवरेज के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। हालाँकि, राज्य के किसी भी बाघ अभयारण्य के लिए कोई गश्त योजना तैयार नहीं पाई गई। इसके अलावा, आरटीआर और एमएचटीआर गश्ती शिविरों में अपराध सूचना प्रतिवेदन भी संधारित नहीं किये गये थे, जबकि एनटीसीए के दिशा-निर्देशों में गश्त योजना तैयार करने से पहले अपराध के आंकड़े एकत्र करने का निर्देश दिया गया था।

- ***गश्ती शिविरों में स्टाफ की स्थिति:*** रणनीतिक रूप से स्थित वन शिविर और हमेशा सतर्क रहने वाले स्टाफ द्वारा की गई गहन गश्त से घुसपैठ और अतिक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। निदेशक (बाघ परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के संकलन (नवंबर 2004) में यह प्रावधान किया गया है कि एक गश्ती दल में आदर्श रूप से कम से कम चार स्टाफ सदस्य होने चाहिए।

- आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 175 गश्ती शिविर[9] थे। हालांकि, गश्ती शिविरों में पर्याप्त स्टाफ तैनात नहीं था, उपरोक्त गश्ती शिविरों में 700 स्टाफ की आवश्यकता के मुकाबले 388 स्टाफ ही तैनात था, जिससे 312[10] स्टाफ की रिक्तता रह गई। इसके अलावा, यह देखा गया कि 31 मार्च 2023 तक दूरदराज के इलाकों में स्थित नाकों/चौकियों, जो जोखिम से अधिक ग्रस्त थे, की तुलना में मण्डल कार्यालयों और मुख्य सड़कों के पास स्थित रेंजों में अधिक स्टाफ तैनात था । 19 गश्ती शिविरों[11] के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया कि आरटीआर में एक चौकी बिना किसी भवन और कर्मचारियों के स्थापित की गई थी और चार चौकियों[12] में केवल एक स्टाफ की ही तैनात

8 जैसा कि राज्य वन्यजीव अपराध ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है।

9 आरटीआर- 85, एसटीआर- 57 और एमएचटीआर- 33

10 आरटीआर- 146, एसटीआर- 105 और एमएचटीआर-61

11 एमएचटीआर- तीन, आरटीआर-आठ और एसटीआर -आठ

12 आरटीआर- अंगुलेट *चौकी*, रायपुर, एसटीआर- बेरीअर भृतहरी, तारूण्डा।

थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि एसटीपीएफ के स्थान पर वन रक्षकों के साथ तीन चौकियों[13] पर केवल एक से दो होमगार्ड तैनात किए गए थे।

- ***गश्ती शिविरों में सुविधाएं:*** आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 19 गश्ती शिविरों के संयुक्त निरीक्षण से प्रकट हुआ कि एमएचटीआर के बोरावास में केवल एक गश्ती शिविर में आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा, एसटीआर के केवल दो गश्ती शिविरोंः खो और कुशलगढ़ में बाघ अनुरेखक[14] उपलब्ध कराए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य सहायक सुविधाएँ जैसे पानी की बोतल, मच्छरदानी, प्राथमिक चिकित्सा किट, माप फीता, टॉर्च, बैटरी, दूरबीन, सुरक्षा दीवार, बिजली, पीने का पानी आदि भी सभी गश्ती शिविरों में उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, गश्त योजना तैयार करके खतरों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित उपायों के कार्यान्वयन, गश्त शिविरों में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती, गश्त शिविरों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने आदि के अभाव में, वन्यजीवों की सुरक्षा इस सीमा तक खतरे में पड़ गई।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022 तथा दिसंबर 2024) कि विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आकलन और टीसीपी के अनुसार गश्त की गई थी। इसके अलावा, निधियों की उपलब्धता के अनुसार धीरे-धीरे आधारभूत संरचना प्रदान की जा रही है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने वन नियमावली में दिए गए अनुसार अपनी गश्त योजनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। आगे, इस तथ्य के बावजूद कि विभाग के पास निधि उपलब्ध थी, इसका उपयोग पर्याप्त आधारभूत संरचना को सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया जा सका (**अनुच्छेद 4.3.8.3**(i))।

(iv) क्षेत्रीय संघर्षो से बचने के लिए कॉरीडोरों का विकास

वन्यजीव कॉरीडोर स्वाभाविक भौगोलिक संयोजन होते हैं, जो बाघों और अन्य जानवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। दो वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों के बीच, खासकर बाघों के उच्च घनत्व वाले बाघ अभयारण्यों के लिए, बाघों के बीच संघर्ष से बचने के लिए एवं उनके सुरक्षित प्रसार को सक्षम बनाने के लिए, कॉरीडोरों की पहचान करना और उन्हें विकसित करना आवश्यक है।

आरटीआर-I में बाघों की आबादी का अत्यधिक दबाव था, जिसके कारण उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों से कम घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की बढ़ती आबादी के प्रसार और आवाजाही के लिए कॉरीडोरों के विकास की अत्यंत आवश्यकता थी। आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में बाघ घनत्व का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।

[13] विभागीय अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण के अनुसार 19 चौकियां।

[14] एक कांच की प्लेट, लगभग 25 गुणा 30 सेंटीमीटर, जिसका उपयोग पग छाप पैड पर छोड़े गए पगचिह्न की रूपरेखा का पता लगाने के लिए किया जाता है।

तालिका 4.5: बाघ अभयारण्यों में बाघ घनत्व का विवरण

बाघ अभयारण्य का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	बाघों की संख्या (मार्च 2023 तक)	एक बाघ द्वारा आच्छादित औसत क्षेत्र (किमी में)
(1)	(2)	(3)	(4)
आरटीआर-I मुख्य क्षेत्र	636.24	76	8.37
आरटीआर-II मुख्य क्षेत्र	477.12	4	119.28
एसटीआर मुख्य क्षेत्र	881.11	28	31.47
एमएचटीआर मुख्य क्षेत्र	417.17	2	शून्य[15]

स्रोतः वन विभाग

तदनुसार, राज्य सरकार ने एनटीसीए के परामर्श से, बाघों और अन्य जानवरों को आरटीआर के उच्च पशु घनत्व वाले क्षेत्रों से अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में आवाजाही के लिए छह कॉरीडोर[16] विकसित करने की पहचान की, (अप्रैल 2013, जनवरी 2014) जिनमें से एक कॉरीडोर यानी आरटीआर-कैलादेवी-बनास नदी[17] को आरटीआर-I से आरटीआर-II के साथ निकटता के कारण, बाघों के आवाजाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया।

हालांकि, विभाग ने आरटीआर-I और आरटीआर-II के बीच अत्यंत आवश्यक कॉरीडोर सहित पहचाने गए छह कॉरीडोर में से किसी का भी विकास सुनिश्चित नहीं किया। कॉरिडोरों के विकास न होने के कारणों में प्रस्तावित कॉरिडोरों में स्थित गांवों का पुनर्वास करने में विफलता, कॉरिडोर का सीमांकन, पुनर्वास के गहन कार्यक्रम हेतु विस्तृत सर्वेक्षण और माइक्रो योजना का निर्माण जैसी गतिविधियों का निष्पादन न करना तथा कॉरिडोर मार्ग में आने वाली कृषि भूमि की फेंसिंग आदि शामिल थे। प्रस्तावित कॉरीडोरों का विकास न होने के कारण बाघों का घनत्व अनावश्यक रूप से बढ़ गया (प्रति बाघ 8.37 किलोमीटर) तथा इसके परिणामस्वरूप 2016-24 के दौरान आरटीआर-I में क्षेत्रीय संघर्ष के कारण नौ बाघों की मृत्यु हुई, जो अवैध शिकार के कारण होने वाली मौतों से कहीं अधिक थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि कॉरिडोर क्षेत्रों में चरागाह विकास, जूलीफ्लोरा उन्मूलन आदि जैसी गतिविधियाँ की जा रही हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाघों की आवाजाही को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य नियोजित गतिविधियाँ जैसे कि कॉरिडोरों का सीमांकन, कॉरिडोर क्षेत्रों में आने वाले कृषि क्षेत्रों में बाड़बंदी को हतोत्साहित करना, उपयुक्त स्थानों पर जल स्रोत विकसित करना आदि नहीं की गयी।

[15] बाघों को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने तथा उन्हें अभयारण्य के प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलित होने में मदद करने के लिए बाड़ों में स्थानांतरित किया गया; परिणामस्वरूप टाइगर रिजर्व का पूरा क्षेत्र अप्रयुक्त रह गया।

[16] आरटीआरः रणथंभौर-केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य-वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर-कुनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य और रणथंभौर-रामगढ़ विषधारी- मुकंदरा हिल्स (तीन), एसटीआरः एसटीआर-जमवा रामगढ़ (एक), एमएचटीआरः इंद्रगढ़-लाखेरी-रामगढ़ विषधारी अभयारण्य-डाबी-जवाहर सागर अभयारण्य, चम्बल-कालीसिंध से दरा वन्यजीव अभयारण्य (दो)।

[17] रणथंभौर- कैलादेवी वन्यजीव अभयारण्य- वन विहार वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग।

4.3.8.2 बाघ अभयारण्यों में निवारण उपाय

बाघ अभयारण्यों में विभिन्न आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़कें, रेलवे लाइनें और प्रसारण लाइनें क्षेत्र को विभाजित करती हैं, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को खंडित करती हैं और प्रायः जानवरों की मृत्यु का कारण बनती हैं, इस प्रकार, कई प्रजातियों को खतरे में डालती हैं जो पहले से ही विकास कार्यों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हैं। तदनुसार, डब्ल्यूआईआई ने (अक्टूबर 2016) बाघ अभयारण्यों से गुजरने वाली सड़कों पर उपमार्ग का निर्माण, ध्वनि अवरोधकों का उपयोग तथा रात्रिकालीन यातायात पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। एसटीआर के 2014-24 की अवधि के टीसीपी में प्रावधान किया गया है कि बाघ अभयारण्य से गुजरने वाली बिजली लाइनों की, शॉर्ट सर्किट, आग और जंगली जानवरों को बिजली के झटके से बचाने के लिए समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए।

इस संबंध में, यह पाया गया कि विभाग ने आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में निवारक उपायों को सुनिश्चित नहीं किया, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में बाघ अभयारण्य से आठ[18] प्रसारण लाइने गुज़र रही थीं। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एमएचटीआर में चार[19] वन्यजीवों की और आरटीआर में एक भालू की मृत्यु दर्ज की गई थी, जोकि बिजली के झटकों के कारण हुई थी। इसके बावजूद, ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय करके किसी भी बाघ अभयारण्य द्वारा कोई विद्युत रोधन संरक्षण परत का कार्य या अन्य निवारक उपाय नहीं किए गए, जिसके कारण वन्यजीवों के लिए खतरा बना रहा।

- एनटीसीए द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, बाघ अभयारण्यों में सड़कों पर हर 300-400 मीटर की दूरी पर गति उभार और रंबल पट्टियों का निर्माण किया जाना था। हालांकि, आरटीआर के मुख्य क्षेत्र से गुजरने वाले 10.69 किलोमीटर के खण्ड सवाई माधोपुर-शिवपुरी सड़क (एसएच-30) चौड़ाईकरण कार्य (2019-20) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (नवंबर 2021) के दौरान यह पाया गया कि गति उभार और रंबल पट्टियों का निर्माण शर्तों के अनुसार नहीं किया गया था।

- उपरोक्त सड़कें बाघ अभयारण्यों से होकर गुज़रती हैं, इसके बावजूद संबंधित प्राधिकारियों के साथ इसके निवारक उपाय करने के लिए कोई पत्राचार नहीं किया गया।

 परिणामस्वरूप, एमएचटीआर (2016-23) में 17 जानवर[20], एसटीआर (2016-23) में दो पैंथर और 261 अन्य जानवर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। सरकार ने (नवंबर 2022) बताया कि विभिन्न निवारक उपाय जैसे उपयुक्त संकेतों की स्थापना, पर्याप्त गति-

[18] आरटीआर- दो लाइन, एसटीआर- 26 किलोमीटर की दो लाइन, एमएचटीआर- चार लाइन।

[19] दो नीलगाय और दो बन्दर।

[20] तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर, सांभर, सियार, चीतल आदि।

अवरोधकों का निर्माण, थानागाजी से नटनी का बारा तक एलिवेटेड सड़क का प्रस्ताव, एमएचटीआर में भूमिगत सुरंग का निर्माण आदि किए जा रहे हैं।

4.3.8.3 संरक्षण के लिए संसाधनों का आवंटन

वन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए संसाधनों में वित्तपोषण, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना सुविधाएं, प्रौद्योगिकी और उपकरण शामिल हैं। पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित कार्मिक, उचित आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी, वनों को अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए प्रभावी निगरानी और विनियमों को लागू करने में सक्षम बनाते हैं। वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए संसाधनों के आवंटन से सम्बंधित देखे गए मुद्दों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है:

(i) अपर्याप्त निधि प्रबंधन

संरक्षित क्षेत्रों में नियोजित संरक्षण एवं सुरक्षा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान की मांग के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत निधियां प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा सीएसएस में अपनी समतुल्य हिस्सेदारी के अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत भी अलग से बजट उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (केम्पा), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना आदि के तहत भी निधियाँ स्वीकृत की जाती है। राज्य सरकार को वार्षिक कार्य योजनाओं में नियोजित गतिविधियों को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं से संबंधित हिस्से सहित, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर बाघ अभयारण्य को सीएसएस निधि जारी करना आवश्यक था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- **निधियों का कम उपयोग:** 2016-23 की अवधि के दौरान, सीएसएस, राज्य बजट और अन्य स्रोतों के अंतर्गत आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के लिए ₹ 539.59 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध, विभाग ने केवल ₹ 344.06 करोड़ का उपयोग किया, जैसा **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: वर्ष 2016-23 की अवधि के दौरान आवंटन और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बाघ अभयारण्य	राज्य योजना		सीएसएस		अन्य स्रोत		योग	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आरटीआर	64.11	28.08	33.03	20.84	106.62	69.00	203.76	117.92
एसटीआर	38.00	29.01	29.73	24.70	82.10	67.71	149.83	121.42
एमएचटीआर	20.41	14.88	14.62	9.15	150.97	80.69	186.00	104.72
योग	**122.52**	**71.97**	**77.38**	**54.69**	**339.69**	**217.40**	**539.59**	**344.06**

स्रोतः राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे एवं वन विभाग से प्राप्त सूचना।

आवंटित बजट के उपयोग में कमी का मुख्य कारण वर्ष 2016-21 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के वार्षिक कार्य योजना में नियोजित ₹ 11.42 करोड़ की राशि की 301[21] गतिविधियों में से 50[22] को क्रियान्वित नहीं करना था, जो स्थानीय कार्यबल की तैनाती, वन्यजीवों की दैनिक निगरानी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को खाद्यसामग्री, जांच चौकियों का निर्माण, मुख्य क्षेत्र प्राकृतिक आवास सुधार, सड़कों का रखरखाव, हथियारों की खरीद आदि से संबंधित थीं। इसके अलावा, 2021-23 के दौरान भी, विभाग ने संबंधित वर्षों के वार्षिक कार्य योजना में नियोजित 203 गतिविधियों में से 43 गतिविधियों को क्रियान्वित नहीं किया।

इसके अलावा राज्य सरकार ने आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर को सीएसएस के अंतर्गत मिलने वाली निधियों की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की निर्धारित अवधि में जारी करना सुनिश्चित नहीं किया तथा निधियाँ जारी करने में 200 दिनों तक की देरी हुई ***(परिशिष्ट-10)***। विशेष रूप से, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर की नौ स्वीकृतियों में, ₹35.13 करोड़[23] की निधियाँ उस वित्तीय वर्ष के फरवरी एवं मार्च में तथा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद जून में भी जारी की गई, जिससे इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा और आवंटित निधियों का कम उपयोग हुआ।

- **संरक्षण शुल्क आरोपण में विफलता:** एनटीसीए दिशा-निर्देश (2012) में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार दिशा-निर्देशों की तिथि से एक वर्ष के भीतर, पारिस्थितिकी विकास और स्थानीय समुदाय उत्थान कार्य के लिए, छः से अधिक बिस्तरों वाले होटलों पर प्रति माह संचालन के दौरान ₹ 500 से 3,000 प्रति कमरा की दर से संरक्षण शुल्क आरोपण कर सकती है। वन्यजीव संरक्षण के लिए उपकर आरोपण पर आरटीआर के टीसीपी में चर्चा की गई थी और राज्य वन्यजीव मण्डल की एक बैठक (अक्टूबर 2016) में भी इसका प्रस्ताव रखा गया था। हालाँकि, राज्य सरकार ने अपने किसी भी बाघ अभयारण्य में होटलों पर संरक्षण शुल्क आरोपण की अधिसूचना जारी नहीं की (दिसंबर 2024)। संरक्षण शुल्क आरोपण अधिसूचित न किये जाने का मुख्य कारण राज्य सरकार की पहल की कमी थी।

इस प्रकार, विभाग ने अपने बाघ अभयारण्यों से संबंधित निधियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं किया, क्योंकि विभाग द्वारा आवंटित निधियों के उपयोग में कमी थी, सीएसएस निधियों को जारी करने में विलम्ब हुआ तथा राज्य सरकार द्वारा होटलों पर संरक्षण शुल्क आरोपण में विफलता रही।

[21] आरटीआर– 77, एसटीआर– 97 और एमएचटीआर– 127

[22] आरटीआर– 15, एसटीआर– 19 और एमएचटीआर– 16

[23] आरटीआर- ₹ 9.30 करोड़ (21 फरवरी 2017), ₹ 6.66 करोड़ (28 फरवरी 2022), ₹ 4.71 करोड़ (03 मार्च 2023, 07 जून 2023)। एसटीआर- ₹ 5.88 करोड़ (28 फरवरी 2022), ₹ 3.89 करोड़ (20 मार्च 2023, 06 जून 2023), एमएचटीआर- ₹ 3.18 करोड़ (28 फरवरी 2022), ₹ 1.51 करोड़ (08 फरवरी 2023)।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022 एवं दिसंबर 2024) कि निधियों का कम उपयोग मुख्य रूप से सीएसएस निधियों के देरी से जारी होने के कारण हुआ। इसके अलावा, अपर्याप्त कानूनी प्रावधानों और क्रियान्वयन से सम्बन्धी मुद्दों के कारण होटलों पर संरक्षण शुल्क आरोपण नहीं हो पाया।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग को संरक्षण शुल्क की अधिसूचना के लिए विभाग को प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संरक्षण शुल्क आरोपण के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

(ii) अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन

वन्यजीव संरक्षण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 में भी यह उल्लिखित था कि राज्य में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित वन्यजीव कार्मिक होने चाहिए।

इस संबंध में, यह देखा गया कि आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में मानव संसाधन प्रबंधन अपर्याप्त था, जिससे वहां संरक्षण और सुरक्षा गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- 31 मार्च 2023 तक, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में स्वीकृत 640 कार्मिकों में से केवल 295 कार्मिक ही कार्यरत थे, जिससे 345 कार्मिकों की रिक्तियां रह गईं। इसके अलावा, स्वीकृत पदों की रिक्तियां 11.01 प्रतिशत (31 मार्च 2017) से बढ़कर 53.91 प्रतिशत (31 मार्च 2023) हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण 2016-17 के बाद एसटीआर और एमएचटीआर में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की भर्ती न होना है। विवरण **तालिका 4.7** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 4.7: आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में कर्मचारियों की स्थिति

पद का नाम	31 मार्च 2017 तक			31 मार्च 2023 तक		
	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्षेत्रीय वन अधिकारी	37	30	7 (18.92)	39	28	11 (28.21)
वनपाल	57	47	10 (17.54)	54	39	15 (27.78)
सहायक वनपाल	75	65	10 (13.33)	78	64	14 (17.95)
वन रक्षक	467	424	43 (9.21)	469	164	305 (65.03)
योग	**636**	**566**	**70 (11.01)**	**640**	**295**	**345 (53.91)**

स्रोत: वन विभाग।

आरक्षित वनों में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दे निम्नानुसार हैं।

- उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि पिछले छः वर्षों में रिक्तियों (53.91 प्रतिशत) की स्थिति और खराब हो गई है।

- राजस्थान वन नियमावली, 2013 में वन रक्षक द्वारा निगरानी और रखवाली के लिए पांच से सात वर्ग किलोमीटर के मानदंड निर्धारित किए गए थे। हालांकि, वन रक्षकों की कमी के कारण, एक वन रक्षक को बाघ अभयारण्यों में 15.39 वर्ग किलोमीटर से 22.35 वर्ग किलोमीटर तक पहरेदारी एवं सुरक्षा क्षेत्र की निगरानी करनी पड़ रही थी, जो निर्धारित मानदंडों ***(परिशिष्ट-11)*** से बहुत अधिक थी। इससे बाघ अभयारण्य क्षेत्र की प्रभावी निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आरटीआर-II और एमएचटीआर में डीसीएफ (पुनर्वास) का पद रिक्त रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीसीएफ का पद रिक्त होने के कारण, गांवों के पुनर्वास को अभियान के रूप में नहीं लिया जा सका, जिसने बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों से गांवों के पुनर्वास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, जैसा कि **अनुच्छेद 4.3.8.7** (i) में चर्चा की गई है।

- बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन के लिए अपेक्षित योग्यता वाले पेशेवरों का एक समूह विकसित करने के उद्देश्य से, डब्ल्यूआईआई ने उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक और समकक्ष अधिकारियों के लिए उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सेवारत क्षेत्रीय वन अधिकारियों और उप क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित[24] किया। हालाँकि, विभाग ने बाघ अभयारण्यों में पदस्थापित 10 पात्र अधिकारियों में से केवल दो को ही नामित किया, जिन्होंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया। इसके अलावा, मार्च 2023 तक 26 क्षेत्रीय वन अधिकारियों में से किसी के भी पास डब्ल्यूआईआई प्रमाणपत्र नहीं था।

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 एवं 2017-31 में बाघ अभयारण्यों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को वन्यजीव आबादी पर मूलभूत डेटा एकत्र करने, नमूना संग्रह और जांच, जानवरों को बचाने, वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी और मानव वन्यजीव संघर्ष आदि के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया था।

 हालांकि, चौकियों के सर्वेक्षण से यह प्रकट हुआ कि नमूना संग्रह और जांच, वन्यजीव स्वास्थ्य निगरानी, जानवरों के बचाव और मानव वन्यजीव संघर्ष पर प्रशिक्षण क्रमशः केवल 32 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 26 प्रतिशत कर्मचारियों को ही प्रदान किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने 2016-23 के दौरान प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के उद्देश्य से आवंटित ₹ 62.80 लाख में से केवल ₹ 12.48 लाख की निधियों का ही उपयोग किया।

इस प्रकार, विभाग ने रिक्त पदों को न भरकर तथा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान न करके अपने बाघ अभ्यारण्यों में पर्याप्त मानवसंसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप वन रक्षकों द्वारा बाघ अभ्यारण्यों की निगरानी के लिए आवरित क्षेत्र में अनुचित वृद्धि हुई।

[24] एनडब्ल्यूएपी 2002-16 में विहित पाठ्यक्रम।

राज्य सरकार ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022) कि क्षेत्र की संवेदनशीलता और प्रबंधन की गहनता के आधार पर गश्त क्षेत्र भिन्न-भिन्न होता है। दिसंबर 2024 में, यह उत्तर दिया गया कि नए वन रक्षकों की भर्ती की गई है और वे प्रशिक्षणरत हैं। रिक्त पदों के प्रबंधन के लिए, गश्त और शिकार विरोधी गतिविधियों के लिए गृह रक्षक तैनात किए जाते हैं।

(iii) पशुचिकित्सा स्टाफ की कमी

वन्यजीवों के समुचित स्वास्थ्य प्रबंधन में बीमार और घायल जानवरों का इलाज, बन्दी अवस्था में रखे गए वन्यजीवों की देखभाल, स्थानांतरण के लिए वन्यजीवों का स्वास्थ्य मूल्यांकन, रोगों की निगरानी, रोगों के खिलाफ निवारक उपाय करना आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पशुचिकित्सा स्टाफ की स्थिति अपर्याप्त थी, जैसा कि **तालिका 4.8** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.8: पशुचिकित्सा कर्मचारियों की स्थिति

वर्ष	एमएचटीआर				आरटीआर				एसटीआर			
	स्वीकृत		पदस्थापित		स्वीकृत		पदस्थापित		स्वीकृत		पदस्थापित	
	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक	पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा सहायक
2016-17	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
2017-18	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0
2018-19	1	1	01 चिकित्सक अगस्त 2018 से पदस्थापित किया	0	1	2	0	0	1	0	0	0
2019-20	1	1	1	0	1	2	01 चिकित्सक 25.09.2020 को पदस्थापित किया	0	1	0	0	0
2020-21	1	1	1	0	1	2	1	0	1	0	01 चिकित्सक 26.10.2020 को पदस्थापित किया	0

स्रोतः वन विभाग।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एसटीआर में स्वीकृत एक चिकित्सक के पद के विरुद्ध अक्टूबर 2020 तक कोई चिकित्सक पदस्थापित नहीं किया गया था, आरटीआर में एक चिकित्सक और दो स्टाफ के स्वीकृत पद के विरुद्ध सितंबर 2020 में एक चिकित्सक का ही पदस्थापन किया गया तथा आज तक कोई स्टाफ पदस्थापित नहीं किया गया। एमएचटीआर में एक चिकित्सक और एक स्टाफ के स्वीकृत पद के विरुद्ध अगस्त 2018 में एक चिकित्सक का पदस्थापन किया गया परन्तु आज तक कोई स्टाफ पदस्थापित नहीं किया गया। आरटीआर और

एसटीआर में भी चिकित्सकों का पदस्थापन क्रमशः सितम्बर 2020 एवं अक्टूबर 2020 में किया गया।

इसके अलावा, आरटीआर में एक एम्बुलेंस 2013 में खरीदी गई थी और बड़े आकार और स्टाफ की कमी के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया था। एसटीआर और एमएचटीआर में, बचाव वाहन 2022-23 के दौरान प्राप्त गए थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2024) कि वन्यजीव स्वास्थ्य की निगरानी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिन्हें एस.टी.आर. और आर.टी.आर. में पदस्थापित किया गया है।

4.3.8.4 वन्यजीव प्राकृतिकवासों का प्रबंधन और समेकन

प्राकृतिक आवास वह स्थान है जहाँ जीव अपने जीवनयापन हेतु आवश्यक सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ अपना घर बनाता है। प्राकृतिक आवास पतन के प्रमुख कारण बाघ अभयारण्य के अंदर मानवजनित गतिविधियाँ हैं अथार्त खनन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लोगों का आवागमन, पर्यटन और मवेशी चराना आदि। वन्यजीव प्राकृतिक आवास को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं का सीमांकन, राजस्व अभिलेखों में भूमि के शीर्षक का अमलदरामद, वाणिज्यिक, पर्यटन और खनन गतिविधियों का विनियमन आवश्यक है। इस संबंध में विभाग के प्रयासों की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की गई और टिप्पणियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(i) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) की घोषणा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश (फरवरी 2011) में संरक्षित क्षेत्रों के दस किलोमीटर के भीतर भूमि की पहचान, सर्वेक्षण और ईएसजेड की घोषणा के लिए राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इससे वन्यजीव अभयारण्यों के लिए एक तरह का आघात अवशोषक क्षेत्र तैयार होगा साथ ही उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा।

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) ने एसटीआर, आरटीआर और एमएचटीआर के आसपास तीन ईएसजेड घोषित करने के प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत[25] किए, जिनमें से केवल एमएचटीआर के आसपास ईएसजेड को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया (25 नवंबर 2020)। एसटीआर और आरटीआर के आसपास के दो ईएसजेड की घोषणा लंबित है, जिसका मुख्य कारण ईएसजेड में सम्पूर्ण बफर क्षेत्रों को शामिल करने, मुख्य क्षेत्र के आसपास न्यूनतम क्षेत्र को ईएसजेड के

[25] एसटीआर– 10 अप्रैल 2017, एमएचटीआर– 21 अप्रैल 2017 और आरटीआर– 05 मई 2017

रूप में चिह्नित करने, बाघ अभयारण्यों के आसपास भूमि उपयोग को दर्शाने वाले नवीनतम रंगीन मानचित्र उपलब्ध कराने आदि से संबंधित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करना है। परिणामस्वरूप, एसटीआर में बाघ अभयारण्य के एक किमी क्षेत्र में और उसके आसपास खनन की निषिद्ध गतिविधि जारी रही, जैसा कि **अनुच्छेद 4.3.8.4** (iii) में चर्चा की गई है। ईएसजेड की अधिसूचना में देरी के मुद्दे को पूर्व में सीएजी ने अपनी 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में उजागर किया था, जिस पर जन लेखा समिति ने भी मामले में तेजी लाने की सिफारिश की थी (मार्च 2022), तथापि स्थिति यथावत बनी हुई है।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि ईएसजेड की अधिसूचना में देरी इसकी अधिसूचना के लिए आवश्यक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के कारण हुई। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (जून 2022) के अनुसार, ईएसजेड की सीमा एक किमी से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि अधिसूचित ईएसजेड का क्षेत्र कुछ स्थानों पर एक किमी से कम था, इस कारण से जोनल मास्टर प्लान तैयार नहीं किए जा सके। इसके बाद यह उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि एसटीआर के आसपास ईएसजेड की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव अप्रैल 2024 में राज्य सरकार को भेजा गया है और आरटीआर की प्रारूप अधिसूचना अक्टूबर 2024 में भेजी गई है।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, आरटीआर और एसटीआर के आसपास ईएसजेड की घोषणा नहीं की गई।

(ii) बाघ अभयारण्यों का असुरक्षित क्षेत्र

राजस्थान राज्य वन नीति, 2010 और बाघ अभयारण्यों के टीसीपी में प्रावधान किया गया है कि सभी अधिसूचित वन क्षेत्रों को सीमा स्तंभ निर्माण कर सीमांकित किया जाना चाहिए और राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण विभाग के नाम से किया जाना चाहिए, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघ अभयारण्यों में अवैध खनन और अतिक्रमण को रोकना है, जो बाघ अभयारण्यों के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते है और वन्यजीवों के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्र में कमी और प्राकृतिक आवास के नुकसान का कारण बनते है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया किः

- नवंबर 2022 तक बाघ अभयारण्यों की 2,136.01 किलोमीटर[26] की कुल सीमा में से 1,783.60 किलोमीटर[27] (83.50 प्रतिशत) पर बाड़ का निर्माण नहीं किया गया था। इसके अलावा, हालांकि आरटीआर और एमएचटीआर में दीवार/सीमा स्तंभों के निर्माण द्वारा भौतिक सीमांकन पूरा हो गया था, एसटीआर में 761.52 किलोमीटर की कुल सीमा में से केवल 46.60 किलोमीटर (6 प्रतिशत) भौतिक सीमांकन पूरा हुआ था। एसटीआर में 714.92 किलोमीटर सीमा का सीमांकन न करने का मुख्य कारण विभाग के नाम पर भूमि का नामान्तरण नहीं होना था। इसके अलावा, विभाग 2018-23 के दौरान आरटीआर में चारदीवारी निर्माण के लिए आवंटित ₹ 21.94 करोड़ में से केवल ₹ 14.33 करोड़ का उपयोग कर सका।



चित्र 4.2: आरटीआर में मवेशियों को चरने के लिए छोड़ते ग्रामीण (जुलाई 2021)

इस प्रकार, 2018-23 के दौरान एसटीआर में सीमा का सीमांकन नहीं होने और आरटीआर में चारदीवारी के निर्माण के लिए आवंटित निधियों के कम उपयोग ने, एसटीआर और आरटीआर में फसल के नुकसान[28] में योगदान दिया, जिससे ग्रामीणों में गंभीर आक्रोश उत्पन्न हुआ। यहां तक कि बाघ अभयारण्यों की परिधि के 14 गांवों के 140 व्यक्तियों के संयुक्त सर्वेक्षण (जनवरी 2022) में 90 व्यक्तियों ने बताया कि वन्यजीवों द्वारा उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन से भी यह पता चला कि आरटीआर के फलौदी और कुशलपुरा चौकी में विभिन्न स्थानों पर बाड़ टूटी हुई थीं, जो मवेशियों को चरने के लिए बाघ अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए जगह प्रदान करती थीं।

- बाघ अभयारण्य की कुल भूमि 2,72,938.18 हेक्टेयर में से विभाग के नाम 60,502.54 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरण 31 मार्च 2023 तक लंबित था, जिसका मुख्य कारण 48,936.10 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण नहीं करना, 1,321.68 हेक्टेयर खातेदारी भूमि[29]

[26] आरटीआरः 1,034.49 किमी, एसटीआरः 761.52 किमी और एमएचटीआरः 340 किमी।

[27] आरटीआरः 776.72 किमी, एसटीआरः 727.17 किमी और एमएचटीआरः 279.71 किमी।

[28] वन्यजीवों के कारण फसल की क्षति।

[29] खातेदार सरकारी भूमि पर काश्तकार होते हैं जिन्हें कृषि प्रयोजन के लिए भूमि दी जाती है। खातेदार के नाम पर नामान्तरित भूमि को खातेदारी भूमि कहा जाता है।

के नामान्तरण पर कोई कार्रवाई नहीं करना आदि है। विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है।

तालिका 4.9: 31 मार्च 2023 तक बाघ अभ्यारण्यों में भूमि के नामान्तरण की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

बाघ अभयारण्य का नाम	कुल आरक्षित भूमि	अप्रैल 2016 तक लंबित नामान्तरण	2016-23 के दौरान नामान्तरण	मार्च 2023 तक लंबित नामान्तरण	सर्वेक्षण नहीं की गई भूमि	खतेदारी भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
एसटीआर	97,344.55	57,155.81	8,254.48	48,901.33	43,285.35	-
आरटीआर	92,906.15	13,223.59	6,664.92	6558.67	1047.87	996.04
एमएचटीआर	82,687.48	5,087.99	45.45	5042.54	4,602.88	325.64
योग	**2,72,938.18**	**75,467.39**	**14,964.85**	**60,502.54**	**48,936.10**	**1,321.68**

स्रोतः वन विभाग।

वन भूमि के सीमांकन एवं नामान्तरण में विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने तथा वन भूमि को सुरक्षित करने में विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, 31 मार्च 2023 तक आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 320.29 हेक्टेयर भूमि पर 253 परिवारों द्वारा अतिक्रमण किया गया। यह अतिक्रमण मुख्य रूप से बाघ अभयारण्यों के अंदर/आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों द्वारा कृषि से संबंधित था। विवरण **तालिका 4.10** में दिया गया है।

तालिका 4.10: 2016-23 के दौरान अतिक्रमण की स्थिति

बाघ अभयारण्य का नाम	अतिक्रमण (1 अप्रैल 2016)		2016-23 के दौरान नए अतिक्रमण		2016-23 के दौरान हटाए गए अतिक्रमण		अतिक्रमण (31 मार्च 2023)	
	परिवार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परिवार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परिवार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परिवार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आरटीआर	67	257.78	95	349.40	15	314.28	129	284.47
एसटीआर	8	9.97	105	22.29	23	5.45	90	26.81
एमएचटीआर	0	0	38	10.12	4	1.11	34	9.01
योग	**75**	**267.75**	**238**	**381.81**	**42**	**320.84**	**253**	**320.29**

स्रोतः वन विभाग।

इस प्रकार, विभाग अपने बाघ अभयारण्यों के क्षेत्र को सीमांकन एवं भूमि अपने नाम पर नामान्तरण के माध्यम से सुरक्षित नहीं कर सका, जिससे बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा से समझौता हुआ और अतिक्रमण, फसल नुकसान और मवेशी चराई आदि को बढ़ावा मिला। इस मुद्दे को पहले भी सीएजी की वर्ष 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 05 में दर्शाया गया था। जन लेखा समिति ने वन भूमि के नामान्तरण के लिए राजस्व विभाग के समन्वय के साथ कार्रवाई शुरू करने तथा अतिक्रमण के प्रकरणों के निपटान के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की योजना से सूचित करने की अनुशंसा की।

राज्य सरकार ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया (नवंबर 2022 एवं दिसंबर 2024) कि शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन आगामी वर्षों में किया जाना प्रस्तावित था तथा अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

(iii) बाघ अभयारण्यों के अंदर एवं आसपास खनन की रोकथाम

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत वन क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध है तथा राजस्थान राज्य वन नीति, 2010 में प्रावधान है कि वन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू किया जाना चाहिए, जिसमें उपग्रह चित्रों का उपयोग तथा खनन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण शामिल है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के अंदर और आसपास खनन गतिविधियों पर रोकथाम सुनिश्चित नहीं कर सका, जिसका मुख्य कारण अधिकांश क्षेत्रों में स्पष्ट सीमा सीमांकन तथा सीमा स्तंभों का अभाव है। इस संबंध में विशिष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण निम्नानुसार है:

- राज्य वन्यजीव मण्डल (एसबीडब्ल्यूएल) ने सभी बाघ अभयारण्यों में अवैध खनन का प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण करने और खान विभाग के साथ जानकारी साझा करने के निर्देश (जनवरी 2015) जारी किए। हालांकि, अवैध खनन मामलों की सूची तैयार कर एमएचटीआर द्वारा सीसीएफ (वन्यजीव), जयपुर को प्रस्तुत की गई (मई 2015)। इसके अलावा, आरटीआर और एसटीआर में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

- राज्य वन्यजीव मण्डल ने निर्देश दिया (अक्टूबर 2015) कि बाघ अभयारण्यों में सभी अवैध खनन, विशेष रूप से उलियाना गांव के पास, कुंडेरा रेंज, आरटीआर में जिला प्रशासन को शामिल करके रोका जाना चाहिए। हालांकि, विभाग ने इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और अवैध खनन को रोकने के लिए कोई संयुक्त कार्रवाई किए बिना केवल जिला प्रशासन के साथ नियमित पत्राचार किया। परिणामस्वरूप, कुंडेरा रेंज, आरटीआर के उलियाना और भदलाव क्षेत्र के साथ-साथ खावा खंडोज, बस्सो और श्यामपुरा डूंगरी गांव क्षेत्रों में कई वर्षों से चल रहे चिनाई पत्थर के अवैध खनन को नहीं रोका जा सका।

- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया (अगस्त 2006) और राजस्थान सरकार के वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया (मार्च 2015) कि बाघ अभयारण्य से एक किलोमीटर की सीमा के भीतर कोई खनन गतिविधि नहीं होगी।

 तथापि, यह पाया गया कि 2016-23 के दौरान एसटीआर के मुख्य क्षेत्र के एक किलोमीटर के भीतर 47 खनन पट्टे संचालित थे। इसी तरह, रावतभाटा, तालेरा और लाडपुरा में एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्र से एक किलोमीटर के भीतर सैंडस्टोन के 14 खनन पट्टे संचालित थे। वन विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए खान विभाग के उच्चतर स्तर पर इस मुद्दे को नहीं उठाया। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी और गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एसटीआर और एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्र में और उसके आस-पास खनन गतिविधियों को दर्शाने वाली उदाहरणार्थ तस्वीरें नीचे दी गई हैं:



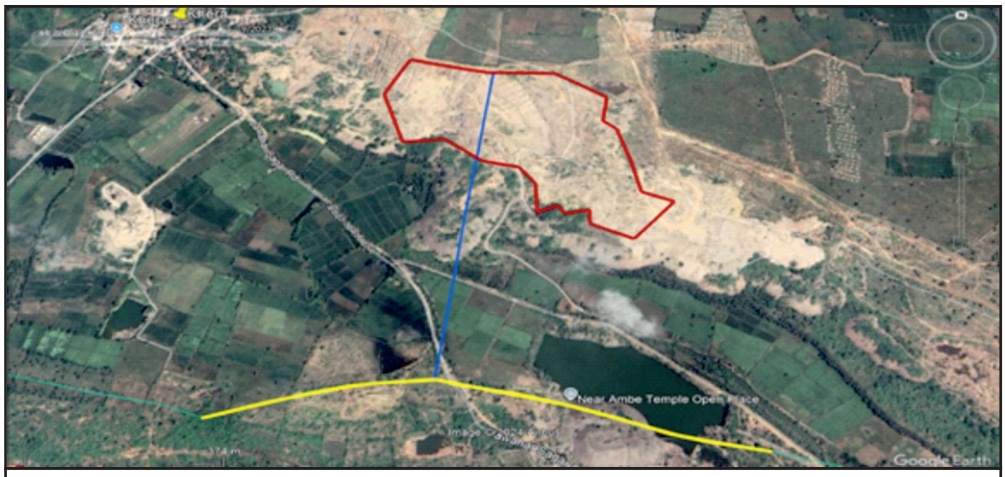
चित्र 4.3: राजस्थान सरकार के निर्देश से पहले एसटीआर में और उसके आसपास खनन (चित्र की समय सीमा: नवंबर 2015)



चित्र 4.4: राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद एसटीआर के भीतर और आसपास खनन (चित्र की समय सीमा: दिसंबर 2022)



चित्र 4.5: राजस्थान सरकार के निर्देश से पहले एमएचटीआर के आसपास खनन (चित्र की समय सीमा: मई 2016)



चित्र 4.6: राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद एमएचटीआर के आसपास खनन (चित्र की समय सीमा: सितंबर 2023)

मुख्य क्षेत्र के बाहर खनन | मुख्य क्षेत्र के अंदर खनन | मुख्य क्षेत्र | मुख्य क्षेत्र सीमा से दूरी

इस अनियमित खनन से बाघ अभयारण्य के आस-पास के संवेदनशील क्षेत्रों और वन्यजीवों की आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस मुद्दे को पूर्व में सीएजी की 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 में उजागर किया गया था।

इसके बाद, दिसंबर 2024 में सरकार ने उत्तर दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई 2024 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एक किलोमीटर के भीतर खनन गतिविधियों को रोक दिया गया है।

(iv) मानवजनित गतिविधियाँ

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वन्यजीव के प्राकृतिक आवास को नष्ट, नुकसान या अन्यत्र नहीं ले जाएगा, सिवाय इसके कि वह सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू द्वारा दिए गए अनुज्ञा के अनुसार हो। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि बाघ संरक्षण के उद्देश्य से बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों को अखण्ड रखा जाना चाहिए।

इस संबंध में, यह पाया गया कि विभाग ने अपने बाघ रिजर्वों में मानवजनित गतिविधियों का विनियमन सुनिश्चित नहीं किया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- सभी बाघ अभयारण्यों के टीसीपी ने उद्यान में धार्मिक स्थलों के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसका मुख्य कारण वाहनों और तीर्थयात्रियों की अनियंत्रित आवाजाही है, जो शिकारियों को वन्यजीव अपराध करने के लिए जंगल में प्रवेश करने का अवसर भी प्रदान करती है।

तथापि, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 565 धार्मिक स्थल[30] थे, जिनमें एसटीआर में पांडुपोल, आरटीआर में गणेश मंदिर, एमएचटीआर में गरडिया महादेव शामिल थे। ये स्थल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं, जिसके लिए उनके प्रबंधन का कोई उचित तंत्र विकसित नहीं किया गया। इसके अलावा, किसी भी बाघ अभयारण्य में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर तीर्थयात्रियों के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया, जिसके कारण वन्यजीवों पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए निवारक उपाय नहीं किए जा सके।

- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 मुख्य रूप से मानव-वन्यजीव संघर्षों से बचने के लिए आरक्षित वन में मवेशियों के चरने पर प्रतिबंध लगाता है। तथापि, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के टीसीपी के अनुसार, बाघ अभयारण्यों के भीतर स्थित गाँवों में रहने वाले लोगों के पास बड़ी संख्या में घरेलू पशुधन थे। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मवेशी एसटीआर (विशेष रूप से जल बिंदुओं के पास), आरटीआर (सेलदार नीमली विश्राम गृह, कुशालपुरा चौकी के पास, फलौदी रेंज) एवं एमएचटीआर (जवाहर सागर, बोरावास रेंज) के अंदर चर रहे थे। बाघ अभयारण्यों में अनियंत्रित चराई मुख्य रूप से बाघ अभयारण्यों के भीतर स्थित गांवों के गैर-विस्थापन जैसा कि **अनुच्छेद 4.3.8.7** (i) में चर्चा की गई है, कई स्थानों पर टूटी हुई चारदीवारी/ बाड़ जैसा कि **अनुच्छेद 4.3.8.4** (ii) में चर्चा की गई है, के कारण थी जिससे मवेशियों को चरने के लिए उद्यान में प्रवेश करने में और सुविधा हुई।



चित्र 4.7: एसटीआर में घरेलू मवेशी (जुलाई 2021)

इस प्रकार, विभाग ने अपने बाघ अभयारण्यों में विभिन्न मानवजनित गतिविधियों जैसे तीर्थयात्रियों की आवाजाही, दुकानों और कियोस्कों का संचालन, अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां, घरेलू मवेशियों का चरना आदि का विनियमन सुनिश्चित नहीं किया, जिससे प्राकृतिक आवास प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

दिसंबर 2024 में सरकार ने उत्तर दिया कि मानवजनित गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के

[30] आरटीआरः 242, एसटीआरः 308 और एमएचटीआरः 15

लिए, एसटीआर प्रशासन द्वारा गांवों के पुनर्वास की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। एसटीआर के लिए ई-वाहन और शटल बस सेवा के क्रियान्वयन पर विचार किया जा रहा है। आरटीआर के आसपास मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा गणेश धाम स्थित 42 कियोस्कों/दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा का मानना है कि वन विभाग को वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए मानवजनित गतिविधियों को कम करने हेतु अन्य विभागों (जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग) के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

(v) बाघ अभयारण्यों में पारिस्थितिकी पर्यटन

पारिस्थितिकी पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की जिम्मेदार यात्रा है जो पर्यावरण को संरक्षित करता है और स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार करता है, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व एवं संवेदनशीलता के बारे में बड़े पैमाने पर जनता में जागरूकता बढ़ाता है।

तथापि, राज्य के बाघ अभयारण्यों में पर्यटन गतिविधियों के प्रबंधन की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गया:

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-31 में प्रभाव आकलन तकनीक और मानक विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग वन्यजीव प्रबंधकों द्वारा मिट्टी, जल संसाधन, वनस्पति, पशु जीवन, स्वच्छता, सांस्कृतिक पर्यावरण आदि पर पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में, 2016-23 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में पर्यटकों का विवरण **तालिका 4.11** में दिया गया है।

तालिका 4.11: आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में पर्यटकों का विवरण

वर्ष	आरटीआर	एसटीआर	एमएचटीआर
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	4,69,850	52,205	लागू नहीं
2017-18	4,90,942	50,265	32,465
2018-19	4,61,899	46,333	73,943
2019-20	4,35,386	48,547	84,549
2020-21	1,93,092	41,375	34,241
2021-22	3,59,059	51,069	69,796
2022-23	5,53,519	56,183	94,548

स्रोत: वन विभाग।

यद्यपि, एसटीआर एवं आरटीआर[31] के टीसीपी ने वाहनों की अधिकतम संख्या क्रमशः 35 और 140 निर्धारित की थी, लेकिन किसी भी बाघ अभयारण्य में पर्यटन गतिविधियों के

[31] एमएचटीआर में कोई सफारी नहीं थी।

प्रभाव का आकलन और मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया था।

बाघ अभयारण्यों में पर्यटन को विनियमित करने और पर्यटक वाहनों की आवाजाही की निगरानी करने के लिए, पीसीसीएफ एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू (सितंबर 2016) और राज्य सरकार (दिसंबर 2019) ने बाघ अभयारण्य में प्रवेश करने वाले प्रत्येक पर्यटक वाहन में जीपीएस उपकरण लगाने का निर्देश दिया था। हालाँकि, 31 मार्च 2023 तक आरटीआर में 557 पर्यटक वाहनों में जीपीएस लगा दिया गया था, लेकिन जीपीएस के माध्यम से उनकी निगरानी चालू नहीं थी।

- एनटीसीए (पर्यटन गतिविधियों और बाघ परियोजना के लिए मानदण्ड सम्बन्धी मानक) दिशा-निर्देश, 2012 में कहा गया कि प्रदूषण को कम करने के लिए बाघ अभयारण्यों में बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालाँकि, आरटीआर और एसटीआर ने अब तक (मार्च 2024) किसी भी बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहन को शुरू करने की व्यवहार्यता का पता नहीं लगाया है।

पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, 2018 में वन्यजीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों के उपयोग के लिए व्याख्या केंद्र, पोस्टर तथा प्रदर्शनी सामग्री स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, विभाग ने एक व्याख्या केंद्र आरटीआर मुख्य क्षेत्र में, एक व्याख्या केंद्र एसटीआर (2012) में और एक[32] व्याख्या केंद्र एमएचटीआर (2019-20) में स्थापित किया।



चित्र 4.8: एसटीआर में व्याख्या केंद्र (दिसंबर 2021)

- हालांकि, स्टाफ एवं बुनियादी ढांचे की कमी के कारण आरटीआर और एमएचटीआर के व्याख्या केंद्र चालू नहीं थे, जिनमें से आरटीआर के व्याख्या केंद्र का इस्तेमाल दो पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा, एसटीआर के व्याख्या केंद्र का रखरखाव समुचित रूप से नहीं किया गया था, क्योंकि क्षतिग्रस्त संरचना, चित्रकारियां, प्रतिरूप, प्लास्टर, लकड़ी का काम आदि की मरम्मत नहीं की गई थी। इससे व्याख्या केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया।

[32] जवाहर सागर रेंज में गरडिया महादेव पर।

सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2022) कि पर्यटन गतिविधियों के प्रभाव मूल्यांकन को शोध के लिए एक विषय के रूप में चुना गया है और 2022 में जीपीएस निगरानी प्रारंभ की जाएगी। उत्तर में (दिसंबर 2024) यह सूचित किया गया कि अभयारण्य क्षेत्र में पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन के आयोजन के लिए बीएस VI वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग को बाघ अभयारण्यों में पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपने प्रस्तावों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है।

4.3.8.5 आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन न करना

आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के टीसीपी ने प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल)[33], लैंटाना आदि को प्रमुख आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में पहचाना, जो अवांछनीय खरपतवार हैं जिनका वन्यजीवों के लिए बहुत कम महत्व है और जो सभी उपलब्ध प्राकृतिकवासों पर आक्रमण करते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31) में बाघ अभयारण्यों के अंदर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की गई, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण अवांछनीय प्रभावों के साथ जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं।

इस संबंध में, यह देखा गया कि विभाग ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों को हटाने के लिए कोई दीर्घकालिक नीति तैयार नहीं की। इसके अलावा, आरटीआर और एमएचटीआर में आक्रामक प्रजातियों को हटाने के लिए क्षेत्र का आकलन नहीं किया गया, जिसके कारण उन्मूलन के लक्ष्य तदर्थ आधार पर निर्धारित किए गए। हालांकि, विभाग ने 2016-23 के दौरान एसटीआर में विदेशी प्रजातियों के उन्मूलन के लिए 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र का आकलन किया, परन्तु इसके लिए केवल 600 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि निर्धारित क्षेत्र से बहुत कम था। विभाग 2016-23 के दौरान आरटीआर और एमएचटीआर में निर्धारित लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सका, जिससे भौतिक लक्ष्यों की तुलना में 14.54 प्रतिशत तथा वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में 18.21 प्रतिशत की कमी रह गई, जैसा कि नीचे **तालिका 4.12** में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 4.12: आक्रामक विदेशी प्रजातियों को हटाने के लक्ष्य और प्राप्तियां (2016-23)

बाघ अभयारण्य का नाम	आकलित क्षेत्र (हेक्टेयर)	लक्ष्य		प्राप्ति		कमी (प्रतिशत में)	
		भौतिक (हेक्टेयर)	वित्तीय (₹ लाख में)	भौतिक (हेक्टेयर)	वित्तीय (₹ लाख में)	भौतिक (हेक्टेयर)	वित्तीय (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(3)*100	(8)=(6)/(4)*100
आरटीआर	-	151.00	110.00	97.00	86.33	35.76	21.52
एमएचटीआर	-	653.30	208.75	480.63	154.77	26.43	25.86
एसटीआर	5,000	600.00	110.00	622.50	109.56	-	0.40
योग	**5,000**	**1,404.30**	**428.75**	**1,200.13**	**350.66**	**14.54**	**18.21**

स्रोतः वन विभाग।

[33] जूलीफ्लोरा का वनों पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें देशी वनस्पति समुदायों का विस्थापन, वृक्षों की विविधता में कमी, पौधों की वृद्धि में बाधा, पौधों की ऊंचाई और तने के व्यास में कमी, आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव आदि शामिल हैं।

लक्ष्य प्राप्ति में कमी का कारण वार्षिक कार्य योजना में आक्रामक प्रजातियों को हटाने के लिए बहुत कम क्षेत्र की योजना बनाना आदि था। इस प्रकार, बाघ अभयारण्यों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों को हटाने के लिए किए गए प्रयास इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि आरटीआर में आक्रामक प्रजातियों का उन्मूलन करके चरागाह विकास कार्य किया जा रहा है। एमएचटीआर के लिए एक एकीकृत आक्रामक प्रजाति उन्मूलन योजना प्रक्रियाधीन है।

4.3.8.6 अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं

आग वनों के प्रमुख विनाशकारी कारकों में से एक है। राजस्थान में अधिकांश वन की आग ज़मीनी होती हैं, जो सामान्यतः वन के वृक्षों की फसल को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन इससे वनों की सघनता कम हो जाती हैं और अमूल्य वन्यजीव प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। तदनुसार, राजस्थान वन नीति में यह परिकल्पना की गई है कि वन की आग को रोकने के लिए, नियमित अंतराल पर वन क्षेत्रों में अग्नि रेखाएँ बनाने और संधारित रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए कर्मचारियों को आधुनिक गैजेट दिए जाएंगे।

वर्ष 2016-23 के दौरान, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 3,650.68 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगने के 105 मामले दर्ज किए गए, जिसमें एसटीआर के 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बड़ी आग लगने की घटना (27 मार्च 2022) भी शामिल है। इस संबंध में, यह पाया गया कि वर्ष 2016-23 के दौरान बाघ अभयारण्यों में आग से सुरक्षा के इंतजाम अपर्याप्त थे, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- किसी भी बाघ अभयारण्य में आग की आशंका वाले क्षेत्र का आकलन नहीं किया गया, जिसके कारण उपलब्ध नहीं थे।
- पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए आर.टी.आर.-II को छोड़कर किसी भी बाघ अभयारण्य में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए।
- 2016-23 के दौरान विभाग ने अग्नि रेखाओं से संबंधित कार्यों के लिए आवंटित ₹ 3.05 करोड़ में से केवल ₹ 1.92 करोड़ का ही उपयोग किया।
- आग से बचाव के लिए आरटीआर-I और एसटीआर में अग्नि पहरेदार, अग्नि योद्धा, बीटर्स की तैनाती नहीं की गई। इसके अलावा, 2017-21 के दौरान आरटीआर-II में अग्नि पहरेदार, अग्नि योद्धा, बीटर्स के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया।

आग की आशंका वाले क्षेत्रों का आकलन न करना, अग्निशमन और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता यह इंगित करती है कि बाघ अभयारण्य वनों की आग के प्रति सतर्क नहीं थे। इस मुद्दे को पूर्व में सीएजी की 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 05 में उजागर किया गया था, तथापि, विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि समीक्षाधीन संरक्षित क्षेत्र राज्य के दक्षिणी भागों की

तुलना में कम आग प्रवृत्त है। इसके पश्चात, यह उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि रेंज स्तर पर अग्निशमन उपकरण दिए गए हैं, जंगल की आग को रोकने के लिए अग्नि रेखा बनाई गई है और समय-समय पर क्षेत्रीय कार्मिकों को अग्निशमन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वर्तमान में, अभयारण्य क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा के लिए अग्नि रेखाएं स्थापित की जा रही हैं और अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

निष्कर्ष

2016 से 2023 की अवधि के बीच विभाग द्वारा वन्यजीव संरक्षण और बाघ संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण कमियाँ रहीं। विभाग वन्यजीवों के अवैध शिकार को नहीं रोक सका, जिसके कारण शिकार से चार बाघों की मौत हो गई। इसके अलावा, महत्वपूर्ण बाघ कॉरीडोर को विकसित करने में विफलता, विशेष रूप से आरटीआर 1 और 2 के बीच, के परिणामस्वरूप भीड़भाड़ और क्षेत्रीय संघर्ष के कारण दस बाघों की मौत हो गई।

विभाग द्वारा 2016-2023 के दौरान खराब वित्तीय प्रबंधन, अपर्याप्त सुरक्षा उपाय और अप्रभावी मानवबल प्रबंधन किया गया। ₹ 539.59 करोड़ के आवंटन के बावजूद, ₹ 344.06 करोड़ का उपयोग किया गया। प्रभावी गश्ती योजनाओं की अनुपस्थिति, पर्याप्त कर्मचारियों की कमी एवं अपर्याप्त सुविधाओं के कारण वन्यजीव सुरक्षा से समझौता किया गया। कार्मिकों की कमी को दूर करने एवं पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने में विभाग की अक्षमता के परिणामस्वरूप वन रक्षकों पर बड़े क्षेत्रों की निगरानी का बोझ बढ़ गया।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों का पालन न करने से स्थिति और खराब हो गई, विशेष रूप से एसटीआर के आसपास, जहां अभयारण्य के निकट खनन जारी रहा।

बाघ अभयारण्यों को सुरक्षित रखने एवं उनका प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण विफलताएँ रहीं, जिससे संरक्षण प्रयासों को ख़तरा उत्पन्न हुआ। विभाग ने बाघ अभयारण्यों के लिए भूमि का पर्याप्त रूप से सीमांकन और सुरक्षा नहीं की, जिसके कारण अतिक्रमण, फसल क्षति और मवेशी चरने की घटनाएँ हुईं। विभाग अभयारण्यों के पास अवैध खनन को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा, जिससे वन्यजीवों एवं आस-पास के पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा था। विभाग के पास आक्रामक प्रजातियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीति का भी अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त प्रयास किए गए।

अनुशंसाएं

सरकार/विभाग निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- *अवैध शिकार पर रोक लगाकर बाघों की मृत्यु दर को कम करने के लिए एसटीएफ की स्थापना जैसी ठोस कार्रवाई करना।*
- *क्षेत्रीय संघर्षों से बचने के लिए, आवश्यक गतिविधियों को अंजाम देकर कॉरीडोर के विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही करना।*
- *बाघ अभयारण्यों में पर्याप्त पशु चिकित्सा कार्मिकों एवं गश्ती कार्मिकों के पदस्थापन के लिए कार्रवाई करना।*
- *बाघ अभयारण्यों की सीमाओं का स्तंभों, दीवारों या बाड़ का उपयोग करके निर्दिष्ट समय सीमा में सीमांकन करना तथा सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।*
- *पर्याप्त वित्त पोषण के साथ आक्रामक प्रजातियों के आकलन और उन्मूलन के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करना।*

4.3.8.7 गांवों का विस्थापन एवं पुनर्वास

लेखापरीक्षा का दूसरा उद्देश्य यह देखना है कि क्या गांवों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं।

इस उद्देश्य के तहत लेखापरीक्षा में गांवों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए किए गए प्रयासों में सर्वेक्षण में देरी, पुनर्वास के लिए भूमि की मंजूरी में देरी, निगरानी में कमी जैसी कमियां पाई गईं ।

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 में प्रावधान किया गया था कि बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्र के अंदर के गांवों का विस्थापन और पुनर्वास स्वैच्छिक रूप से या समझाइश द्वारा किया जाना चाहिए। एनटीसीए के दिशा-निर्देश (2007) में निर्धारित किया गया था कि बाघ अभयारण्यों से ग्रामीणों का विस्थापन क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से पांच साल के भीतर किया जाना चाहिए। बाघ अभयारण्यों से गांवों के विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है:

(i) बाघ अभयारण्यों से गांवों का विस्थापन

आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर[34] के मुख्य क्षेत्र के अंदर 108 गांव[35] (अप्रैल 2013

[34] एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्र के 14 गांवों को 2015-16 से चरणबद्ध तरीके से विस्थापित करना प्रस्तावित किया गया था।

[35] आरटीआर-66 गांव, एसटीआर-28 गांव एवं एमएचटीआर-14 गांव।

तक) थे, जिन्हें विस्थापित किया जाना था। तदनुसार, विभाग ने एनटीसीए को 31 मार्च 2014 तक की समय-सीमा के साथ आरटीआर से 66 गांवों और 31 मार्च 2016 तक की समय-सीमा के साथ एसटीआर से 28 गांवों की वर्ष-वार विस्थापन योजना प्रस्तुत की, इसके अतिरिक्त एमएचटीआर में 14 गांवों को 2015-16 से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से विस्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया।

हालांकि, उपरोक्त प्रस्ताव के विरुद्ध विभाग ने केवल 31 गांवों[36] की वर्षवार विस्थापन योजना बनाई, जिसमें से 20 गांवों के विस्थापन को एनटीसीए द्वारा मंजूरी दी गई। इसके बाद 18 और गांवों को मंजूरी दी गई तथा विस्थापन के लिए लिया गया (2014-23)।

इस प्रकार, आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्रों से 108 गांवों के लंबित विस्थापन के मुकाबले विभाग ने केवल 49 गांवों (31+18) के विस्थापन की योजना बनाई, जिसके मुकाबले विभाग 31 मार्च 2023 तक 15 गांवों को पूरी तरह से और 17 गांवों को आंशिक रूप से विस्थापित कर सका। यह विस्थापन प्रक्रिया में बहुत धीमी प्रगति को दर्शाता है, जिसके लिए विस्तृत कारण **अनुच्छेद 4.3.8.7** (ii) **और** (iii) में शामिल हैं। 2016-23 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर से गांवों के विस्थापन की स्थिति **तालिका 4.13** में दी गई है।

तालिका 4.13: 2016-23 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर से गांवों के विस्थापन की स्थिति

बाघ अभयारण्य	अधिसूचना माह	कुल गाँव	31 मार्च 2016 तक लंबित विस्थापन (गांव/परिवार)	2016-23 के दौरान विस्थापित हुए गांव (गांव/परिवार)	31 मार्च 2023 तक लंबित विस्थापन (गांव/परिवार)	विस्थापन की प्रक्रिया में गांव (31 मार्च 2023 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आरटीआर	दिसंबर 2007	66	60/ 8,025	3/ 373	57/ 7,652	9
एसटीआर	दिसंबर 2007	28	26/ 4,629	2/ 269	24/ 4,360	6
एमएचटीआर	अप्रैल 2013	14	14/ 1,585	2/ 175	12/ 1,410	2
योग		**108**	**100/ 14,239**	**7[37]/ 817**	**93/ 13,422**	**17[38]**

स्रोतः वन विभाग।

परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2023 तक, बाघ अभयारण्यों की अधिसूचना की तारीख से 10 से 15 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद भी 93 गांवों (100-7) का विस्थापन लंबित था।

इसके अलावा, गांवों के कम विस्थापन के कारण, 2016-23 के दौरान गांव विस्थापन के लिए कुल आवंटित ₹ 283.57 करोड़ की निधियों में से विभाग द्वारा केवल ₹ 107.73 करोड़ का ही उपयोग किया जा सका। गांवों के विस्थापन की धीमी गति के कारण बाघ अभयारण्यों के

[36] आरटीआर-19 गांव एवं एसटीआर-12 गांव।

[37] गढ़ी, पानीढ़ाल, डाबली एवं लक्ष्मीपुरा, कठुली, काला खोहरा एवं खरली बावड़ी।

[38] आरटीआर- कालीभाट, हिंदवाड़, मुंदेरहेड़ी, बेराई भीमपुरा, डांगरा, ऊंची गवाड़ी, चोडक्याकलां, मरमदा एवं चोडक्याखुर्द, एसटीआर- सुकोला, क्रास्का, देवरी, कांकवाड़ी, लोज नाथूसर एवं हरिपुरा, एमएचटीआर- घाटीगांव एवं मसालपुरा।

अंदर घरेलू मवेशियों द्वारा अनियंत्रित चराई और वन्यजीवों द्वारा फसलों की क्षति हुई, जैसा कि अनुच्छेद **4.3.8.4** (ii) में चर्चा की गई है।

(ii) गांवों के विस्थापन में प्रयासों की कमी

विभाग ने आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर के मुख्य क्षेत्रों से गांवों का विस्थापन सुनिश्चित नहीं किया, जैसा कि पूर्ववर्ती **अनुच्छेद 4.3.8.7** (i) में चर्चा की गई है। गांवों के कम विस्थापन और पुनर्वास के मुख्य कारण विभाग द्वारा प्रयासों की कमी थी, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- **पुनर्वास के लिए भूमि की मंजूरी में देरी:** डीसीएफ, एमएचटीआर ने 14 गांवों के 1,589 परिवारों के विस्थापन के लिए ₹ 251.63 करोड़ मुआवजे और 2,263 भूखंडों के आवंटन के लिए वित्त पोषण की स्वीकृति का प्रस्ताव (नवंबर 2017) दिया, जिसके लिए गांव के पुनर्वास के लिए लखावा में 100 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एनटीसीए द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति (अगस्त 2018) दी गई थी। हालांकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंतिम स्वीकृति छः साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी (दिसंबर 2024) लंबित थी, जिसका मुख्य कारण सैद्धांतिक स्वीकृति में शामिल निर्धारित शर्तों[39] का पालन न करना एवं राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम प्रस्ताव का लंबित होना था।

- **निगरानी में कमी:** विस्थापन प्रक्रिया की निगरानी एवं कार्यान्वयन राज्य स्तर पर एसएलएमसी द्वारा हर छः महीने में एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (डीएलआईसी) द्वारा हर तिमाही में किया जाना आवश्यक था। 2016-23 के दौरान न्यूनतम 14 एसएलएमसी बैठकों की आवश्यकता के मुकाबले पाँच बैठकें आयोजित[40] की गईं और 112 डीएलआईसी बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले तीन बाघ अभयारण्यों में 55 बैठकें आयोजित की गईं। कम बैठकें आयोजित करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। राज्य एवं जिला स्तर पर अपर्याप्त निगरानी ने राज्य के बाघ अभयारण्यों में विस्थापन प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित और धीमा कर दिया, क्योंकि विस्थापन के लिए शहरी पैकेज प्रदान करने, एफडी और सीसीएफ द्वारा भूमि उपलब्धता को प्राथमिकता देने, विस्थापन के लिए सर्वेक्षण करने आदि से संबंधित एसएलएमसी द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की जा सकी। अक्टूबर 2019 में आयोजित जन लेखा समिति बैठक के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि नियमित बैठकें आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि, उपरोक्त पैरा में उल्लिखित तथ्य यह दर्शाते हैं कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही थीं।

[39] जिला स्तर, उप-मंडल स्तर एवं ग्राम सभा स्तर का अनुमोदन।

[40] 19 मई 2016, 12 अप्रैल 2018, 28 मई 2019, 10 जनवरी 2022 एवं 22 अप्रैल 2022।

(iii) सर्वेक्षण आयोजित करना

राजस्थान राज्य विस्थापन पैकेज (2002) में प्रावधान किया गया था कि बाघ अभयारण्यों से विस्थापित किये जाने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

तथापि, विभाग ने दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित नहीं किया जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

- **सर्वेक्षण में देरी:** विभाग ने आरटीआर-II के दस गांवों[41] में सर्वेक्षण और विस्थापन प्रक्रिया शुरू नहीं की (दिसंबर 2024), जबकि इन गांवों के परिवार विस्थापन के लिए तैयार थे, और इसके लिए आरटीआर उद्यान प्रबंधक ने सीसीएफ से अनुरोध किया था (2016-17 से)। सर्वेक्षण एवं विस्थापन प्रक्रिया शुरू नहीं करने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

 एमएचटीआर के 14 गांवों में से केवल तीन[42] में ही सर्वेक्षण (2014 से 2019) किए गए, जिनमें से दो गांवों के लिए सर्वेक्षण समितियां गठित की गईं। इसके अलावा, सर्वेक्षण करने में समय अंतराल के कारण, मुख्य रूप से परिवार की संरचना में बदलाव के कारण पहचाने गए परिवारों की संख्या में विसंगतियां थीं।

 इसके अलावा, एमएचटीआर के पांच[43] गांवों के लिए गांव विस्थापन प्रस्ताव जुलाई 2011 के दौरान बिना वास्तविक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किए गए थे परिणामस्वरूप कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई। इसके अलावा, 2016-21[44] के दौरान वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित पांच[45] गांवों के विस्थापन के लिए ₹ 104.10 करोड़ के सीएसएस फंड के प्रस्ताव के विरुद्ध एनटीसीए द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

- **संयुक्त सर्वेक्षण:** लेखापरीक्षा ने (सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक) विभाग के अधिकारियों के साथ 10[46] गांवों के 112 परिवारों का, जिन्हें विस्थापित किया जाना था और दो[47] गांवों के 38 परिवारो का, जिन्हें पुनर्वासित किया गया, का संयुक्त सर्वेक्षण किया था। विस्थापित किए जाने वाले गांवों के परिवारों के सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि 49 परिवार (पांच गांव) विस्थापन प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते थे, 85 परिवारों (आठ गांवों) ने पुष्टि की कि उनके गांव में सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा 51 परिवारों (छः गांवों) ने

41 आशाकी, हटियाकी, नोनियाकी, निभेरा, मुला का पुरा, बंदन का पुरा, पहाड़पुर, जोगपुरा, रावतपुरा एवं चोड़िया खाता।

42 लक्ष्मीपुरा एवं खरली बावड़ी (10.12.2014 से 14.12.2014) एवं घाटी जागीर (01.07.2019 से 31.07.2019)।

43 कोलीपुरा, रूपपुरा, गिरधरपुरा, खरली बावड़ी एवं लक्ष्मीपुरा।

44 वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना में कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं की गई।

45 दर्रा, घाटी, मशालपुरा गिरधारीपुरा एवं लक्ष्मीपुरा।

46 आरटीआर-झिलकापुरा, अशाकी गुवाड़ी, हटियाकी, रसीलपुर, कालीभाट एवं भावपुर, एसटीआर-क्रास्का, राजोर मय मांडलवास, एमएचटीआर-घाटी जागीर एवं दामोदरपुरा।

47 आरटीआर-गणेश नगर एवं एसटीआर-तिज़ारा रुंध।

विस्थापन पैकेज राशि पर असंतोष व्यक्त किया।

इसके अलावा, विस्थापित गांवों के परिवारों के सर्वेक्षण से पता चला कि 38 परिवार पुनर्वास स्थल से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि या तो आवंटित भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई थी या भूमि का रूपांतरण लंबित था। उन्होंने पुनर्वास स्थल पर बुनियादी सुविधाओं जैसे गैस कनेक्शन, उचित मूल्य की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र आदि की कमी का भी हवाला दिया।

इस प्रकार, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आयोजन में देरी और विसंगतियों के कारण प्रभावित परिवारों में असंतोष उत्पन्न हुआ और विस्थापन प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।

राज्य सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण तभी किए गए जब पर्याप्त संख्या में परिवारों ने विस्थापित होने की इच्छा जताई। इसके अलावा यह भी बताया गया कि विस्थापित लोगों के नाम पर भूमि का नामान्तरण एक सतत प्रक्रिया है एवं अन्य मुद्दों के समाधान के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिससे पुनर्वास की गति में वृद्धि हुई है।

यह भी बताया गया कि गांवों का विस्थापन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और गांवों को विस्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जब आरटीआर-II और एमएचटीआर में पर्याप्त संख्या में परिवारों ने विस्थापन के लिए इच्छा दिखाई, तब भी विभाग ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया।

(iv) बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में स्थानीय सहभागिता की कमी

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में स्थानीय सहभागिता पर जोर दिया। बाघ संरक्षण फाउंडेशन (टीसीएफ) और पारिस्थितिकी विकास समिति (ईडीसी) की भागीदारी के माध्यम से पारिस्थितिकी विकास में भागीदारी और बाघ अभयारण्यों के संरक्षण के लिए प्रबंधन में सहभागिता के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों पर नीचे चर्चा की गई है:

- 2016-21 के दौरान आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में शासी निकायों ने 26 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 20 बैठकें कीं और कार्यकारी समिति ने 156 बैठकों की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 21 बैठकें कीं। परिणामस्वरूप, टीसीएफ करौली अपनी बैठकों में लिए गए निर्णयों: वन्यजीव स्टेशन की स्थापना, अधिक मांग वाले क्षेत्रों के लिए प्रवेश शुल्क में वृद्धि, मवेशी मुआवजा, पुलिस तैनाती, चीतलों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रिक शटल बसें आदि का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका।

- राज्य सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा और विकास के लिए प्रत्येक बाघ अभयारण्य के प्रत्येक गांव में ईडीसी गठित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2000)।

हालांकि, तीन बाघ अभयारण्यों के 356 गांवों के लिए 267 ईडीसी गठित की गयी, जिनमें से 126 ईडीसी (46.76 प्रतिशत) काम कर रही थी। इसके अलावा, एसटीआर की किसी भी ईडीसी द्वारा सूक्ष्म योजनाएं[48] तैयार नहीं की गईं, जबकि एमएचटीआर की ईडीसी द्वारा आंशिक योजनाएं तैयार की गईं। इसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि स्थानीय क्षेत्र और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप गतिविधियां संचालित की गईं।

सरकार ने बताया (नवंबर 2022) कि कोविड महामारी के बावजूद आरटीसीएफ की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गैर-कोविड अवधि के दौरान भी आरटीसीएफ की बहुत कम बैठकें आयोजित की गई थी।

- पीसीसीएफ एवं वित्त विभाग ने निर्देश दिए (जनवरी 2017 और अप्रैल 2018) कि ईडीसी द्वारा निष्पादित विभिन्न कार्यों का भुगतान नकद के बजाय सीधे संबंधित श्रमिकों के बैंक खाते में चेक/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्थानांतरित किया जावे।

सरिस्का और अकबरपुर रेंज की दस ईडीसी में वर्ष 2018-23 के दौरान ईडीसी के माध्यम से करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों पर ₹ 11.87 करोड़ खर्च किए गए, जिसका भुगतान विभाग ने ईडीसी के बैंक खाते में चेक के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। ईडीसी ने यह भुगतान चेक के माध्यम से दल प्रमुख[49] के बैंक खाते में स्थानांतरित किया, जिसे आगे संबंधित मजदूरों को वितरित किया गया। हालांकि, मजदूरों को मजदूरी के वास्तविक भुगतान का विवरण न तो ट्रैक किया गया और न ही ईडीसी और विभाग के पास उपलब्ध था। यह पीसीसीएफ एवं वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन था, जिससे ईडीसी के सदस्यों को रोजगार सुनिश्चित करने में पारदर्शिता से भी समझौता हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि मजदूरों को भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है। हालाँकि, उत्तर के समर्थन में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार, विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि विकास कार्यों के लिए भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया गया।

- आरटीआर के टीसीपी ने 2013-22 के लिए इसके मुख्य क्षेत्र के पास रहने वाले मोगिया, बावरिया और अन्य खानाबदोश जनजातियों की आजीविका, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक उत्थान और पुनर्वास के लिए बाघ परियोजना की वित्तीय सहायता से ₹ 17.62 करोड़ की अनुमानित लागत पर योजना प्रस्तावित की। हालांकि, विभाग ने वर्ष 2016-23 के लिए वार्षिक कार्य योजना में किसी भी बजट की मांग नहीं की। मोगिया बच्चों की छात्रावास सुविधाओं और शिक्षा के लिए रणथंभौर बाघ संरक्षण फाउंडेशन (आरटीसीएफ) द्वारा केवल ₹ 19.41 लाख की मामूली राशि खर्च की गई।

[48] ईडीसी को अपने क्षेत्र के लिए पारिस्थितिकी विकास और वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार करनी थी, जिसे डीसीएफ द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

[49] मजदूरों के समूह का मुखिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि इस मुद्दे पर टीसीपी में चर्चा की गई थी लेकिन एसटीआर की टीसीपी में उपरोक्त जनजातियों के उत्थान के लिए कोई बजट प्रस्तावित नहीं किया गया था। यद्यपि, बावरिया समुदाय के कौशल विकास के लिए ₹ 16.50 लाख स्वीकृत किए गए (2016-23), विभाग ने ₹ 7.97 लाख का व्यय किया।

निष्कर्ष

बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों से गांवों को विस्थापित करने और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने में कमियां थीं। आरटीआर, एसटीआर और एमएचटीआर में 108 नियोजित गांवों के विस्थापन में से, मार्च 2023 तक केवल 15 को पूरी तरह से और 17 को आंशिक रूप से विस्थापित किया गया था। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान 112 परिवारों में से 51 परिवारों ने पुनर्वास पैकेज पर असंतोष व्यक्त किया। विस्थापन की इस धीमी गति के परिणामस्वरूप आवंटित धन का कम उपयोग हुआ। अधूरे विस्थापन के कारण अभयारण्य के भीतर अनियंत्रित मवेशी चराई और वन्यजीवों द्वारा फसल की क्षति जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

अनुशंसाएं

सरकार/विभाग निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

- *पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर इसे अधिक आकर्षक बनाया जाए ताकि ग्रामीणों के बीच पुनर्वास के लिए इसकी स्वीकार्यता बढ़ाई जा सके; और*
- *निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक अभियान के रूप में विस्थापन कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समर्पित प्रप्रकोष्ठ की स्थापना करना।*

अध्याय–V

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

अध्याय-V
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

5.1 प्रस्तावना

राजस्थान का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) राज्य के प्रत्येक घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह विभाग राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति परियोजनाओं की योजना, अभिकल्पना, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। विभाग भूजल एवं सतही जल संसाधनों के विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध है।

शासन सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसे संयुक्त शासन सचिव, उप शासन सचिव तथा मुख्य अभियंताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता क्रमशः क्षेत्रीय, वृत्तीय एवं खण्डीय स्तर पर विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

पीएचईडी में 331 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थीं, जिनमें से 47 इकाइयों का वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए बिना अतिरिक्त मात्राओं के निष्पादन के प्रकरण (₹ 3.38 करोड़) तथा राज्य राजमार्ग के साथ पाइपलाइन बिछाने की अनुमति लिए बिना किए गए कार्य के कारण हुए अतिरिक्त व्यय (₹1.24 करोड़) के महत्वपूर्ण प्रकरण सामने आए, जिन्हें इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा में कुछ अन्य अनियमिततायें भी पाई गईं, जो उदाहरणस्वरूप हैं और नमूना जांचों पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा ने पूर्व के वर्षों में भी ऐसी ही त्रुटियां इंगित की थी, परंतु ये अनियमिततायें अगली लेखापरीक्षा तक बनी रही। ये अनियमिततायें व्यापक रूप से **तालिका 5.1** में दर्शाई गई श्रेणियों में आती हैं।

तालिका 5.1: वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पायी गई श्रेणीवार अनियमिततायें तथा आपत्ति की गई राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	संवेदकों को पूंजी/रख-रखाव कार्यों के निष्पादन में अनियमित व्यय/अतिरिक्त भुगतान के माध्यम से अनुचित लाभ देना	166	1,748.35
2.	संवेदकों द्वारा कार्य की आनुपातिक प्रगति नही बनाए रखने पर क्षतिपूर्ति आरोपित नही करना तथा आरोपित क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं करना	74	214.62
3.	परिहार्य व्यय	12	67.52
4.	रॉयल्टी/जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की राशि की वसूली नहीं करना/आंशिक वसूली करना	40	12.62
5.	निरर्थक व्यय/सार्वजनिक धन का अवरोध	43	112.66

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
6.	बकाया जल राजस्व की वसूली नही करना	30	82.94
7.	अतिरिक्त/आधिक्य मदों की अनियमित स्वीकृति	22	43.00
8.	अन्य अनियमिततायें	486	432.85
योग		**873**	**2,714.56**

स्रोतः विभाग को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

5.3 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया भुगतान

विभाग ने सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त कार्य मात्रा, जिसकी राशि ₹ 3.38 करोड़ थी, का निष्पादन किया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा 22 मई 2019 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें विभिन्न अवधियों के दौरान किसी भी मद की निष्पादित मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की स्थिति में उस अतिरिक्त मात्रा के भुगतान हेतु "शिड्यूल ऑफ पावर" के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए थे। इस परिपत्र के अनुसार, उक्त अतिरिक्त मात्राओं के निष्पादन के लिए विभिन्न प्राधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक थी।

पीएचईडी ने जुलाई 2013 में 'पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना' के अंतर्गत पैकेज-3ए के लिए एक ठेकेदार को ₹143.50 करोड़ की कार्यादेश जारी किया। यह कार्य मई 2022 में ₹124.20 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किया गया।

अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड पोकरण के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2023) में यह पाया गया कि विभाग ने वित्त समिति/वित्त विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए बिना पैकेज-3ए में 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त मात्रा का कार्य (₹ 3.38 करोड़ की राशि का) निष्पादित किया, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: विभिन्न अवधियों में 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त मात्रा के निष्पादन हेतु आवश्यक अनुमोदन तथा उसके विरुद्ध निष्पादित मात्राओं का विवरण।

अवधि	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिन प्राधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक थी, उनके नाम।	मद का नाम	निष्पादित मात्रा (प्रतिशत में)
08 मार्च 2017 तथा 22 मार्च 2018	वित्त विभाग	125 मि.मी. डी.आई. के-7 पाइप के लिए खुदाई का कार्य	65.04
		125 मि.मी. डी.आई. के-7 पाइप की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण तथा चालू करने का कार्य	65.04
22 मार्च 2018 के पश्चात	राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन बोर्ड की वित्तीय समिति (पूर्व स्वीकृति के साथ) तथा वित्त विभाग (यदि पूर्व स्वीकृति प्राप्त नही की गई	110 मि.मी. यूपीवीसी पाइप के लिए खुदाई का कार्य	112.69
		110 मि.मी. यूपीवीसी पाइप की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण तथा चालू करने का	112.69

अवधि	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिन प्राधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक थी, उनके नाम।	मद का नाम	निष्पादित मात्रा (प्रतिशत में)
	हो)	कार्य	
		वाल्व के लिए आर.सी.सी. चेंबर हेतु जंक्शन बॉक्स (1,500 मि.मी. x 1,200 मि.मी.)	56.52

इसके अतिरिक्त, 22 मार्च 2018 के पश्चात निष्पादित कार्य के लिए यदि पूर्व में स्वीकृति नहीं ली गई हो, तो उक्त परिपत्र के अनुसार संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना था। तथापि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मार्च 2025 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए (मार्च 2025) बताया कि इस प्रकरण में जांच प्रारंभ कर दी गई है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

5.4 आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाई। इसके परिणामस्वरूप पाइपलाइन को पुनः बिछाने में राजकीय कोष पर ₹ 1.24 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

'पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना' के पैकेज 2बी के समझौता अनुबंध (खंड-II) की धारा 2.4.2 (18) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़कों के आर-पार अथवा उनके समानांतर पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें संवेदक द्वारा की जाएंगी। ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमोदन/अनुमतियाँ प्राप्त करना संवेदक का उत्तरदायित्व था, जबकि पीएचईडी का दायित्व संवेदक को आवश्यक अनुमोदन/अनुमतियाँ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना था।

पीएचईडी ने सितंबर 2012 में एक संवेदक को पैकेज 2बी का कार्यादेश जारी किया। इस कार्य के अंतर्गत संवेदक ने अक्टूबर 2013 में बालोतरा से सिवाना तक एकल मार्गीय राज्य राजमार्ग के साथ स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। यह सड़क मार्च 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित की गई थी।

अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड बालोतरा के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2023) में यह पाया गया कि पीएचईडी द्वारा नियुक्त संवेदक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना राज्य राजमार्ग के साथ पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाद में, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाड़मेर के अधिशाषी अभियंता ने यह पाया (अगस्त 2015) कि बिछाई गई पाइपलाइन राजमार्ग के *राइट ऑफ वे*[1]

[1] राइट ऑफ वे कुल भूमि की वह चौड़ाई है जो परियोजना राजमार्ग के लिए आवश्यक होती है, जिसमें सड़क मार्ग (कैरेज वे और शोल्डर), साइड ड्रेन, सेवा मार्ग, वृक्षारोपण, उपयोगिताएँ आदि को समायोजित किया जाता है।

क्षेत्र में स्थित थी, अतः उन्होंने पीएचईडी को कार्य बंद करने की सूचना दी। तथापि, संवेदक तथा पीएचईडी ने इस निर्देश की उपेक्षा की और पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी रखा।

इसके उपरांत, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जून 2019 में मूथली गाँव के पास 975 मीटर लंबी पाइपलाइन को हटा दिया, क्योंकि यह सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने के दौरान चौड़ाईकरण के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही थी। आगे, राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन बोर्ड की वित्तीय समिति ने फरवरी 2022 में पाइपलाइन को पुनः बिछाने के लिए ₹1.24 करोड़ की अनुमानित लागत को स्वीकृति दी, तथा पीएचईडी द्वारा जुलाई 2022 में पाइपलाइन पुनः बिछाई गई। इस प्रकार, आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना पाइपलाइन बिछाने के कारण सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

राज्य सरकार ने (अगस्त 2024 और मार्च 2025 में) अवगत कराया कि पाइपलाइन वर्तमान सड़क के कैरेज वे से सुरक्षित दूरी पर बिछाई गई थी। यह भी उल्लेख किया गया कि कार्य के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

प्रत्युत्तर सार्वजनिक निर्माण विभाग और पीएचईडी के अधिकारियों द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अगस्त 2015) के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के विपरीत है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पाइपलाइन कार्य अनुचित था और आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना *राइट ऑफ वे* क्षेत्र में निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त, सड़क के चौड़ाईकरण के कार्य के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पाइपलाइन को हटाया जाना भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पाइपलाइन मौजूदा सड़क के कैरेज वे से सुरक्षित दूरी पर नहीं बिछाई गई थी।

अध्याय–VI

देवस्थान विभाग

अध्याय–VI

देवस्थान विभाग

6.1 परिचय

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग को राज्य नियंत्रणाधीन मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं और दान-संपत्तियों के प्रबंधन, प्रशासन और संरक्षण का काम सौंपा गया है। इसके प्रमुख कार्यों में राज्य प्रबंधित मंदिरों के संचालन की निगरानी, मंदिर सम्पत्तियों और राजस्व का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, मंदिर संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देना शामिल है। विभाग द्वारा तीर्थयात्रियों के कल्याण की व्यवस्था, धार्मिक आयोजनों का संचालन तथा मंदिरों के विकास एवं जीर्णोद्धार से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य भी किया जाता है।

यह विभाग प्रशासनिक रूप से राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा इसका नेतृत्व आयुक्त, देवस्थान द्वारा किया जाता है। यह विभाग, क्षेत्रीय और जिला स्तर के कार्यालयों के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें आयुक्त और सहायक आयुक्त, देवस्थान नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन और मंदिर प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करते हैं। विभाग पंजीकृत सार्वजनिक न्यासों का रिकॉर्ड भी रखता है तथा राजस्थान सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 के तहत उनके संचालन की निगरानी करता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

देवस्थान विभाग में 14 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थी, इनमें से 6 इकाइयों का लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया। लेखापरीक्षा में व्यय से संबंधित ₹158.38 करोड़ की अनियमितताएं पाई गईं। इस प्रकार की कुछ गलतियों का उल्लेख पूर्व वर्षों में भी किया गया था, किंतु लेखापरीक्षा की तिथि तक उन पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। ये प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जांच के आधार पर उदाहरणस्वरूप हैं। मुख्य रूप से पायी गई अनियमितताएं **तालिका 6.1** में दर्शाई गई श्रेणियों के अंतर्गत हैं।

तालिका 6.1: **वर्ष** 2022-23 **के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा आक्षेपित की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण**

क्र. सं.	श्रेणी	राशि
1.	किराये की अवसूली/कम वसूली	1.34
2.	व्यय संबंधी अनियमितताएं	158.38
योग		**159.72**

स्रोतः विभाग को जारी निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने ₹159.72 करोड़ की अवसूली/कम वसूली एवं व्यय संबंधी अनियमितताओं को स्वीकार किया।

6.3 सतही किराया एवं शास्ति ब्याज की अवसूली

देवस्थान विभाग ने सतही अधिकार धारकों द्वारा सतही किराया भुगतान दायित्वों के अनुपालन की निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप लम्बे समय तक भुगतान नहीं किया गया। इसी कारण राशि ₹ 76.27 लाख के सतही किराया एवं उपार्जित शास्ति ब्याज की वसूली का अभाव रहा।

राज्य सरकार (सरकार) द्वारा देवस्थान विभाग की भूमि पर खनन गतिविधियों के लिए खनन नीति (नीति) जारी (अप्रैल 2000) की गई थी। इस नीति में प्रावधान किया गया था कि खान एवं भूविज्ञान विभाग उन्हें खनन पट्टे प्रदान करेगा, जिन्हें देवस्थान विभाग से सतही अधिकार प्राप्त

हुए हों। सतही अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को नीति के खण्ड 2(बी) में निर्धारित दर के अनुसार वार्षिक सतही किराया एवं एकमुश्त राशि जमा करानी होगी। यदि आवेदनकर्ता सतही अधिकार प्राप्त करने के उपरांत वार्षिक सतही किराया एवं एकमुश्त राशि जमा नहीं करवाता है तो देवस्थान विभाग सतही अधिकार खण्डित कर सकता है। ऐसे प्रकरणों में सतही अधिकार धारक को 30 दिवस के नोटिस के उपरांत बेदखल कर दिया जायेगा। नीति के खण्ड 4 में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि सतही अधिकार विवेकपूर्ण तरीके से सौंपा गया था, लेकिन बाद में उसे अधिकार धारक द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में, नीति के खण्ड 2(बी) में परिकल्पित एकमुश्त राशि जमा करने के बाद नए खनन पट्टाधारक को सतही अधिकार सौंपा जा सकता है तथा नए पट्टाधारक द्वारा वार्षिक किराया भी जमा कराया जाएगा।

देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त, उदयपुर संभाग की अवधि अप्रैल 2015 से मार्च 2023 की लेखापरीक्षा (मई 2023), के दौरान पाया गया कि सहायक आयुक्त, (उदयपुर संभाग) द्वारा दो अनुज्ञाधारियों 'क' और 'ख' के पक्ष में गुलाबी संगमरमर के खनन हेतु 10 वर्षों की अवधि के लिए आरजी[1] संख्या 3526 एवं 3580 (प्लॉट नम्बर 1) तथा आरजी संख्या 3604 एवं 3643 (प्लॉट नम्बर 2), जो क्रमशः प्रत्येक चार हेक्टेयर क्षेत्रफल के है, के लिए सतही अधिकारों के उपयोग की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी (14 दिसम्बर 2011) किये । प्रत्येक प्लॉट के लिए वार्षिक सतही किराया ₹ 2.21 लाख के साथ ₹ 4 लाख की एकमुश्त गैर-वापसी योग्य राशि निर्धारित थी। आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर (अनुज्ञादाता) और सफल अनुज्ञाधारियों के बीच क्रमशः 13 दिसंबर 2011 और 14 दिसंबर 2011 को निम्नलिखित नियमों और शर्तों सहित समझौते निष्पादित किए गएः

(i) अनुज्ञाधारी, अनुज्ञादाता की लिखित पूर्व सहमति के बिना उक्त दस्तावेज द्वारा दिए गए अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेगा।

(ii) अनुज्ञाधारी को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक अग्रिम रूप से सतही किराए का भुगतान करना होगा, जिसके विलम्ब पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा। लाइसेंस शुल्क का समय पर भुगतान न करने पर राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूली की कार्रवाई की जा सकती है, साथ ही 30 दिन का नोटिस देने के बाद अनुज्ञाधारी को बेदखल भी किया जा सकता है।

खनन पट्टा संख्या 46/2011 एवं पट्टा संख्या 45/2011 उपरोक्त अनुज्ञाधारियों के पक्ष में खनि अभियंता (उदयपुर संभाग), खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2011 से 30 वर्ष के लिए स्वीकृत किये गये थे यद्यपि देवस्थान विभाग द्वारा सतही अधिकार केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किये गए थे।

दोनों अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्ष 2013-14 से वार्षिक सतही किराया राशि का भुगतान नहीं किया गया । जून, 2019 में, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा इन खनन पट्टों की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने हेतु खान एवं भूविज्ञान विभाग से अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युतर में खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अवगत (जुलाई 2019) कराया कि खनन पट्टा संख्या 46/2011 एवं पट्टा संख्या 45/2011 को अतिरिक्त निदेशक (खनि.) द्वारा दो अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, देवस्थान विभाग द्वारा अनुज्ञाधारियों को बकाया सतही किराया जमा कराने हेतु नोटिस जारी (02 सितम्बर 2020) किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में अनुज्ञाधारियों ने अवगत कराया कि उनको आवंटित किये गए खनन पट्टे दिनांक 16 जुलाई 2014 एवं 26 फरवरी 2014 को ही हस्तांतरित कर दिए गए थे और इस प्रकार इन खनन पट्टों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के भुगतान की कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है।

[1] आरजी- एक भूमि के हिस्से एवं प्लाट के लिए आवंटित यूनिक संख्या।

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के अभिलेखों की सवींक्षा (मई 2023) में पाया गया कि विभाग ने लाइसेंसधारियों द्वारा नियमित रूप से सतही किराये भुगतान की निगरानी नहीं की, जिसके कारण कई वर्षों तक भुगतान न करना बिना उचित कार्यवाही के अनुमत रहा जैसे की 30 दिन के नोटिस के उपरांत लाइसेंसधारी को बेदखल करना तथा राजस्थान सार्वजनिक मांग एवं वसूली एक्ट के तहत वसूली किया जाना। इसके परिणामस्वरूप, खनन पट्टों पर सतही किराये एवं शास्ति ब्याज की अवसूली राशि वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक बढ़कर ₹ 76.27 लाख (सतही किराया ₹ 37.64 लाख एवं ब्याज ₹ 38.63 लाख) हो गई, विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट-12*** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने बिना पूर्व अनुमति के अन्य पार्टी को खनन पट्टा हस्तांतरित करने और सतही अधिकार दस वर्ष के लिए दिए जाने पर भी खनन पट्टा 30 वर्ष के लिए दिए जाने के प्रकरण, खान एवं भूविज्ञान विभाग के समक्ष नहीं उठाये।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सतही किराए के भुगतान की निगरानी में कमी के कारण राजकोष को राशि ₹ 76.27 के राजस्व की वित्तीय हानि हो गयी, जो अनधिकृत पट्टे हस्तांतरण और सतही अधिकारों के साथ खनन पट्टे की अवधि का ध्यान नहीं रखने के कारण बढ़ गई थी।

यह प्रकरण सरकार के ध्यान में लाया गया (अगस्त 2023)। सरकार द्वारा अवगत कराया (सितम्बर 2024) गया कि सम्बंधित लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए तथा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (फरवरी 2025)।

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

जयपुर
दिनांक : 26 नवम्बर 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 03 दिसम्बर 2025

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2: पृष्ठ 1)

विभागों का संक्षिप्त प्रालेख

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
1	कृषि	फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों आदि जैसी फसलों के क्षेत्र और उत्पादकता में वृद्धि की योजना बनाना। यह कृषक समुदाय को गुणवत्तापूर्ण आदान की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा नवीनतम तकनीकी जानकारी के प्रसार के लिए भी जिम्मेदार है जिसे विस्तार सेवाएँ कहा जाता है।
2	कृषि विपणन	कृषि विपणन से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, किसानों को मंडियों में विपणन सुविधाएं प्रदान करना और किसानों को उनकी फसल बेचने के सभय उचित और प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करना।
3	पशुपालन	पशुओं को उपचार प्रदान करना, पशुधन रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना, टीकों का निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करना आदि ।
4	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	हमारी सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संरक्षण, मूर्त और अमूर्त दोनों कला और संस्कृति के सभी सयों को बढ़ावा देना, विभिन्न कला और वास्तुकला के रूप में सन्निहित सांस्कृतिक विरासत की सोज, संरक्षण, सुरक्षा, प्रदर्शन और व्याख्या करने के लिए ठोस प्रयास करना । यह अपने नियंत्रण में स्मारकों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुरातात्विक स्थलों की भी देखभाल करता है।
5	नागरिक उड्डयन	एक एकीकृत इको-सिस्टम स्थापित करना , जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे पर्यटन, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और संतुलित क्षेत्रीय विकास होगा।
6	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	निर्मित सिंचाई क्षमता के कुशल उपयोग और कृषि विस्तार और संधारणीय कृषि अनुसंधान के समन्वय से अधिकतम भूमि को सिंचित करके कृषि उत्पादन प्राप्त करना ।
7	सहकारी	सहकारी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों और जरूरतमंद व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना।
8	देवस्थान	मंदिरों/धार्मिक संस्थानों में आत्मनिर्भरता पैदा करना। विभाग, इनके नियंत्रण और प्रबंधन, पूजा सुविधाएं प्रदान करने, विभिन्न त्योहारों और मेलों का आयोजन करने, सार्वजनिक ट्रस्टों के पंजीकरण और पर्यवेक्षण और इनके नियंत्रण, देवस्थान विकास की योजना बनाने, जनता के लिए धर्मशालाओं और विश्राम गृहों के निर्माण और रखरखाव और विभिन्न मंदिरों के लिए महंतों और पुजारी की नियुक्ति, में भी शामिल है।
9	ऊर्जा	ऊर्जा संसाधनों की खोज, विकास और वितरण की निगरानी करके, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देकर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन को सुगम बनाकर एक सुरक्षित और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को विकसित और लागू करना। इसलिए, विभाग पूरे राज्य में बिजली

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
		उत्पादन, संचरण और वितरण प्रणालियों के संचालन की निगरानी और नियमन करता है। इसके अलावा, विभाग ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को ऋण और अनुदान के लिए मंजूरी देता है और अन्य प्रशासनिक मामलों से निपटता है।
10	पर्यावरण	विकास योजनाओं से संबंधित योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए योजनाएं परियोजनाएं, कार्यक्रम बनाना और निष्पादित करना और अन्य सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किए गए पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की संवीक्षा करना है।
11	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना । कारखानों में दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच करना और औद्योगिक श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी करना है।
12	मत्स्य पालन	मछली और मछली बीज उत्पादन में वृद्धि करना, राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देना और मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना।
13	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	किसानों से उचित मूल्य पर साद्यान्न की खरीद, उसका भंडारण हॅडलिंग, बफर स्टॉफ का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन और उचित संचालन।
14	वन	वानस्पतिक आवरण को बढाकर पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा प्राप्त करना । इसे राज्य के प्राकृतिक आवरण के विस्तार के लिये सघन वृक्षारोपण, मरूस्थलीकरण का मुकाबला कर, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के माध्यम से वनस्पति एवं जैव विविधता एवं जीन पूल रिजर्व से प्राप्त किया जाना है।
15	गोपालन	गौशालाओं का पंजीकरण करना और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर विकसित करना, राज्य की देशी गायों की नस्लों का संरक्षण एवं उन्नयन, कमी के दौरान चारा प्रबंधन, गौपालकों और गौशालाओ के लिये जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और प्रसंस्करण के माध्यम से पशु उत्पादों का मूल्यवर्धन करना।
16	भूजल	विभाग सभी प्रकार की भूजल संबंधी गतिविधियों जैसे भूजल संसाधन मूल्यांकन, सर्वेक्षण और जांच, गहरे ट्यूबवेलों की ड्रिलिंग, भूजल गुणवत्ता निगरानी, स्रोत विकास, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के लिए तकनीकी सहायता के लिए राज्य में नोडल विभाग है।
17	उद्यानिकी	फलों, सब्जियों, मसालों, औषधीय और फूलों की खेती वाली फसलों के क्षेत्र, नर्सरी में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टेड पौधों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, और किसानों को आपूर्ति करना है; ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय बागवानी कार्यक्रमों/योजनाओं को लागू करना।
18	इंदिरा गांधी नहर	कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराना है।
19	उद्योग	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को बढावा देना, उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करना, लवणीय क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्प कारीगरों का विकास, हथकरघा इत्यादि का विकास है। विभाग राज्य में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में विभिन्न रियायतें, सुविधायें तथा सहायता भी प्रदान करता है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
20	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	राज्य के कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रशासन में सुधार के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी निकायों में प्रौद्योगिकी का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करना । विभाग तकनीकी मामलों तथा आईटी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है। विभाग राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति बनाता है और लागू करता है।
21	खान एवं भूविज्ञान	राज्य में खनिज संसाधनों की खोज, विकास एवं प्रशासन करना। विभाग नवीन खनिज भण्डारों के लिये सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण करता है तथा भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय, भू-रसायन तथा ड्रिलिंग तकनीकी से उनकी सुनिश्चितता का मूल्यांकन करता है जिससे उन्हें दोहन के लिये तैयार किया जा सके।
22	पेट्रोलियम निदेशालय	पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस और पेट्रोलियम खनन पट्टों के अनुदान के प्रस्तावों पर कार्रवाई करना। पेट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व का संग्रह, तेल, गैस और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के लिए आवंटित ब्लॉकों में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (मिनिमम वर्क प्रोग्राम) के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों का अनुसरण करना।
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	यह विभाग भूजल और सतही जल संसाधनों के विकास तथा राज्य की ग्रामीण और शहरी आबादी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल वितरण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य की जल आपूर्ति योजना को नियंत्रित करता है और जल शुल्क भी एकत्र करता है।
24	सार्वजनिक निर्माण	सड़कों, पुलों और सरकारी भवनों के निर्माण और रखरखाव । विभाग इन मामलों में राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।
25	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	राज्य सरकार की मोटर वाहन पॉलिसी को लागू करना। इसके अतिरिक्त यह पदाधिकारियों को राज्य/जिला पूल से मोटर वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढाना तथा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ाने के लिये नोडल विभाग की भूमिका निभाना ।
27	राज्य उद्यम	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन से प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना ।
28	पर्यटन	राज्य के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देकर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अग्रणी पर्यटन ब्रांड बनाना । इसका मुख्य कार्य मौजूदा पर्यटन उत्पादों को मजबूत करना और विविधता लाना, नवीन पर्यटन उत्पाद प्रदान करना, पर्यटक आवास संरचनाओं का विस्तार करना और पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
29	परिवहन	मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा फिटनेस, मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, मोटर वाहनों को अनुमति-पत्र जारी करना, जनता के लाभ के लिये मार्गों का निर्धारण तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करना ।
30	जल संसाधन	प्रमुख, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मौजूदा टैंकों, नहरों और अन्य सिंचाई संरचनाओं का संचालन और रखरखाव विभाग का प्रमुख कार्य है। बाढ़ नियंत्रण के उपाय, विभिन्न विशेष योजनाओं के अंतर्गत सिंचाई संरचनाओं का निर्माण।

परिशिष्ट –2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.1; पृष्ठ 5)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के अवधिवार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदो की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग	पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग	पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग
1.	कृषि	151	71	30	**252**	597	412	257	**1,266**	1,653.28	971.50	916.86	**3,541.64**
2.	कृषि विपणन	8	0	3	**11**	21	0	14	**35**	25.87	42.86	287.59	**356.32**
3.	पशुपालन	52	11	9	**72**	106	75	66	**247**	2,999.83	188.76	315.74	**3,504.33**
4.	कला, संस्कृति, पुरातत्व और संग्रहालय	54	25	10	**89**	133	111	44	**288**	120.78	107.29	234.37	**462.44**
5.	नागरिक उड्डयन	4	1	3	**8**	10	3	13	**26**	37.37	4.32	18.81	**60.50**
6.	सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोग	52	5	3	**60**	82	15	15	**112**	88.21	8.26	51.55	**148.02**
7.	सहकारी	54	22	17	**93**	123	102	73	**298**	995.49	1,242.43	189.17	**2,427.09**
8.	देवस्थान	33	9	6	**48**	78	43	31	**152**	81.54	102.18	34.19	**217.91**
9.	ऊर्जा	0	1	4	**5**	0	1	10	**11**	0	278.49	6,941.89	**7,220.38**
10.	पर्यावरण	6	1	3	**10**	31	4	28	**63**	576.31	0	1,145.45	**1,721.76**
11.	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण	1	0	15	**16**	1	0	54	**55**	0	0	3.36	**3.36**
12.	मत्स्य पालन	0	1	2	**3**	0	6	13	**19**	0	14.06	38.38	**52.44**
13.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	84	12	16	**112**	394	115	120	**629**	5,053.57	266.64	495.49	**5,815.70**
14.	वन	231	88	60	**379**	808	514	436	**1,758**	1,110.75	460.26	829.80	**2,400.81**
15.	गोपालन	7	13	3	**23**	33	80	26	**139**	48.82	264.66	72.99	**386.47**

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदो की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग	पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग	पांच वर्षो से अधिक पुराने	तीन से पांच वर्षो के मध्य	तीन वर्षो तक	योग
16.	भूजल	26	5	8	**39**	40	11	36	**87**	392.25	34.32	37.44	**464.01**
17.	उद्यानिकी	34	0	17	**51**	119	0	108	**227**	527.97	0	45.34	**573.31**
18.	इंदिरा गांधी नहर	58	10	5	**73**	112	34	32	**178**	263.30	134.52	51.17	**448.99**
19.	उद्योग	23	6	18	**47**	50	28	71	**149**	28.73	92.29	22	**143.02**
20.	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	1	6	3	**10**	1	19	32	**52**	0	1,495.64	69.54	**1,565.18**
21.	खान एवं भूविज्ञान	248	56	58	**362**	780	354	537	**1,671**	1,804.96	206.40	2,266.52	**4,277.88**
22.	पेट्रोलियम निदेशालय	1	1	1	**3**	1	2	4	**7**	0	118.06	203.46	**321.52**
23.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	885	168	124	**1,177**	2991	1125	781	**4,897**	7,821.33	3,812.34	4,877.02	**16,510.69**
24.	सार्वजनिक निर्माण	1,114	194	118	**1,426**	5,196	1,134	733	**7,063**	4,236.60	1,672.34	2,923.03	**8,831.97**
25.	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	1	3	2	**6**	1	12	10	**23**	0.03	13.71	2.93	**16.67**
26.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	7	6	9	**22**	13	17	35	**65**	8.19	6.24	33.89	**48.32**
27.	राज्य उद्यम	1	0	2	**3**	1	0	5	**6**	0.07	0	40.77	**40.84**
28.	पर्यटन	13	2	1	**16**	24	24	11	**59**	72.3	69.74	39.54	**181.58**
29.	परिवहन	240	34	51	**325**	859	164	626	**1,649**	39.35	5.43	107.01	**151.79**
30.	जल संसाधन	533	111	33	**677**	1,816	745	183	**2,744**	2,084.61	512.42	1,361.87	**3,958.90**
योग		**3,922**	**862**	**634**	**5,418**	**14,421**	**5,150**	**4,404**	**23,975**	**30,071.51**	**12,125.16**	**23,657.17**	**65,853.84**

परिशिष्ट–3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.3.18; पृष्ठ 34 देखें)

चयनित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों में 31.03.2023 को स्वीकृत और क्रियान्वित कार्यों का विवरण

क्र. सं.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम	विभाग जिससे कार्य संबंधित है	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	निरस्त/छोड़े गये कार्यों की संख्या
1	बांसवाडा	शिक्षा	92	76	9	7
		पंचायती राज	54	0	8	46
		सार्वजनिक निर्माण विभाग	19	13	6	0
		चिकित्सा	22	15	6	1
		वन	11	5	5	1
		जल संसाधन विभाग	2	1	0	1
		अन्य	7	3	3	1
योग			**207**	**113**	**37**	**57**
2	भीलवाड़ा	सार्वजनिक निर्माण विभाग	297	149	43	105
		जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	605	500	15	90
		शिक्षा	841	535	88	218
		जल संसाधन विभाग	33	29	4	0
		वन	65	24	16	25
		चिकित्सा	750	615	16	119
		अन्य	65	3	15	47
योग			**2656**	**1855**	**197**	**604**
	सीकर	शिक्षा	29	23	4	2

क्र. सं.	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का नाम	विभाग जिससे कार्य संबंधित है	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	निरस्त/छोड़े गये कार्यों की संख्या
		सार्वजनिक निर्माण विभाग	9	6	3	0
		वन	8	6	1	1
		चिकित्सा	22	14	1	7
		जल संसाधन विभाग	50	43	0	7
		पंचायती राज	0	0	0	0
		अन्य	4	0	0	4
योग			**122**	**92**	**9**	**21**
28	बाड़मेर	शिक्षा	397	308	89	0
		जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	510	203	306	4
		चिकित्सा	17	14	1	0
		वन	153	143	10	0
		सार्वजनिक निर्माण विभाग	102	48	63	3
		पंचायती राज	12	6	3	3
		जल संसाधन विभाग	25	24	0	1
		अन्य	29	13	3	0
योग			**1245**	**759**	**475**	**11**
30	भरतपुर	सार्वजनिक निर्माण विभाग	4	4	0	0
		चिकित्सा	11	11	0	0
		पंचायती राज	28	28	0	0
योग			**43**	**43**	**0**	**0**
महा योग			**4273**	**2862**	**718**	**693**

परिशिष्ट-4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 52)

खनिजों के अतिरिक्त उपयोग और गलत आंकलन का विवरण

विवरण/खनिज	अल्पावधि अनुज्ञापत्र के अंतर्गत अनुमत मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	वास्तव में उपयोग की गई मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	अधिक उपयोग की गई मात्रा (अधिक उपयोग की गई मात्रा का उपयोग) (लाख मीट्रिक टन में)	वसूली योग्य राशि	अधिशासी अभियंता, कोटा के अनुसार उपयोग एवं खान विभाग द्वारा निर्धारित की गई मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	खान विभाग के अनुसार उपयोग की गई अतिरिक्त मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	खान विभाग द्वारा आंकलन के आधार पर मांग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
साधारण रेत	21.42	23.85	2.43 (11.31)	₹ 19.38 (2.43 x 4 x 2)	17.03	4.39 (कम मात्रा का उपयोग किया गया)	19.32
एग्रीगेट/चिनाई पत्थर/क्रेशर डस्ट	13.26	16.84	3.58 (27)	₹ 1,002.73[1] (3.58 x 28 x 10)	16.84	3.59[2]	110.46 (एक बारीय अधिशुल्क एवं डीएमएफटी)
योग				**1,022.11**			**91.14**
कम आंकलित राशि (5-8) ₹ 9.31 करोड़							

[1] स्वीकृत मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक खनिज का उपयोग किया गया इसलिए 10 गुना अधिशुल्क देय है।

[2] ठेकेदार ने 3,58,645 मीट्रिक टन खनिजों की खरीद के लिए अधिशुल्क भुगतान वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए।

परिशिष्ट–5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 52)

अग्रिम भुगतान प्राप्त किए बिना चिनाई पत्थर खनिज के लिए जारी किए गए अल्पावधि अनुज्ञापत्र का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र सं.	अल्पावधि अनुज्ञापत्र संख्या	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश का विवरण	खनिज की मात्रा (मीट्रिक टन में)	अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने की दिनांक	अल्पावधि अनुज्ञापत्र समाप्ति की दिनांक	अग्रिम रूप से प्राप्त होने वाली राशि				
							अधिशुल्क	डीएमएफटी	आरएसएमईटी	अनुज्ञापत्र शुल्क	कुल
1	7/2021	एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड	राजस्थान राज्य में ईपीसी मोड पर कुंडल से झाड़ोल (एनएच 58 ई का खंड) तक डिजाइन चैन 0.000 से 43.900 (कार्यशील लंबाई = 58.03 किमी) तक पक्के आधार के साथ दो लेन का उन्नयन (पैकेज-1)	80000	6/8/2021	10/31/2021	2240000	224000	44800	40100	2548900
2	17/2021	एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड		100000	8/31/2021	10/31/2021	2800000	280000	56000	50100	3186100
			योग	**180000**			**5040000**	**504000**	**100800**	**90200**	**5735000**

परिशिष्ट–6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 61)

3 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 के दौरान जारी ई–रवन्ना/ट्रांजिट पास से संबंधित वसूली योग्य राशि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनन पट्टों के लिए जारी ई–रवन्नाओं की संख्या	अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए जारी ई–रवन्नाओं की संख्या	पंजीकृत डीलरों के लिए जारी ई–ट्रांजिट पासों की संख्या	कुल जारी ई–रवन्ना/ट्रांजिट पास	प्रोसेसिंग शुल्क के संबंध में वसूली योग्य राशि	जारी तथ्यात्मक विवरण के अनुपालन में वसूल की गई राशि	शेष वसूलनीय राशि
1	खनि अभियंता झुंझुनू	190933	0	100800	291733	2917330	1789740	1127590
2	खनि अभियंता भीलवाड़ा	105776	0	36551	142327	1423270	118810	1304460
3	सहायक खनि अभियंता रूपवास	75357	1610	40460	117427	1174270	390970	783300
4	खनि अभियंता जोधपुर	83432	5167	20741	109340	1093400	523710	569690
5	खनि अभियंता अजमेर	34427	22790	36664	93881	938810	199160	739650
योग		**489925**	**29567**	**235216**	**754708**	**7547080**	**3022390**	**4524690**

परिशिष्ट–7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6.2; पृष्ठ 62)

प्रीमियम राशि जमा न करने वाले खनन पट्टों का विस्तृत विवरण

क्रम संख्या	पट्टा संख्या	पट्टेधारक का नाम	खनिज का नाम	पंजीकरण तिथि	कुल प्रीमियम	प्रीमियम जमा करने की देय तिथि (तीसरी किस्त)	जमा किये जाने वाला 20 प्रतिशत प्रीमियम
1	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/04/2018	रोहित चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
2	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/06/2018	रोहित चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	1750000	24 दिसम्बर 21	350000
3	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/02/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
4	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/08/2018	रोहित चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
5	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/11/2018	रोहित चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	170000	24 दिसम्बर 21	34000
6	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/03/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	3500000	24 दिसम्बर 21	700000
7	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/10/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
8	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/01/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
9	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/07/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	160000	24 दिसम्बर 21	32000
10	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/05/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	1750000	24 दिसम्बर 21	350000
11	एमई/एमकेएन/माइनर/एमएल/09/2018	हेमा चौधरी	चिनाई पत्थर	24 दिसम्बर 20	1900000	24 दिसम्बर 21	380000
योग							**20,06,000**

परिशिष्ट-8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 63)

उन खनन पट्टों का विस्तृत विवरण जिनमें पट्टा क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया गया जबकि पट्टेधारक ने ई-रवन्ना का दुरुपयोग करके पट्टा क्षेत्र के अलावा अन्यत्र खनिज निर्गमित किये

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मौजूदा पट्टों की कुल संख्या	चयनित पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	पट्टेधारक का नाम	खनिज का नाम	अवधि	निर्गमन हेतु प्रयुक्त रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मी.टन)	अधिशुल्क की दर	वसूली योग्य राशि
1	खनि अभियंता अजमेर	492	50	20/2004	श्री सुनील कुमार जैन	चिनाई पत्थर	अप्रैल 2018 से मार्च 2021	1401	29848.98	28	8357714.4
2				284/2010	सपेड़िया ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज	चिनाई पत्थर	मार्च 2019	878	13496.66	28	3779064.8
3				B/23/1995	गिरीश सोन जी	फेल्सपार	01.04.18 से 21.08.19	410	6516.95	60	3910170
							22.08.19 से 31.03.20	241	3073.96	90	2766564
4				5/2006	श्रीमती शिल्पा जैन	चिनाई पत्थर	जनवरी 2019 से नवम्बर 2021	540	7701.47	28	2156411.6
5				बी/359/2006	शांति	फेल्सपार	01.07.18 से 21.08.19	1250	21522.71	60	12913626
योग								**4720**	**82160.73**		**33883551**

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मौजूदा पट्टों की कुल संख्या	चयनित पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	पट्टेधारक का नाम	खनिज का नाम	अवधि	निर्गमन हेतु प्रयुक्त रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मी.टन)	अधिशुल्क की दर	वसूली योग्य राशि
6	सहायक खनि अभियंता निम्बाहेडा	71	20	बी/65/2007	सुगनी देवी जाट	चाइना क्ले	27.10.17 से 21.08.19	21	739.35	50	369675
							22.08.19 से 31.03.22	1997	79043.71	65	51378411.5
						सिलिका सैंड	22.08.19 से 31.03.22	100	3312.4	90	2981160
योग								**2118**	**83095.46**		**54729247**
7	खनि अभियंता करौली	257	50	49एन/1998	श्री श्याम लाल माली	चिनाई पत्थर	01.04.18 से 12.09.21	4671	33298.45	28	9323566
							13.09.21 से 31.03.22	591	4429.58	35	1550353
योग								**5262**	**37728.03**		**10873919**
8	खनि अभियंता सिरोही	421	50	129/2002	ईश्वर सिंह	लाइम स्टोन (क्रेशर)	27.10.17 से 12.09.21	398	9579.1	28	2682148
							13.09.21 से 04.02.22	73	1298.05	35	454318
योग								**471**	**10877.15**		**3136466**
9	खनि अभियंता जयपुर	807	50	278/2006	अनुभव इंटरप्राइजेज	चिनाई पत्थर	9/2016 से 10/2017	0*	1760	30	528000
							11/2017 से 3/2018	30	393.27	35	137644.5

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मौजूदा पट्टों की कुल संख्या	चयनित पट्टों की संख्या	पट्टा संख्या	पट्टेधारक का नाम	खनिज का नाम	अवधि	निर्गमन हेतु प्रयुक्त रवन्नाओं की संख्या	निर्गमित मात्रा (मी.टन)	अधिशुल्क की दर	वसूली योग्य राशि
							4/2018 से 19.04.2021	234	3260.85	35	1141297.5
10				134/1997	अजित सिंह	चिनाई पत्थर	6/2004 से 09/2007	0*	13932	8	1114560
							10/2007 से 12/2010	0*	43646	16	6983360
							01/2011 से 07/2014	0*	113746	22	25024120
							08/2014 से 10/2017	0*	111828.28	30	33548484
							11/2017 से 03/2018	2255	18757.62	35	6565167
							04/2018 से 07.10.2021	6597	70367	35	24628450
योग								**9116**	**377691.02**		**99671083**
योग		**2048**	**220**					**21687**	**591552.39**	**0**	**202294265**

* चूंकि ऑफलाइन रवन्नाओं का दुरुपयोग करके कुल 2,84,912.28 मीट्रिक टन खनिज निर्गमित किया गया था, इसलिए उपयोग किए गए रवन्नाओं की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

परिशिष्ट-9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3.8.1 (ii); पृष्ठ 87)

2020-23 के दौरान अनुपयोगी कैमरों का विवरण

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
रणथंभोर बाघ अभयारण्य	राजबाग -1	04.01.2021 से 05.02.2021	32 दिन		
		15.07.2021 से 31.03.2022	260 दिन	22.09.2021	69 दिन
		01.04.2022 से 12.05.2022	41.5 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	राजबाग -2	04.01.2021 से 05.02.2021	32 दिन		
		27.08.2021 से 21.02.2022	179 दिन	22.09.2021	26 दिन
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	झूमर बावड़ी	04.01.2021 से 05.02.2021	32 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	आमा घाटी	07.10.2020 से 22.10.2020	15 दिन		
		04.01.2021 से 09.02.2021	36 दिन		
		30.06.2022 से 21.07.2022	22 दिन		
		10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
	हिल टॉप आरटीआर किला के सामने	07.10.2020 से 22.10.2020	15 दिन		
		19.07.2021 से 17.09.2021	61 दिन		
		30.06.2022 से 04.08.2022	36 दिन		
		10.08.2022 से 22.08.2022	12.5 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	भैरव जी का स्थान	07.10.2020 से 22.10.2020	15 दिन		
		04.01.2021 से 09.02.2021	36 दिन		
		23.11.2021 से 04.02.2022	74 दिन		
		30.06.2022 से 21.07.2022	22 दिन		
		10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		16.12.2022 से 23.02.2023	70 दिन		
		01.03.2023 से 14.03.2023	14 दिन		
	हाई पॉइंट	07.10.2020 से 22.10.2020	15 दिन		
		10.08.2021 से 13.10.2021	65 दिन	22.09.2021	43 दिन
		30.06.2022 से 04.08.2022	36 दिन		
		10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	जागीरदार की हवेली	04.01.2021 से 09.02.2021	36 दिन		
		30.06.2022 से 21.07.2022	22 दिन		
		10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	लाडा लाडी की घाटी	02.12.2020 से 15.12.2020	13 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
		04.01.2021 से 09.02.2021	36 दिन		
		19.07.2021 से 04.02.2022	201 दिन	22.09.2021	65 दिन
		30.06.2022 से 04.08.2022	36 दिन		
		10.08.2022 से 25.08.2022	15.5 दिन		
		15.09.2022 से 04.10.2022	20 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	मानसरोवर डेम	24.12.2020 से 09.02.2021	47 दिन		
		07.06.2021 से 25.06.2021	19 दिन		
		10.08.2021 से 17.02.2022	192 दिन	22.09.2021	26 दिन
		30.06.2022 से 24.07.2022	25 दिन		
		10.08.2022 से 24.08.2022	14.5 दिन		
		22.12.2022 से 27.02.2023	68 दिन		
		01.03.2023 से 29.03.2023	29 दिन		
	बालाजी टेंट	24.12.2020 से 09.02.2021	47 दिन		
		07.06.2021 से 23.07.2021	47 दिन		
		10.08.2021 से 17.02.2022	192 दिन	22.09.2021	43 दिन
		30.06.2022 से 24.07.2022	25 दिन		
		10.08.2022 से 24.08.2022	14.5 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
	शेरपुर	10.08.2022 से 21.08.2022	12 दिन		
		22.12.2022 से 21.02.2023	62 दिन		
सरिस्का बाघ अभयारण्य	सदर गेट	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
	भृतहरी तिवारा	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		01.07.2020 से 04.11.2020	126 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	बन्ना टॉप	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	पानाली	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	फाटा खोरा	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	माला जोड़का	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
		10.08.2022 से 07.09.2022	29 दिन		
	कांकवाड़ी	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
		12.08.2022 से 05.09.2022	25 दिन		
		07.09.2022 से 19.09.2022	12.5 दिन		
	स्टार पॉइंट	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		09.09.2020 से 23.09.2020	14 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
	पांडु पोल	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		26.10.2020 से 04.12.2020	39 दिन		
		24.09.2021 से 16.02.2022	146 दिन		
		08.03.2023 से 19.03.2023	12 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
	हवामहल	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		31.08.2020 से 02.11.2020	63 दिन		
		09.11.2020 से 04.12.2020	25 दिन		
		24.09.2021 से 16.02.2022	146 दिन		
	क्रास्का टॉप	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		09.11.2020 से 04.12.2020	25 दिन		
		24.09.2021 से 07.02.2022	137 दिन		
		08.03.2023 से 19.03.2023	12 दिन		
	क्रास्का डाउन	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 08.02.2022	138 दिन		
	हनुमान मंदिर	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		26.10.2020 से 18.11.2020	23 दिन		
		24.09.2021 से 01.02.2022	131 दिन		
		27.10.2022 से 07.12.2022	42 दिन		
		12.12.2022 से 31.03.2023	111 दिन		
	काला खोरा	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		11.08.2020 से 25.09.2020	45 दिन		
		24.09.2021 से 16.02.2022	146 दिन		
		02.09.2022 से 15.09.2022	13.5 दिन		
	तालवृक्ष	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		14.09.2020 से 26.09.2020	12 दिन		
		12.01.2021 से 29.01.2021	17 दिन		
		24.09.2021 से 16.02.2022	146 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
		08.03.2023 से 19.03.2023	12 दिन		
	सुकोला (रोटक्याला)	19.05.2020 से 19.06.2020	31 दिन		
		31.08.2020 से 06.10.2020	36 दिन		
		07.10.2020 से 02.11.2020	26 दिन		
		04.11.2020 से 05.12.2020	31 दिन		
		24.09.2021 से 07.02.2022	137 दिन		
		08.03.2023 से 19.03.2023	12 दिन		
मुकंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य	एमएचटीआर डैम-1	10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	एमएचटीआर डैम-2	27.10.2020 से 23.11.2020	27 दिन		
		03.12.2020 से 16.12.2020	13 दिन		
		10.01.2023 से 02.03.2023	51.5 दिन		
		17.03.2023 से 31.03.2023	15 दिन		
	घाटी माता	10.01.2023 से 24.02.2023	46.5 दिन		
	फुड तालाब	10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	हिल टॉप	10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	मशालपुरा-1	27.07.2022 से 09.08.2022	13.5 दिन		
		12.08.2022 से 31.08.2022	20 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	मशालपुरा-2	27.07.2022 से 09.08.2022	13.5 दिन		
		12.08.2022 से 31.08.2022	20 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	मशालपुरा-3	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		18.07.2022 से 28.11.2022	133.5 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
		10.01.2023 से 24.02.2023	46.5 दिन		
	मशालपुरा-4	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		29.07.2022 से 04.11.2022	99 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46.5 दिन		
	मशालपुरा-5	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	बाबा की मजार	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	मोहनपुरा	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		12.08.2022 से 02.09.2022	22 दिन		
		04.10.2022 से 07.11.2022	35 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	तीन मंजिल	07.10.2020 से 19.11.2020	43 दिन		
		03.12.2020 से 16.12.2020	13 दिन		
		12.08.2022 से 08.11.2022	89 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	फुट चौकी	07.10.2020 से 10.12.2020	64 दिन		
		14.12.2020 से 26.02.2021	74 दिन		
		12.08.2022 से 02.09.2022	22 दिन		
		04.10.2022 से 07.11.2022	35 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	केशवपुरा	07.10.2020 से 26.02.2021	142 दिन		
		03.08.2022 से 22.08.2022	20 दिन		

बाघ अभयारण्य का नाम	कैमरे का स्थान	अवधि, जिसमें कैमरा अकार्यरत रहा	पुनः आरंभ करने में लिया गया समय	संयुक्त भौतिक निरीक्षण की तिथि	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के समय तक बंद रहने का समय
		24.08.2022 से 09.09.2022	17 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		
	पदमपुरा	07.10.2020 से 26.02.2021	142 दिन		
		08.08.2022 से 22.08.2022	15 दिन		
		24.08.2022 से 09.09.2022	17 दिन		
		10.01.2023 से 24.02.2023	46 दिन		

स्रोतः वन विभाग

परिशिष्ट 10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3.8.3 (i); पृष्ठ 94)

राज्य सरकार द्वारा बाघ अभयारण्यों को सीएसएस के अंतर्गत निधियाँ जारी करने में देरी

बाघ अभयारण्य	वर्ष	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	निधि प्राप्ति की तिथि	निधि जारी करने की नियत तिथि (दो सप्ताह)	निधि जारी करने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन)
आरटीआर	2016-17	9.30	30-12-2016	13-01-2017	21-02-2017	39
	2017-18	7.09	30-08-2017	13-09-2017	09-11-2017	57
	2018-19	6.45	27-07-2018	10-08-2018	15-01-2019	158
	2019-20	9.49	22-08-2019	05-09-2019	01-10-2019	26
	2020-21	9.11	25-08-2020	08-09-2020	16-10-2020	38
	2021-22	6.66	29-07-2021	12-08-2021	28-02-2022	200
	2022-23	4.71	13-12-2022	27-12-2022	03-03-2023	66
			29-03-2023	12-03-2023	07-06-2023	87
एमएचटीआर	2016-17	2.91	07-09-2016	21-09-2016	26-10-2016	35
	2017-18	2.76	30-06-2017	14-07-2017	04-09-2017	52
	2018-19	3.27	27-07-2018	10-08-2018	15-01-2019	158
	2019-20	5.77	23-07-2019	06-08-2019	01-10-2019	56
	2020-21	7.06	13-07-2020	27-07-2020	16-10-2020	81
	2021-22	3.18	23-09-2021	07-10-2021	28-02-2022	144
	2022-23	1.51	12-12-2022	26-12-2022	08-02-2023	44
एसटीआर	2016-17	5.98	07-10-2016	21-10-2016	08-11-2016	18
	2017-18	5.47	26-05-2017	09-06-2017	30-08-2017	82
	2018-19	7.12	27-07-2018	10-08-2018	16-01-2019	159

बाघ अभयारण्य	वर्ष	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	निधि प्राप्ति की तिथि	निधि जारी करने की नियत तिथि (दो सप्ताह)	निधि जारी करने की वास्तविक तिथि	विलंब (दिन)
	2019-20	10.08	06-08-2019	20-08-2019	22-09-2019	33
	2020-21	11.29	23-07-2020	06-08-2020	21-10-2020	76
	2021-22	5.88	17-09-2021	01-10-2021	20-12-2021	80
			27-12-2021	10-01-2022	28-02-2022	49
	2022-23	3.89	16-12-2022	30-12-2022	20-03-2023	80
			29-03-2023	12-04-2023	06-06-2023	55
योग	**2016-23**	**128.98**				**18-200** दिन

परिशिष्ट 11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.3.8.3 (ii); पृष्ठ 96)

स्वीकृत एवं कार्यरत प्रति वन रक्षक वन क्षेत्र का विवरण

बाघ अभयारण्य	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	वन रक्षक की स्वीकृत संख्या (31 मार्च 2023)	प्रति वन रक्षक स्वीकृत वन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	कार्यरत क्षमता (31 मार्च 2023)	प्रति वन रक्षक कार्यरत वन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	आवृत क्षेत्र में वृद्धि (प्रतिशत)
आरटीआर, सवाई माधोपुर	934.17	120	7.78	43	21.72	179.18
आरटीआर, करौली	477.12	104	4.59	31	15.39	235.29
एमएचटीआर	759.99	112	6.79	34	22.35	229.16
एसटीआर	1,213.34	133	9.12	56	21.67	137.61
योग	**3,384.62**	**469**		**164**		

परिशिष्ट–12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.3; पृष्ठ 125)

सतही किराया एवं उस पर ब्याज की अवसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

क (पट्टा संख्या 46/2011)				ख (पट्टा संख्या 45/2011)			
वर्ष	सतही किराया	ब्याज @ 18 प्रतिशत		वर्ष	सतही किराया	ब्याज @ 18 प्रतिशत	
		अवधि	राशि			अवधि	राशि
2013-14	2,21,000[3]	9 वर्ष	3,58,020	2013-14	2,21,000[3]	9 वर्ष	3,58,020
2014-15	2,54,150[4]	8 वर्ष	3,65,976	2014-15	2,54,150[4]	8 वर्ष	3,65,976
2015-16	2,54,150	7 वर्ष	3,20,229	2015-16	2,54,150	7 वर्ष	3,20,229
2016-17	2,54,150	6 वर्ष	2,74,482	2016-17	2,54,150	6 वर्ष	2,74,482
2017-18	2,92,272	5 वर्ष	2,63,045	2017-18	2,92,272	5 वर्ष	2,63,045
2018-19	2,92,272	4 वर्ष	2,10,436	2018-19	2,92,272	4 वर्ष	2,10,436
2019-20	2,92,272	3 वर्ष	1,57,827				
2020-21	3,36,113	2 वर्ष	1,21,001				
कुल	**21,96,379**		**20,71,016**		**15,67,994**		**17,92,188**

सतही किराया	37,64,373
ब्याज	38,63,204
कुल	**76,27,577**

[3] उच्चतम बोलीदाता द्वारा अनुबंध राशि। आयुक्त, देवस्थान विभाग(अनुज्ञादाता) एवं सफल आवेदनकर्ता (अनुज्ञाधारी), क तथा ख के मध्य क्रमशः दिनांक 13 दिसम्बर 2011 एवं 14 दिसम्बर 2011 को अनुबंध निष्पादित किए गए।

[4] वर्ष 2011 में पट्टा उच्चतम बोली राशि पर आवंटित किया गया तथा अनुज्ञादाता को तीन वर्ष की अवधि में सतही किराया बढ़ाने एवं संशोधित करने का अधिकार था जो प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत बढाया गया।

संक्षिप्त शब्दावली

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
एसीएस	अतिरिक्त मुख्य सचिव
एडीजी	अतिरिक्त निदेशक,भूविज्ञान
एडीएम	अतिरिक्त निदेशक,खान
एएमई	सहायक खनि अभियंता
सी एण्ड एजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
सीएएमपीए	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीसीएफ एण्ड एफडी	मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक
सीओटी	परिवहन आयुक्त
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीटीओ	संचालन के लिए सहमति
सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू	मुख्य वन्यजीव संरक्षक
डीसीएफ एण्ड डीएफडी	उप वन संरक्षक और उप क्षेत्र निदेशक
डीसीआर	मांग और संग्रहण पंजिका
डीएफओ	जिला वन अधिकारी
डीआई	नमनीय लोहा
डीएलआईसी	जिला स्तर कार्यान्वयन समिति
डीएमएफटी	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट
डीएमजी	निदेशक, खान एवं भूविज्ञान
डीएमजीओएमएस	खान एवं भूविज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली
डीओआईटी एण्ड सी	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
डीपी	निदेशक पेट्रोलियम
ईडीसीएस	पारिस्थितिक विकास समितियां
ईआरसी	अधिक अधिशुल्क संग्रहण
ईआरसीसी	अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार
ईएसआर	उन्नत सेवा जलाशय
ईएसजेड	पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र
जीसीसी	अनुबंध की सामान्य शर्तें
जीओआई	भारत सरकार
जीओआर	राजस्थान सरकार
जीपीएस	वैश्विक स्थिति प्रणाली
आईजीएमपीवाई	इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना
आईआर	निरीक्षण प्रतिवेदन
एलपीसीडी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन लीटर

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
एमई	खनि अभियंता
एमएल	खनन पट्टे
एमएमडीआर	खान और खनिज (विकास और विनियमन)
एमओईएफसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमटी	मीट्रिक टन
एनएलसीपीएल	नेशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
एनटीसीए	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
एनडब्ल्यूएपी	राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना
ओएंडएम	संचालन और रखरखाव
पीएसी	जन लेखा समिति
पीडी	निजी निक्षेप
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीएमकेकेकेवाई	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई
पीडब्लूडी	जन निर्माण विभाग
पीडब्लूएमएस	वहनीय वजन मशीनें
क्यूएल	खदान अनुज्ञप्ति
आरसी	अधिशुल्क संग्रहण
आरएमएमसी	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत
आरएमएमसीआर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत अधिनियम
आरएसएमईटी	राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट
आरएसपीसीबी	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आरटीओएस	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों
आरटीपीपी	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता
आरडब्ल्यूएसएसएमबी	राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन बोर्ड
एसबीडब्ल्यूएल	राज्य वन्यजीव बोर्ड
एसएलईसी	राज्य स्तरीय सशक्त समिति
एसएमई	अधीक्षण खनि अभियंता
एसटीपी	अल्पावधि अनुज्ञापत्र
टीसीएफ	बाघ संरक्षण फाउंडेशन
टीसीपीएस	बाघ संरक्षण योजनाएँ
टीएस	तकनीकी स्वीकृति
यूएनएसडीजी	संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य
डब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल कल्याण विभाग
डब्ल्यूआईआई	वन्यजीव संस्थान भारत

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi